खण्ड-108, अंक-1
मंगलवार, 11 भाद्रपद, शक संवत् 1874
(2 सितम्बर, 1952 ई0)

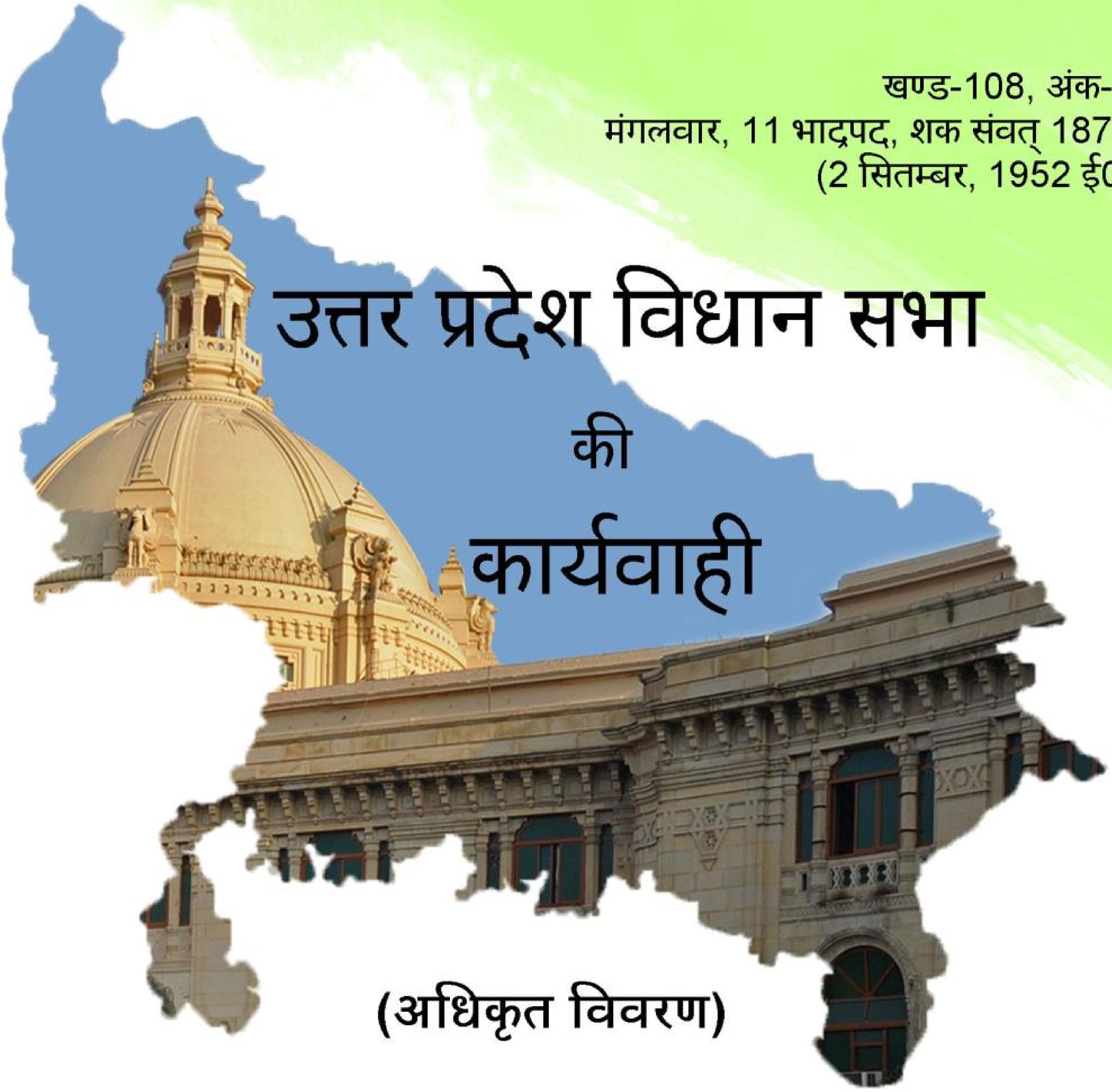

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 108 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

R.A.
743

विषय सूची

खंड १०८

मंगलवार, २ सितम्बर, १९५२

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	१—४
प्रश्नोत्तर	५—३०
बलिया में बाढ़ आने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अनुमति के लिये उपस्थित करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	३०
गोंडा जेल में श्री पटेश्वरी सिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अनुमति के लिये उपस्थित करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३१
आगरा विश्वविद्यालय की सीनेट के लिये सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में सूचना	३१
उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, १९५२ (पुरः स्थापित किया गया) ..	३१—३२
यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युयेंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५२ (पारित) ..	३२—३६
उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक, १९५१ ई० (वापस लेने का प्रस्ताव—स्थगित) ..	४७
संयुक्त प्रांतीय नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश विधान, १९५० ई० के सम्बन्ध में नियुक्त की गयी प्रवर समिति के पुनर्संगठन का संकल्प (स्वीकृत) ..	४८—५५
उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक, १९५१ ई० (वापस लिया गया) ..	५६
उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक, १९५२ (पुरः स्थापित किया गया)	५६
अगले दिन का कार्यक्रम	५६—५७
नस्थियाँ	५८—९३

बुधवार, ३ सितम्बर, १९५२

उपस्थित सदस्यों की सूची	९५—९८
प्रश्नोत्तर	९९—११९
उत्तर प्रदेश अध्यापक मंडल द्वारा हड़ताल कराने के निश्चय के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (सदन ने उपस्थित करने की अनुज्ञा नहीं दी) ..	११९—१२१
हारकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति के रिक्त स्थान पर श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित के निर्वाचन की घोषणा ..	१२१
उत्तर प्रदेश शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा	१२१
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसन (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा	१२१

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ ई० पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) १२१—१२५

उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक, १९५२ (प्रवर समिति को अभिदिष्ट किया गया) ... . १२५—१४६

उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, ११५२ (पुर-स्थापित किया गया) .. .. १४६—१४७

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५२ (पुर: स्थापित किया गया) १४७

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९५२ (पुर: स्थापित किया गया) १४७

नत्थियाँ .. . १४८—१७९

बृहस्पतिवार, ४ सितम्बर, १९५२

उपस्थित सदस्यों की सूची .. .. .. १८१—१८४

प्रश्नोत्तर .. .. १८५—२०३

बुलन्दशहर के सत्याग्रह की चर्चा २०३

रोडवेज वर्कर्स की हड़ताल के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अनुमति लेने का प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. २०३

सदन से अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्राप्त करने के लिये श्री हबीबुर्रहमान आजमी का प्रार्थनापत्र (स्वीकृत) . .. २०३—२०४

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स के नियम १२८, १२९ तथा १३१ में किये गये संशोधन की प्रतिलिपि का मेज पर रखना .. २०४

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूलस की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि ७ में किये गये संशोधन तथा बढ़ायी गई प्रविष्टियों १६-२१ की प्रतिलिप मेज पर रखना २०४

दिल्ली और कानपुर की नार्दर्न रेलवे की स्थानीय परामर्शदात्री समितियों के लिये विधान सभा का एक-एक सदस्य निर्वाचित करने के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत) २०४

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, १९५२ (विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर विवाद जारी) .. .. २०४—२१७

उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक, १९५२ की प्रवर समिति के सभापति की नियुक्ति .. २१७-२१८

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, १९५२ (विधयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत) .. .. .. २१८—२४४

आगरा विश्वविद्यालय की सिनेट के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा २४४

नत्थियां .. . . २४५—२५२

शुक्रवार, ५ सितम्बर, १९५२

उपस्थित सदस्यों की सूची .. .. .. २५३—२५७

प्रश्नोत्तर .. .. .. २५८—२८३

रायबरेली के कुछ किसानों की गिरफ्तारी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (उपस्थित करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. २८३
संस्कृत शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ... २८३
कार्य सूची के क्रम में परिवर्तन करने की प्रार्थना (अस्वीकृत) .. २८३—२८४
उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, १९५२ (विचार जारी) .. २८४—२९९
प्राक्कलन समिति के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा . २९९
उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, १९५२ (पारित) .. ३००—३३०
उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२ (प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया) .. .. ३३०—३४०
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५२ (विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर विवाद जारी) .. ३४०—३५०
उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कंट्रोल आफ रेंट एंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५२ (पुरः स्थापित किया गया) ३५०
आजमगढ़ जिले के कोतवाली तथा मधुबन थानों के इंचार्ज पुलिस अफसरों द्वारा हवालाती अभियुक्तों से दुर्व्यवहार के संबंध में श्री रामसुन्दर पांडेय के प्रश्नों के विषय में विवाद .. .. ३५०—३५५
नस्थियां .. .. ३५६—३७८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बिधान सभा मदेश

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी।

मंत्री परिषद्

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी० एम० एल० ए०, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन और नियोजन मंत्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, वित्त तथा विद्युत् मंत्री।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी० एम० एल० ए०, गृह तथा श्रम मंत्री।

श्री हुकुम सिंह, बी०ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, उद्योग तथा पुनर्वासन मंत्री।

श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, एम० एल० ए०, निर्माण मंत्री।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, स्वास्थ्य तथा अन्न मंत्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार-ऐट-ला, एम० एल० ए०, न्याय तथा मादक-कर मंत्री।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, माल तथा कृषि मंत्री।

श्री हर गोविन्द सिंह, एम० एल० ए०, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री।

श्री मोहन लाल गौतम, बी० ए० (ओनर्स) स्वाशासन मंत्री।

श्री कमला पति त्रिपाठी, सूचना तथा सिंचाई मंत्री।

श्री विचित्र नारायण शर्मा, परिवाहन तथा सहकारी मंत्री।

उपमंत्री

श्री मंगला प्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सहकारिता उपमंत्री।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, वन उपमंत्री।

श्री फूलसिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, योजना उपमंत्री।

श्री जगन प्रसाद रावत, बी०एस-सी०, एल-एल०बी०, एम०एल० ए०, कृषि उपमंत्री।

श्री मुजफ्फर हसन, एम० एल० ए०, गृह उपमंत्री।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सिंचाई उपमंत्री।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, निर्माण उपमंत्री।

सभा सचिव

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव।

श्री कृपाशंकर, एम० एल० ए०,

अन्न मन्त्री के सभा सचिव।

१—श्री बलदेव सिंह आर्य, एम० एल० ए०।

२—श्री बनारसी दास, एम० एल० ए०।

उद्योग मन्त्री के सभा सचिव।

श्री रऊफ़ जाफरी, एम० ए०, एम० एल० ए०।

माल मन्त्री के सभा सचिव।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य, एम० एल० ए०।

शिक्षा मन्त्री के सभा सचिव।

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी०, (विस) पी० एच० डी०, एम० एल० ए०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

१—अंसमान सिंह, श्री	...	बस्ती (पूर्व)
२—अक्षयवर सिंह, श्री	...	गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
३—अजीज इमाम, श्री	...	मिर्जापुर (दक्षिण)
४—अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री	...	रुड़की (दक्षिण)
५—अनन्तस्वरूप सिंह, श्री	...	फतेहपुर (दक्षिण)-खागा (दक्षिण)
६—अब्दुल मुईज खां, श्री	...	खलीलाबाद (मध्य)
७—अब्दुल रऊफ खां, श्री	...	फतेहपुर (पूर्व)-खागा (उत्तर)
८—अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री	...	मिर्जापुर (उत्तर)
९—अमृतनाथ मिश्र, श्री	...	उतरौला (दक्षिण)
१०—अली जहीर, श्री सैयद	...	लखनऊ नगर (मध्य)
११—अवधशरण वर्मा, श्री	...	फतेहपुर (उत्तर)
१२—अवधेशचन्द्र सिंह, श्री	...	छिबरामऊ (पूर्व)-फर्रुखाबाद (पूर्व)
१३—अवधेश प्रताप सिंह, श्री	...	बीकापुर (पूर्व)
१४—अशरफ अली खां, श्री	...	सादाबाद (पूर्व)
१५—आत्माराम गोविंद खेर, श्री	...	झांसी (पूर्व)
१६—आर्थर ग्राईस, श्री	...	नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय
१७—आशालता व्यास, श्रीमती	...	फलपुर (दक्षिण)
१८—इतिजा हुसैन, श्री	...	बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)
१९—इसरारुल हक, श्री	...	फीरोजाबाद-फतेहाबाद
२०—इस्तफा हुसैन, श्री	...	गोरखपुर (मध्य)
२१—उमाशंकर, श्री	...	सगरी (पश्चिम)
२२—उमाशंकर तिवारी, श्री	...	चंदौली (दक्षिण-पश्चिम) -रामनगर
२३—उमाशंकर मिश्र, श्री	...	नवाबगंज (दक्षिण)-हैदरगढ़ -रामसनेही घाट
२४—उम्मेद सिंह, श्री	...	उतरौला (उत्तर-पूर्व,)
२५—उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री	...	ऐतमादपुर-आगरा (पूर्व)
२६—ऐजाज रसूल, श्री	...	शाहाबाद (पश्चिम)
२७—ओंकार सिंह, श्री	...	दातागंज (उत्तर)-बदायूं
२८—कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री	...	शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
२९—कमलापति त्रिपाठी, श्री	...	चकिया -चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०—कमला सिंह, श्री	...	सैदपुर
३१—कमाल अहमद रिजवी, श्री	...	मोहमदी (पूर्व)
३२—करण सिंह यादव, श्री	...	गुन्नौर (उत्तर)
३३—करन सिंह, श्री	...	निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
३४—कल्याण राय, श्री	...	हजूर मिलक (उत्तर)
३५—कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री	...	चंदौली (उत्तर)
३६—कालिका सिंह, श्री	...	लालगंज (दक्षिण)
३७—कालीचरण टण्डन, श्री	...	कन्नौज (उत्तर)
३८—काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री	...	कादीपुर
३९—किन्दरलाल, श्री	...	हरदोई (पूर्व)
४०—किशन स्वरूप भटनागर, श्री	...	खुर्जा
४१—कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री	...	सुल्तानपुर (पश्चिम)
४२—कृपाशंकर, श्री	...	हर्रैया (पूर्व)-बस्ती (पश्चिम)

४३--कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री ... सीतापुर (दक्षिण-पूर्व)
४४--कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री ... ललितपुर (दक्षिण)
४५--कृष्ण शरण आर्य, श्री ... मिलक (दक्षिण)-शाहाबाद
४६--केदारनाथ, श्री ... मुरादाबाद (दक्षिण)
४७--केवल सिंह, श्री ... सिकन्दराबाद (पूर्व)
४८--केशभान राय, श्री ... बांसगांव (मध्य)
४९--केशव गुप्त, श्री ... कैराना (उत्तर)
५०--केशव पाण्डेय, श्री ... गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
५१--केशवराम, श्री ... सहसवान (पूर्व)
५२--कैलाशप्रकाश, श्री ... मेरठ नगरपालिका
५३--खयालीराम, श्री .. अमरोहा (पूर्व)
५४--खुशीराम, श्री .. पिथौरागढ़-चम्पावत
५५--खूब सिंह, श्री ... धामपुर (उत्तर-पूर्व)-नगीना (पूर्व)
५६--गंगाधर, श्री ... चमोली (पश्चिम)-पौड़ी (उत्तर)
५७--गंगाधर जाटव, श्री ... फीरोजाबाद-फतेहाबाद
५८--गंगाधर शर्मा, श्री ... मिश्रिख
५९--गंगाप्रसाद, श्री .. तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)-गोंडा (दक्षिण)
६०--गंगाप्रसाद सिंह, श्री ... रसरा (पश्चिम)
६१--गजेन्द्र सिंह, श्री ... बिधूना (पूर्व)
६२--गज्जूराम, श्री ... मऊ-मोठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम) ललितपुर (उत्तर)

६३--गणेशचन्द्र काछी, श्री ... मैनपुरी (उत्तर)-भोगांव (उत्तर)
६४--गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री ... इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६५--गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री ... बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
६६--गिरजारमण शुक्ल, श्री ... पट्टी (दक्षिण)
६७--गिरधारी लाल, श्री ... धामपुर (उत्तर-पूर्व)-नगीना (पूर्व)
६८--गुप्तार सिंह, श्री ... डलमऊ (दक्षिण-पश्चिम)
६९--गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री ... खजुहा (पश्चिम)
७०--गुरुप्रसाद सिंह, श्री ... मुसाफिरखाना (दक्षिण)-अमेठी (पश्चिम)
७१--गुलजार, श्री .. मुसाफिरखाना (उत्तर)-सुल्तानपुर (उत्तर)
७२--गेंदा सिंह, श्री .. पडरौना (पूर्व)
७३--गोपीनाथ दीक्षित, श्री .. इटावा (दक्षिण)
७४--गोवर्धन तिवारी, श्री ... अल्मोड़ा (दक्षिण)
७५--गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री ... बरेली (नगरपालिका)
७६--गौरीराम, श्री ... फरेंदा (मध्य)
७७--घनश्यामदास, श्री ... नवाबगंज (दक्षिण)-हैदरगढ़-रामसनेही घाट
७८--घासीराम जाटव, श्री ... बिधूना (पश्चिम)-भरथना (उत्तर)-इटावा (उत्तर)

७९--चतुर्भुज शर्मा, श्री ... उरई-जालौन (दक्षिण)
८०--चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री ... डलमऊ (पूर्व)
८१--चन्द्रभानु गुप्त, श्री ... लखनऊ नगर (पूर्व)
८२--चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री ... तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)-गोंडा (दक्षिण)
८३--चन्द्रवती, श्रीमती ... बिजनौर (मध्य)
८४--चन्द्रसिंह रावत, श्री .. पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व)
८५--चन्द्रहास, श्री ... हरदोई (पूर्व)

८६--चरण सिंह, श्री ... बागपत (पश्चिम)
८७--चित्तर सिंह निरंजन, श्री ... कोंच
८८--चिरंजीलाल जाटव, श्री ... जलेसर एटा (उत्तर)
८९--चिरंजीलाल पालीवाल, श्री ... छिबरामऊ (दक्षिण)-कन्नौज (दक्षिण)
९०--चुन्नी लाल सगर, श्री ... बिसौली-गुन्नौर (पूर्व)
९१--छेदालाल, श्री ... शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
९२--छेदालाल चौधरी, श्री ... लखीमपुर (दक्षिण)
९३--जगतनारायण, श्री ... नवाबगंज (उत्तर)
९४--जगदीश प्रसाद, श्री ... हसनपुर (दक्षिण)-सम्भल (पश्चिम)
९५--जगदीशसरन रस्तोगी, श्री .. सम्भल (पूर्व)
९६--जगनप्रसाद रावत, श्री ... खैरगढ़
९७--जगन्नाथ प्रसाद, श्री ... निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
९८--जगन्नाथबख्श दास, श्री ... रामसनेही घाट
९९--जगन्नाथ मल्ल, श्री ... पडरौना (उत्तर)
१००--जगन्नाथ सिंह, श्री ... बलिया (उत्तर-पूर्व)-बांसडीह (दक्षिण-पश्चिम)
१०१--जगपति सिंह, श्री ... मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१०२--जगमोहन सिंह, नेगी, श्री ... लैन्सडाउन (पश्चिम)
१०३--जटाशंकरशुक्ल, श्री ... पुरवा (उत्तर)-हसनगंज
१०४--जयपाल सिंह, श्री ... रुड़की (पश्चिम)-सहारनपुर (उत्तर)
१०५--जयराम वर्मा, श्री ... अकबरपुर (पश्चिम)
१०६--जयन्द्रसिंह विष्ट, श्री ... खेन टेहरी (उत्तर)
१०७--जवाहरलाल श्री .. करछना (उत्तर)-चायल(दक्षिण)
१०८--जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर ... कानपुर नगर (पूर्व)
१०९--जुगलकिशोर, श्री ... मथुरा (दक्षिण)
११०--जोरावर वर्मा, श्री ... महोबा कुल पहाड़-चरखारी
१११--ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री ... गोंडा (पश्चिम)
११२--झारखण्डे राय, श्री ... घोसी (पश्चिम)
११३--टीकाराम, श्री ... संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
११४--डल्लाराम, श्री ... मिश्रिख
११५--डालचन्द, श्री ... माट-सादाबाद (पश्चिम)
११६--ताराचन्द माहेश्वरी, श्री ... सिंधौली (पश्चिम)
११७--तिरमल सिंह, श्री ... कासगंज (उत्तर)
११८--तुलसीराम, श्री ... बदायूं (दक्षिण-पश्चिम)
११९--तुलाराम, श्री ... औरैया-भरथना (दक्षिण)
१२०--तुलाराम रावत, श्री ... मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
१२१--तेजप्रताप सिंह, श्री ... मौदहा (दक्षिण)
१२२--तेजबहादुर, श्री ... लालगंज (उत्तर)
१२३--तेजासिंह, श्री ... गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम)
१२४--त्रिलोकीनाथ कौल, श्री ... बहराइच (पश्चिम)
१२५--दयालदास भगत, श्री ... घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
१६--दर्शनराम, श्री ... मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१२७--दलबहादुर सिंह, श्री ... सलोन(दक्षिण)
१२८--दाऊदयाल खन्ना, श्री ... मुरादाबाद (उत्तर)
१२९--दाताराम, श्री ... नकुड़ (दक्षिण)

१३०—दीनदयालु शर्मा, श्री ... अनूपशहर (उत्तर)
१३१—दीनदयालु शास्त्री, श्री ... रुड़की (पूर्व)
१३२—दीपनारायण वर्मा, श्री ... जौनपुर (पश्चिम)
१३३—देवकी नन्दन विभव, श्री ... आगरा
१३४—देवदत्त मिश्र, श्री ... पुरवा (दक्षिण)
१३५—देवदत्त शर्मा, श्री ... बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)
१३६—देवनन्दन शुक्ल, श्री ... सलीमपुर (पश्चिम)
१३७—देव मूर्ति राम, श्री ... बनारस (पश्चिम)
१३८—देवराम, श्री ... सैदपुर
१३९—देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री ... गोरखपुर (पश्चिम)
१४०—द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री ... मुजफ्फरनगर (मध्य)
१४१—द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री ... मड़ियाहू (उत्तर)
१४२—द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री ... फरेंदा (दक्षिण)
१४३—धनुषधारी पाण्डेय, श्री ... खलीलाबाद (दक्षिण)
१४४—धर्म सिंह, श्री ... बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)
१४५—धर्मदत्त वैद्य, श्री ... बहेड़ी (दक्षिण—पश्चिम)—बरेली (पश्चिम)
१४६—नत्थू सिंह, श्री ... आग्रों (पूर्व)—फरीदपुर
१४७—नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री ... हाथरस
१४८—नरदेव शास्त्री, श्री ... पश्चिमीय दून दक्षिण—पूर्वीय दून
१४९—नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री ... पिथौरागढ़—चम्पावत
१५०—नरोत्तम सिंह, श्री ... दातागंज (दक्षिण)—बदायूं (दक्षिण—पूर्व)
१५१—नवल किशोर, श्री ... आंवला (पश्चिम)
१५२—नागेश्वर द्विवेदी, श्री ... मछलीशहर (उत्तर)
१५३—नाजिम अली, श्री ... मुसाफिरखाना (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर)
१५४—नारायणदत्त तिवारी, श्री ... नैनीताल (उत्तर)
१५५—नारायण दास, श्री ... फैजाबाद (पूर्व)
१५६—नारायणदीन, श्री ... पुवायां—शाहजहांपुर (पूर्व)
१५७—निरंजन सिंह, श्री ... पीलीभीत (पूर्व)—बीसलपुर (पश्चिम)
१५८—निहालुद्दीन, श्री ... बदायूं (उत्तर)
१५९—नेकराम शर्मा, श्री ... सिकन्दराराव (दक्षिण)
१६०—नेत्रपाल सिंह, श्री ... सिकन्दराराव (उत्तर)—कोइल (दक्षिण—पूर्व)
१६१—नौरंगलाल, श्री ... नवाबगंज
१६२—पद्मनाथ सिंह, श्री ... मुहम्मदाबाद गोहना (दक्षिण)
१६३—परमानन्द सिन्हा, श्री ... सोराव (दक्षिण)
१६४—परमेश्वरी राम, श्री ... केराकत—जौनपुर (दक्षिण)
१६५—परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री ... महाराजगंज (उत्तर)
१६६—पहलवान सिंह चौधरी, श्री ... बांदा
१६७—पातीराम, श्री ... छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)
१६८—पुत्तूलाल, श्री ... ऐतमादपुर—आगरा (पूर्व)
१६९—पुद्दनराम, श्री ... बांसी (उत्तर)
१७०—पुलिनविहारी बनर्जी, श्री ... लखनऊ नगर (पश्चिम)
१७१—प्रकाशवती सूद, श्रीमती ... हापुड़ (उत्तर)
१७२—प्रतिपाल सिंह, श्री ... शाहजहांपुर (पश्चिम)—जलालाबाद (पूर्व)
१७३—प्रभाकर शुक्ल, श्री ... हरैया (उत्तर—पश्चिम)

१७४--प्रभुदयाल, श्री ... बस्ती (पश्चिम)
१७५--प्रेमकिशन खन्ना, श्री ... पुवायां-शाहजहांपुर (पूर्व)
१७६--फजलुल हक़, श्री ... रामपुर नगर
१७७--फतेह सिंह, श्री ... जलेसर-एटा (उत्तर)
१७८--फतेह सिंह राणा, श्री ... सरधना (पश्चिम)
१७९--फूल सिंह, श्री ... देवबन्द
१८०--बद्रीनारायण मिश्र, श्री ... सलीमपुर (दक्षिण)
१८१--बनारसी दास, श्री ... बुलन्दशहर (मध्य)
१८२--बलदेव सिंह, श्री ... बनारस (मध्य)
१८३--बलदेव सिंह आर्य, श्री ... पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व)
१८४--बलवीर सिंह, श्री ... गाजियाबाद (दक्षिण)
१८५--बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री ... उतरौला (उत्तर)
१८६--बलवन्त सिंह, श्री . मुजफ्फरनगर (पूर्व)-जानसठ (उत्तर)
१८७--बशीर अहमद हकीम, श्री ... सीतापुर (पूर्व)
१८८--बसन्तलाल, श्री ... कालपी-जालौन (उत्तर)
१८९--बसन्तलाल शर्मा, श्री ... नानपारा (उत्तर)
१९०--बाबूनन्दन, श्री ... शाहगंज (पूर्व)
१९१--बाबूराम गुप्त, श्री ... कासगंज (पश्चिम)
१९२--बाबूलाल कुसुमेश, श्री ... रामसनेहीघाट
१९३--बाबूलाल मित्तल, श्री ... आगरा नगर (उत्तर)
१९४--बालेन्दुशाह, महाराजकुमार ... टेहरी (दक्षिण)-प्रतापनगर
१९५--बिशम्भर सिंह, श्री ... सरधना (पूर्व)
१९६--बेचनराम, श्री ... ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
१९७--बेचनराम गुप्त, श्री ... ज्ञानपुर (पूर्व)
१९८--बेनीसिंह, श्री ... कानपुर तहसील
१९९--बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री ... बांसडीह (मध्य)
२००--बैजूराम, श्री ... सिधौली (पश्चिम)
२०१--ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री ... कानपुर नगर (दक्षिण)
२०२--भगवतीदीन तिवारी, श्री ... जौनपुर (उत्तर) -शाहगंज (पश्चिम)
२०३--भगवतीप्रसाद दुबे, श्री ... बांसगांव (पूर्व)-गोरखपुर (दक्षिण)
२०४--भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री ... प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०५--भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री ... फतेहपुर (दक्षिण)
२०६--भगवानदीन मिश्र, श्री ... कैसरगंज (उत्तर)
२०७--भगवानदीन वाल्मीकि, श्री ... फतेहपुर (दक्षिण) -खागा (दक्षिण)
२०८--भगवान सहाय, श्री ... तिलहर (दक्षिण)
२०९--भीमसेन, श्री ... खुर्जा
२१०--भुवरजी, श्री ... फूलपुर (पूर्व)-हंडिया (उत्तर-पश्चिम)
२११--भूपाल सिंह खाती, श्री ... अल्मोड़ा (उत्तर)
२१२--भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री ... बांसगांव (दक्षिण-पूर्व)
२१३--भोला सिंह यादव, श्री ... गाजीपुर (दक्षिण-पश्चिम)
२१४--मकसूद आलम खां, श्री ... पीलीभीत (पश्चिम)
२१५--मंगलाप्रसाद, श्री ... मेजा-करछना (दक्षिण)
२१६--मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री ... फर्रुखाबाद (पश्चिम) -छिबरामऊ
२१७--मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री ... बांसी (उत्तर)
२१८--मदनगोपाल वैद्य, श्री ... फैजाबाद (पूर्व)
२१९--मदनमोहन उपाध्याय, श्री ... रानीखत (उत्तर)

२२०—मन्नीलाल गुरुदेव, श्री ... महोबा–कुल पहाड़–चरखारी
२२१—महमूद अली खां, श्री ... सुमर–टांडा–बिलासपुर
२२२—महमूद अली खां, श्री ... सहारनपुर (उत्तर–पश्चिम)–नकुड़ (उत्तर)
२२३—महाजन, श्री सी० बी० ... आगरा नगर (पश्चिम)
२२४—महादेवप्रसाद, श्री ... गोरखपुर (उत्तर–पूर्व)
२२५—महाराज सिंह, श्री ... शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२६—महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री ... हंडिया (दक्षिण)
२२७—महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री ... मोहनलाल गंज
२२८—महीलाल, श्री ... बिलारी
२२९—मान्धाता सिंह, श्री ... रसरा (पूर्व)–बलिया (दक्षिण–पश्चिम)
२३०—मिजाजीलाल, श्री ... करहल (पूर्व)–भोगांव (दक्षिण)
२३१—मिहरबान सिंह, श्री ... विधूना (पश्चिम)–भरथना (उत्तर)–इटावा (उत्तर)

२३२—मुजफ्फर हसन, श्री ... चायल (उत्तर)
२३३—मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री ... पूरनपुर–बीसलपुर (पूर्व)
२३४—मुन्नूलाल, श्री ... बिसवां–सिधौली (पूर्व)
२३५—मुरलीधर कुरील, श्री ... बिल्हौर–अकबरपुर
२३६—मुश्ताक अली खां, श्री ... सहसवान (पश्चिम)
२३७—मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री ... डुमरियागंज (दक्षिण)
२३८—मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री ... बिजनौर (उत्तर)–नजीबाबाद (पश्चिम)
२३९—मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री ... बनारस नगर (उत्तर)
२४०—मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज ... नगीना (दक्षिण–पश्चिम) धामपुर (उत्तर-पूर्व)
२४१—मुहम्मद तक़ी हादी, श्री ... अमरोहा (पश्चिम)
२४२—मुहम्मद नबी, श्री ... बुढ़ाना (पूर्व)–जानसठ (दक्षिण)
२४३—मुहम्मद नसीर, श्री ... टांडा
२४४—मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री ... देवरिया (उत्तर–पूर्व)
२४५—मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री ... सहारनपुर नगर
२४६—मुहम्मद रऊफ जाफ़री, श्री ... मछलीशहर (दक्षिण)
२४७—मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री ... उतरौला (मध्य)
२४८—मुहम्मद सआदत अली खां, राजा नानपारा (दक्षिण)
२४९—मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री ... डुमरियागंज (उत्तर–पूर्व)–झांसी (पश्चिम)
२५०—मोहनलाल, श्री ... सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)
२५१—मोहनलाल गौतम, श्री ... खैर-कोइल (उत्तर–पश्चिम)
२५२—मोहन सिंह, श्री ... बुलन्दशहर (उत्तर-पूर्व)
२५३—मोहन सिंह शाक्य, श्री ... अलीगंज (दक्षिण)
२५४—यमुनाप्रसाद, श्री ... बहराइच (पश्चिम)
२५५—यमुना सिंह, श्री ... गाजीपुर (मध्य)–मुहम्मदाबाद (उत्तर–पश्चिम)

२५६—यशोदा देवी, श्रीमती ... बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
२५७—रघुनाथप्रसाद, श्री ... मेजा–करछना (दक्षिण)
२५८—रघुराज सिंह, श्री ... तरबगंज (पश्चिम)
२५९—रघुवीर सिंह, श्री ... बागपत (दक्षिण)
२६०—रणञ्जय सिंह, श्री ... अमेठी (मध्य)
२६१—रतनलाल जैन, श्री ... नजीबाबाद (उत्तर)–नगीना (उत्तर)
२६२—रमानाथ खैरा, श्री ... महरौनी

२६३—रमेशचन्द्र शर्मा, श्री ... मरियाहू (दक्षिण)
२६४—रमेश वर्मा, श्री ... किराउली
२६५—राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा ... उतरौला (दक्षिण-पश्चिम)
२६६—राजकिशोर राव, श्री ... बहराइच (पूर्व)
२६७—राजकुमार शर्मा, श्री ... चुनार (उत्तर)
२६८—राजदेव उपाध्याय, श्री ... हाटा (उत्तर)
२६९—राजनारायण, श्री ... बनारस (दक्षिण)
२७०—राजनारायण सिंह, श्री ... चुनार (दक्षिण)
२७१—राजवंशी, श्री ... पडरौना (दक्षिण-पश्चिम)-देवरिया (दक्षिण-पूर्व)
२७२—राजाराम, श्री ... अतरौली (दक्षिण)-कोइल (पूर्व)
२७३—राजाराम किसान, श्री ... प्रतापगढ़ (पश्चिम)-कुण्डा (उत्तर)
२७४—राजाराम मिश्र, श्री ... फैजाबाद (पश्चिम)
२७५—राजाराम शर्मा, श्री ... खलीलाबाद (उत्तर)
२७६—राजेन्द्रदत्त, श्री ... मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
२७७—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री ... बिलग्राम (पूर्व)
२७८—राधामोहन सिंह, श्री ... बलिया (पूर्व)
२७९—रामअधार तिवारी, श्री ... प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)-पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२८०—रामअधीन सिंह यादव, श्री ... पुरवा (मध्य)
२८१—रामअनन्त पाण्डेय, श्री ... बलिया (मध्य)
२८२—रामअवध सिंह, श्री ... फरेंदा (उत्तर)
२८३—रामकिंकर, श्री ... प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)-पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२८४—रामकुमार शास्त्री, श्री ... बांसी (दक्षिण)
२८५—रामकृष्ण जैसवार, श्री ... मिर्जापुर (दक्षिण)
२८६—रामगुलाम सिंह, श्री ... जलालाबाद (पश्चिम)
२८७—रामचन्द्र विकल, श्री ... सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८८—रामचरनलाल गंगवार, श्री ... बरेली (पश्चिम)
२८९—रामजीलाल सहायक, श्री ... मवाना
२९०—रामजीसहाय, श्री ... देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)-हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
२९१—रामदास आर्य, श्री ... बुढ़ाना (पूर्व)-जानसठ (दक्षिण)
२९२—रामदास रविदास, श्री ... अकबरपुर (पश्चिम)
२९३—रामदुलारे मिश्र, श्री ... अकबरपुर (दक्षिण)
२९४—रामनरेश शुक्ल, श्री ... कुण्डा (दक्षिण)
२९५—रामनाथ तिवारी, श्री ... देवरिया (दक्षिण)
२९६—रामनारायण त्रिपाठी, श्री ... अकबरपुर (पूर्व)
२९७—रामप्रसाद, श्री ... रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
२९८—रामप्रसाद देशमुख, श्री ... खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२९९—रामप्रसाद नौटियाल, श्री ... लैन्सडाउन (पूर्व)
३००—रामप्रसाद सिंह, श्री ... महाराजगंज (दक्षिण)
३०१—रामबली मिश्र, श्री ... सुल्तानपुर (पूर्व)-अमेठी (पूर्व)
३०२—रामभजन, श्री ... मोहम्मदी (पश्चिम)
३०३—राममूर्ति, श्री ... बहेड़ी (उत्तर-पूर्व)
३०४—रामरतन प्रसाद, श्री ... रसरा (पूर्व)-बलिया (दक्षिण-पश्चिम)

३०५--रामराज शुक्ल, श्री ... पट्टी (पूर्व)
३०६--रामलखन, श्री ... चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०७--रामलखन मिश्र, श्री ... डुमरियागंज (उत्तर-पश्चिम)
३०८--रामलाल, श्री ... बस्ती (पश्चिम)
३०९--रामवचन यादव, श्री .. फूलपुर (दक्षिण)
३१०--रामशंकर द्विवेदी, श्री ... रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
३११--रामशंकर रविवासी, श्री ... लखनऊ (मध्य)
३१२--रामसनेही भारतीय, श्री ... बबेरी (पश्चिम)
३१३--रामसहाय शर्मा, श्री ... गरोथा-मोठ (उत्तर)
३१४--रामसुन्दर पाण्डेय, श्री .. घोसी (पूर्व)
३१५--रामसुन्दरराम, श्री ... खलीलाबाद (दक्षिण)
३१६--रामसुभग वर्मा, श्री ... पडरौना (पश्चिम)
३१७--रामसुमेर, श्री ... टांडा
३१८--रामस्वरूप, श्री ... दूधी-राबर्ट्सगंज
३१९--रामस्वरूप गुप्त, श्री ... भोगनीपुर (पश्चिम)-डेरापुर (दक्षिण)
३२०--रामस्वरूप भारतीय, श्री .. कुण्डा (दक्षिण)
३२१--रामस्वरूप मिश्र "विशारद", श्री ... महाराजगंज (पश्चिम)
३२२--रामहरख यादव, श्री ... बीकापुर (पश्चिम)
३२३--रामहेत सिंह, श्री .. छत्ता
३२४--रामेश्वरप्रसाद, श्री ... महाराजगंज (पश्चिम)
३२५--लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री ... नैनीताल (दक्षिण)
३२६--लक्ष्मणराव कदम, श्री ... मऊ-मोठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम)-ललितपुर (उत्तर)
३२७--लक्ष्मीदेवी, श्रीमती .. संडीला-विलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
३२८--लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री ... माट-सादाबाद (पश्चिम)
३२९--लक्ष्मीशंकर यादव, श्री ... शाहगंज (पूर्व)
३३०--लताफत हुसैन, श्री ... हसनपुर (उत्तर)
३३१--लालबहादुर सिंह, श्री ... केराकत-जौनपुर (दक्षिण)
३३२--लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री ... बनारस (उत्तर)
३३३--लीलाधर अष्ठाना, श्री ... उन्नाव (दक्षिण)
३३४--लुत्फअली खां, श्री ... हापुड़ (दक्षिण)
३३५--लेखराजसिंह, श्री ... सम्भल (पूर्व)
३३६--वंशनारायण सिंह, श्री ... ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
३३७--वंशीदास धनगर, श्री ... करहल (पश्चिम)-शिकोहाबाद (पूर्व)
३३८--वंशीधर मिश्र, श्री ... लखीमपुर (दक्षिण)
३३९--वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री ... गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व)
३४०--वसी नकवी, श्री ... महाराजगंज (पूर्व)-सलोन (उत्तर)
३४१--वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री ... कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम)
३४२--विचित्रनारायण शर्मा, श्री ... गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व)
३४३--विजयशंकर प्रसाद, श्री ... मुहम्मदाबाद (दक्षिण)
३४४--विद्यावती राठौर, श्रीमती ... एटा (पूर्व)-अलीगढ़ (पश्चिम)-कासगंज (दक्षिण)
३४५--विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री .. गाजीपुर (पश्चिम)
३४६--विश्वम्भरनाथ पान्डेय, श्री ... इलाहाबाद नगर (मध्य)
३४७--विष्णु दयाल वर्मा, श्री ... जसराना

३४८—विष्णुशरण दुब्लिश, श्री ... मवाना
३४९—वीरसेन, श्री ... हापुड़ (दक्षिण)
३५०—वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री ... बिलग्राम (पश्चिम)
३५१—वीरेन्द्रपति यादव, श्री ... मैनपुरी (दक्षिण)
३५२—वीरेन्द्र वर्मा, श्री ... कैराना (दक्षिण)
३५३—वीरन्द्र विक्रम सिंह, श्री ... नानपारा (पूर्व)
३५४—वीरेन्द्रशाह, राजा ... कालपी-जालौन (उत्तर)
३५५—व्रजभूषण मिश्र, श्री ... दुधी-राबर्टसगंज
३५६—व्रजरानी मिश्र, श्रीमती ... बिल्हौर-अकबरपुर
३५७—व्रजवासीलाल, श्री ... बीकापुर (मध्य)
३५८—व्रजविहारी मिश्र, श्री ... फूलपुर (उत्तर)
३५९—व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री ... घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
३६०—शंकरलाल, श्री ... कादीपुर (मध्य)
३६१—शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री ... बाह
३६२—शान्तिप्रसन्न शर्मा, श्री .. चकराता-पश्चिमी दून (उत्तर)
३६३—शिवकुमार पाण्डेय, श्री ... सिराथू-मन्झनपुर
३६४—शिवकुमार मिश्र, श्री ... तिलहर (उत्तर)
३६५—शिवकुमार शर्मा, श्री ... बिजनौर (दक्षिण)-श्रामपुर (दक्षिणं-पश्चिम)
३६६—शिवदान सिंह, श्री ... इगलास
३६७—शिवनाथ काटजू, श्री ... फूलपुर (मध्य)
३६८—शिवनारायण, श्री ... हरैया (पूर्व)-बस्ती (पश्चिम)
३६९—शिवपूजन राय, श्री ... मुहम्मदाबाद (उत्तर-पूर्व)
३७०—शिवप्रसाद, श्री ... हाटा (मध्य)
३७१—शिवमंगल, श्री ... बांसडीह (पश्चिम)
३७२—शिवमंगल सिंह कपूर, श्री ... डुमरियागंज (पश्चिम)
३७३—शिवराजबली सिंह, श्री .. खजुहा (पूर्व)-फतेहपुर (दक्षिण-पश्चिम
३७४—शिवराज सिंह यादव, श्री ... बिसौली-गुन्नौर (पूर्व)
३७५—शिवराम पाण्डेय, श्री ... डोरापुर (उत्तर)
३७६—शिवराम राय, श्री ... सदर (आजमगढ़) उत्तर
३७७—शिववक्ष सिंह राठौर, श्री ... करहल (पूर्व)-भोगांव (दक्षिण)
३७८—शिववचन राव, श्री ... सलीमपुर (उत्तर)
३७९—शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री .. बहराइच (पूर्व)
३८०—शिवस्वरूप सिंह, श्री ... ठाकुर द्वारा
३८१—शुकदेवप्रसाद, श्री ... महाराजगंज (दक्षिण)
३८२—शुगनचन्द, श्री ... रुड़की (पश्चिम)-सहारनपुर (उत्तर)
३८३—श्याममनोहर मिश्र, श्री ... मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
३८४—श्यामलाल, श्री ... उतरौला (उत्तर)
३८५—श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री ... नरैनी
३८६—श्रीचन्द, श्री ... बुढ़ाना (पश्चिम)
३८७—श्रीनाथ भार्गव, श्री ... मथुरा (उत्तर)
३८८—श्रीनाथराम, श्री ... मुहम्मदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्षिण)
३८९—श्रीनिवास, श्री ... उतरौली (उत्तर)
३९०—श्रीपति सहाय, श्री ... राठ
३९१—सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती .. कासगंज (पूर्व)-अलीगंज (उत्तर)
३९२—संग्राम सिंह, श्री ... सोरों (उत्तर) फूलपुर (पश्चिम)

३९३—सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री ... सलीमपुर (पूर्व)
३९४—सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती ... गोंडा (पूर्व)
३९५—सत्यनारायण दत्त, श्री ... औरइया-भरथना (दक्षिण)
३९६—सत्यसिंह राणा, श्री ... देवप्रयाग
३९७—सत्यानन्द, श्री ... सगरी (पूर्व)
३९८—सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती ... बरेली (पूर्व)
३९९—सम्पूर्णानन्द, डाक्टर ... बनारस नगर (दक्षिण)
४००—सावित्री देवी, श्रीमती ... मुसाफिरखाना (मध्य)
४०१—सियाराम गंगवार, श्री ... फर्रुखाबाद (मध्य)—कायमगंज (पूर्व)
४०२—सियाराम चौधरी, श्री ... कैसरगंज (मध्य)
४०३—सीताराम, डाक्टर ... देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)—हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
४०४—सीताराम शुक्ल, श्री ... हर्रैया (दक्षिण-पश्चिम)
४०५—सुखीराम भारतीय, श्री ... सिराथू-मन्झनपुर
४०६—सुन्दरलाल, श्री ... आवंला (पूर्व)—फरीदपुर
४०७—सुरजूराम, श्री ... सदर (आजमगढ़ (उत्तर)
४०८—सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री ... हमीरपुर-मौदहा (उत्तर)
४०९—सुरेशप्रकाश सिंह, श्री ... बिसवां-सिधौली (पूर्व)
४१०—सुल्तान आलम खां, श्री ... कायमगंज (पश्चिम)
४११—सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री ... कानपुर नगर (उत्तर)
४१२—सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री ... हाटा (मध्य)
४१३—सेवाराम, श्री ... पुरवा (उत्तर)—हसनगंज
४१४—हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री ... सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)
४१५—हबीबुर्रहमान आजमी, श्री ... मुहम्मदाबाद (उत्तर)—घोसी (दक्षिण)
४१६—हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री ... शाहजहांपुर (मध्य)
४१७—हमीद खां, श्री ... कानपुर नगर (मध्य-पूर्व)
४१८—हरखयाल सिंह, श्री ... बागपत (पूर्व)
४१९—हरगोविन्द पन्त, श्री ... रानीखेत (दक्षिण)
४२०—हरगोविन्द सिंह, श्री ... जौनपुर (पूर्व)
४२१—हरदयाल सिंह पिपल, श्री ... हाथरस
४२२—हरदेव सिंह, श्री ... देवबन्द
४२३—हरसहाय गुप्त, श्री ... बिलारी
४२४—हरिप्रसाद, श्री ... बिसलपुर (मध्य)
४२५—हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री ... सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)
४२६—हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री ... लखनऊ (मध्य)
४२७—हरिसिंह, श्री ... हापुड़ (उत्तर)
४२८—हुकुमसिंह, श्री ... कैसरगंज (दक्षिण)
४२९—हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री ... करछना (उत्तर)—चायल (दक्षिण)
४३०—होतीलाल दास, श्री ... एटा (दक्षिण)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल–एल० बी०।

उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पन्त

सचिव

श्री कैलास चन्द्र भटनागर, एम० ए०।

सहायक सचिव

श्री कृष्ण बहादुर सक्सेना, बी० ए०।

अधीक्षक

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल–एल० बी०, डी० एल० एस–सी०।

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल–एल० बी०।

श्री देवकी नन्दन मिश्रल, एम० ए०, एल–एल० बी०।

R.A. 143
7-10-86

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदेश प्रदेश्या सभा

R.A. 743

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २ सितम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३१८)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख़यालीराम, श्री
ख़ुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख़्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा श्री,
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनंदन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवती प्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)
भगवान दीन मिश्र, श्री
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उपस्थित सदस्यों की सूची

भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ाँ, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम, सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वम्भरनाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखंयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१—३—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २४ पर]

बस्ती जिले में युद्धोत्तर योजना के अंतर्गत विश्वनाथपुर—महुली तथा नाथ नगर महुली सड़कों का निर्माण

*४—श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)—क्या निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में विश्वनाथपुर से महुली तथा नाथनगर से महुली तक के सड़कों को युद्ध के बाद के कार्यक्रम के प्रथम दौर में बनाने की व्यवस्था की गयी थी ? यदि हां, तो इन सड़कों को अभी तक बनाने का प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—युद्धोत्तर कालीन योजना के प्रथम चरण में केवल विश्वनाथपुर महोली पर सीमेंट कांक्रीट की पट्टी बनाने की योजना थी और इस सड़क पर कुछ कार्य भी किया गया था। किन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण कार्य बन्द कर देना पड़ा इस वर्ष में इस सड़क पर कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

श्री धनुषधारी पाण्डेय—क्या ये आर्थिक कठिनाइयां किसी किसी जिले की सड़कों की पूर्ति के लिये लागू की गई थीं या पूरे प्रदेश के लिये ?

श्री गिरधारी लाल—पूरे सूबे में जहां जैसी जैसी जरूरत समझी गई उसी के माफिक काम किया गया।

*५—श्री धनुषधारी पाण्डेय—क्या निर्माण मंत्री को यह ज्ञात है कि इन दोनों सड़कों से काफ़ी गन्ना शूगर मिल को जाता है और इन दोनों सड़कों पर नदी है ? क्या सरकार इन नदियों पर पुल बनाने का भी इरादा रखती है ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां। विश्वनाथपुर महुली सड़क कठनाई नदी को महोली के समीप पार करती है। इस नदी पर पुल बनाने का सरकार का इरादा है।

*६—७—श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—[२६ सितम्बर, १९५२ के लिए संख्या १—२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

सिविल इंजीनियरिंग कालेज रुड़की में हरिजन विद्यार्थियों का प्रवेश

*८—श्री पुत्तूलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत पांच वर्षों के अन्दर सिविल इंजीनियरिंग कालेज, रुड़की में इंजीनयरिंग तथा ओवरसियर क्लास में प्रवेश पाने के लिये कितने हरिजन विद्यार्थियों ने प्रार्थना-पत्र भेजे ? इन पांच सालों में कुल कितने हरिजन विद्यार्थियों का दिखिला सिविल इंजीनियरिंग कालेज में किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम)—गत ५ वर्षों में यानी सन् १९४८ से सन् १९५२ तक रुड़की यूनीवर्सिटी के दाखिला के इम्तहानों में ३६ हरिजन विद्यार्थी

इंजिनियरिङ्ग क्लास के लिये और ३४ ओवर सियर क्लास के लिये शरीक हुये । उनमें से इम्तहान के नतीजे पर दो का दाखिला इंजीनियरिंग क्लास में और एक का ओवर सियर क्लास में किया गया ।

श्री पुत्तूलाल--- क्या यह सच है कि रुड़की यूनीवर्सिटी की इंजीनियरिंग और ओवरसियर क्लासेज के लिये हरिजनों के दाखिले के लिये १० फीसदी स्थान सुरक्षित हैं ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां ।

श्री पुत्तूलाल---क्या सरकार ने कभी यह भी विचारने का कष्ट किया कि जितने हरिजन विद्यार्थी बैठें उनमें से हरिजनों की पूर्ति करने के लिये हरिजन विद्यार्थी लिये जायं ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---यह नहीं हो सकता है । जहां कम्पटीशन से आदमी लिये जाते हैं वहां सिर्फ कम्पीटीशन में बैठने के लिये रिजर्वेशन हो सकता है । यह नहीं हो सकता कि जो पास भी नहीं हुये हों उन्हें ले लिया जाय ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)---क्या किसानों के लड़कों के लिये भी वहां कोई सीटें सुरक्षित हैं ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---जी नहीं ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---जो हरिजन छात्र इन दोनों क्लासेज के लिये लिये गये वे किन सालों में लिये गये ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---गुजिश्ता पांच वर्षों में लेकिन यह इत्तिला इस वक्त मेरे पास नहीं है कि किन पर्टीकुलर सालों में लिये गये ।

श्री पुत्तूलाल---क्या यह सच है कि प्रति वर्ष सरकार द्वारा विद्यार्थियों को नामजद करके रुड़की यूनीवर्सिटी भेजा जाता है ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---जी नहीं, यह बिल्कुल ग़लत है ।

तहसील अलीगंज, जिला एटा में काली नदी पर पुल का निर्माण

*९---श्री मोहन सिंह शाक्य (जिला एटा)---क्या निर्माण मंत्री यह बतलाने का कृपा करेंगे कि जो रोड पी० डब्लू डी० की एटा से अलीगंज होती हुई फ़र्रुख़ाबाद को गयी है, उसमें तहसील अलीगंज, जिला एटा में स्थान धुमरी पर जो काली नदी पड़ती है उस पर पुल कब तक बन जायगा ?

श्री गिरधारी लाल---यह बतलाना सम्भव नहीं है कि यह पुल कब तक बन कर तैयार होगा ।

रसड़ा सीयर (बलिया) सरकारी सड़क का निर्माण

*१०---श्री मान्धाता सिंह (जिला बलिया)---क्या सरकार को मालूम है कि रसड़ा सीयर (बलिया) सरकारी सड़क का केवल थोड़ा सा हिस्सा जो लगभग ५ मील के है अभी तक कच्चा है और उसके न बनने से जनता को कष्ट है ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां ।

*११—**श्री मान्धाता सिंह**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त सड़क कब तक बनेगी ?

श्री गिरधारी लाल—इस सड़क को पक्की बनवाने की योजना पर सरकार विचार करेगी ।

श्री मान्धाता सिंह—जब केवल ५ मील सड़क बनने को बाकी रह गई है तो क्या सरकार उसको जल्द से जल्द बनवाने की योजना नहीं रखती ?

श्री गिरधारी लाल—मैंने कहा कि इस वर्ष इस पर विचार किया जायगा ।

बलिया जिले में दतौड़ नल कूप से सिंचाई

*१२—**श्री मान्धाता सिंह**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि दतौड़ (बलिया) में जो नलकूप (tube well) बना है उससे अब तक कितनी आबपाशी की गयी है और उसके बनवाने में सरकार को कितने रुपये खर्च करने पड़े हैं ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—बलिया जिले के दतौड़ नलकूप से अब तक २७ एकड़ भूमि सींची गई है और इस नलकूप के बनवाने में ८,००० रु० खर्च हुये हैं । यह नलकूप अब तक ट्राली पंप से चलाया गया था । अब डीजेल से चालू किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप अधिक पानी मिलेगा और अधिक भूमि सींची जा सकेगी ।

श्री मान्धाता सिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि इसको बने कितने दिन हुये तथा इस नलकूप से कितनी आबपाशी हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, मालूम है कि नलकूप को बने कितने दिन हुए और यह भी मालूम है कि कितनी सिंचाई हुई लेकिन जितनी सिंचाई होनी चाहिये थी उतनी नहीं हो सकी क्योंकि नलकूप या तो बिजली से चलते हैं या डीजल ऐंजिन से । अब जल्द से जल्द डीजल ऐंजिन लगवाया जा रहा है जिससे सिंचाई बढ़ जायेगी ।

श्री मान्धाता सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि अभी तक नलकूप जारी हुआ है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरी सूचना तो यही है कि चालू है ।

श्री मान्धाता सिंह—जब यह मालूम था कि ट्रोली से चलाये जाने पर कम पानी देगा तो क्या कारण था कि डीजल पावर से नहीं चलाया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह नलकूप एक प्रकार से परीक्षण नलकूप के तौर पर चलाया गया था केवल यह देखने के लिये कि बलिया का भूमि स्तर इस योग्य है या नहीं कि वहां पर नलकूप चल सके । उस समय डीजल की कोई व्यवस्था न होने से ट्रोली से उसको चलाया गया । अब उसको डीजल कर दिया जायगा ।

श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या यह सच है कि रबी की सिंचाई के मध्य काल ही में मशीन फैजाबाद पहुंचा दी गई जिसकी वजह से बहुत से किसानों की सिंचाई न हो सकी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी सूचना मुझे नहीं है ।

बस्ती जिले के उत्तरी भाग में जड़हन की खेती के लिए सिंचाई

*१३--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)--क्या सरकार को पता है कि बस्ती जिले के उत्तरी भाग तहसील बांसी डुमरियागंज में जड़हन की खेती के लिये प्रसिद्ध है सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण गत दो वर्षों से जड़हन की खेती बिल्कुल सूख गयी है ? क्या उपरोक्त क्षेत्र में नहर और ट्यूबवेल बनवाने का सरकार का इरादा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां ।

१५ वर्षीय योजना के अन्तर्गत बस्ती जिले में ४२० नलकूपों के निर्माण का आयोजन है । इनमें से १३० नलकूपों का निर्माण प्रथम पंच वर्षीय काल में किया जायेगा ।

धान के लिये फ़सली कुलाबे लगाने का सरकारी आदेश

*१४--श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)--क्या यह सही है कि नहर विभाग को गवर्नमेंट ने धान के लिए फ़सली कुलाबे लगाने का ३० रुपया प्रति कुलाबा लेकर आदेश दिया है ?

*१५--क्या यह भी ठीक है कि इसी तरह जल-मग्न भूमि के जल निकालने (नहर द्वारा) के लिए ५० रु० देने का आदेश है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--नहर विभाग की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं किया गया है परन्तु नहर विभाग के कुछ डिवीजनों में फ़सली कुलाबों के लगाने और उखड़ाने और नहर की पटरियों को काट कर जलमग्न भूमि से पानी को निकाल देने के बाद कटी हुई पटरियों की मरम्मत के लिये काश्तकारों से जरूरी खर्चा रसीद देकर प्रतिभूति के रूप में जमा कराने का दस्तूर है। काम हो जाने के बाद काश्तकार जब कुलाबों को अपने अपने ठिकाने पहुंचा देते हैं और नहर की पटरियों की ठीक ठीक मरम्मत कर देते हैं तो जमा किया हुआ रुपया या यदि सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ व्यय करना पड़ा है तो वह काट कर शेष रुपया उनको लौटा दिया जाता है। इस दस्तूर को फौरन बन्द करने के लिये चीफ इंजीनियर सिंचाई विभाग की ओर से आदेश दिया जा रहा है।

श्री उमाशंकर मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि बाराबंकी में गत वर्ष कुलाबों के अधिक उखाड़ पैठार से किसानों की फसलों का बहुत नुक़सान हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह तो एक बड़ा ऐसा साधारण प्रश्न है । यदि स्थान विशेष की बात कही जाय तो उसकी जांच पड़ताल की जाय।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार को ज्ञात है कि बाराबंकी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों ने इस तरह बहुत से काश्तकारों से ३० रु० प्रति कुलाबा ले लिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह तो उत्तर में कहा गया है कि कुछ रुपया जमा करने का तरीक़ा किसी किसी डिवीजन में है और थोड़ा खर्चा काटने के बाद वह रुपया उनको वापस कर दिया जाता है ।

बस्ती जिले में प्रथम और द्वितीय फ़ेज़ में ली गयी सड़कें

*१६--श्री धनुषधारी पाण्डेय--क्या निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में कौन कौन सी सरकारी सड़कें प्रथम फ़ेज़ (first phase) में ली गयी हैं और कौन-कौन सी सड़कें दूसरे फेज़ (Second phase) में हैं ?

श्री गिरधारी लाल—जिला बस्ती में (first phase) में ले ली गई सड़कों की सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है। दूसरे फेज में जो सड़कें ली जायेंगी उनके विषय में अभी तक कोई निश्चित योजना नहीं बनी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५८ पर)

श्री अब्दुल मुईज़ खां (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्स्ट फेज में जो सड़कें ली गयी हैं वे किन आधारों पर ली गयी हैं?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—वे सब आधार उस किताब में लिखे गये हैं जो इस महीने मेम्बरों की खिदमत में पेश कर दी गई हैं। जो साहब दरियाफ्त कर रहे हैं, अगर उनको नहीं मिली हो तो वे ले सकते हैं।

अयोध्या में सरयू नदी पर स्थायी पुल का निर्माण

*१७—**श्री मदन गोपाल वैद्य** (जिला फैजाबाद)—क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अयोध्या में सरयू नदी पर स्थायी पुल बनाने का सरकार का क्या इरादा है? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

श्री गिरधारी लाल—इस पुल की जम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है जो कि तीन वर्ष के बाद इसको बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी।

श्री मदन गोपाल वैद्य—अयोध्या में सरयू नदी पर पक्का पुल बनाने के लिये क्या सरकार ने उन तरीकों पर विचार किया है जिससे पूंजी न लगायी जाय और पुल बन कर तैयार हो जाय?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—सरकार ने नहीं किया मगर सरकार बहुत वेलकम करेगी उस तजवीज का, जो मेम्बर साहब इसके मुताल्लिक सरकार को बतलावेंगे।

गोंशाईगंज, जिला फ़ैज़ाबाद में तमसा नदी पर रणीवा आश्रम को जाने वाली सड़क पर पुल

*१८—**श्री मदन गोपाल वैद्य**—क्या यह सही है कि, गुशाईगंज, जिला फ़ैजाबाद में तमसा नदी पर रणीवां आश्रम को जाने वाली सड़क पर लकड़ी के खम्बों पर लोहे का पुल बनाया जा रहा है?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं। लकड़ी के खम्भों (पाइल्स) पर लकड़ी का पुल बनाया जा रहा है, लोहे का नहीं।

प्रतापगढ़ जिले में ढखवा प्लाण्ट से सिंचाई

*१९—**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फ़ैज़ाबाद)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ढखवा प्लांट (प्रतापगढ़) से कितनी सिंचाई हो सकी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१३ अप्रैल, १९५२ से ३० जून, १९५२ तक ४५ एकड़ भूमि में सिंचाई हुई।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इस प्लांट की सालाना सिंचाई के लिये क्या कैपेसिटी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—साधारणतः एक घंटा में आधी एकड़ जमीन सींचेगा।

पूर्ण मद्य-निषेध योजना के संबंध में सरकारी नीति

*२०—श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उसकी नीति पूर्ण मद्य निषेध (total prohibition) की है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—इस मामले में सरकार की पालिसी वही है जो भारतीय संविधान की धारा ४७ में लिखी है।

*२१—श्री बलवन्त सिंह—यदि हां, तो वह इसे कब तक पूरा करने का इरादा रखती है ?

श्री सैयद अली जहीर—इस बात की तिथि बतलाई नहीं जा सकती।

श्री बलवन्त सिंह—सरकार ने यह इरादा तो कर ही लिया होगा कि इतने सालों में इस प्रदेश में मद्य-निषेध कर दिया जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर—इसका जवाब तो मैंने दे दिया है कि इसके लिये कोई तारीख अभी मुकर्रर नहीं की गई है।

श्री बलवन्त सिंह—मेरा मतलब तारीख से नहीं है परन्तु यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह इरादा कर लिया है कि १० लसाल, २० साल में या ५० साल में इस प्रदेश में पूर्ण मद्यनिषेध कर दिया जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर—तारीख से यही मतलब था कि कोई मुद्दत अभी तय नही हुई है।

*२२—श्री बलवन्त सिंह—पिछले साल क्या आबकारी मंत्री ने मध्य-नेषेध योजना की जांच के लिये विशेष आफिसर की नियुक्त का ऐलान किया था ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं।

मुस्तफ़ाबाद जसराना सब-कैनाल, भोगनीपुर में पानी की कमी

*२३—श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)—क्या यह बात सही है कि मुस्तफ़ाबाद जसराना सब कैनाल भोगनीपुर में पानी की कमी के कारण गत कई वर्षों से हजारों एकड़ भूमि में बोई हुई फ़स्लें प्रति वर्ष सूख जाया करती है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या प्रबन्ध करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह बात सही नहीं है कि मुस्तफाबाद जसराना रजवहा में जल की न्यूनता के कारण गत कई वर्षों से हजारों एकड़ भूमि में बोई हुई फसलें सूख जाया करती हैं। गत तीन फसली वर्षों में इस रजवहे में पानी की कमी के कारण कोई हानि नहीं हुई।

श्री विष्णुदयाल वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि तीन फसलों पूर्व इस रजबहे में पानी की कमी से फसल सूख जाया करती थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस प्रश्न के लिये फिर नोटिस चाहिये।

*२४—श्री विष्णुदयाल वर्मा—क्या यह सच है कि तहसील जसराना में शाख भोगनीपुर से एक बम्बा निकालने के लिये कई बार पैमाइश की जा चुकी है ? यदि हां, तो इस पर अभी तक काम आरम्भ क्यों नहीं हुआ ?

श्री कमलापति त्रपाठी--तहसील जसराना के ग्रामों का सिंचन सुविधा प्रदान करने के लिये सन् १९३९ ई० के लगभग भोगनीपुर शाख से एक माइनर निकालने के लिये केवल एक ही बार प्रारंभिक भू-माप हुई थी। इस क्षेत्र का स्त्रोत स्तर ३० से ४० फीट के लगभग है तथा इसमें ८० से ९० प्रतिशत भूमि डाल सिंचाई (lift vrigation) के लिये उपयुक्त है। ८० से ९० प्रतिशत भूमि ऊंची होने और जल के अभाव के कारण बम्बा निकालने का कार्य आरम्भ नहीं किया गया।

श्री विष्णुदयाल वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस पैमाइश पर सरकार का कितना खर्च हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पैमाइश के खर्च की बात तो यहां नहीं है। मुझ से यदि वह चाहेंगे तो मैं बाद में बतला दूंगा।

श्री विष्णुदयाल वर्मा--क्या माननीय मंत्री यह बतलानें की कृपा करेंगे कि तहसील जसराना में सिंचाई की सुविधा देने के लिये सरकार किसी अन्य योजना पर भी विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जसराना में संभव है कि नलकूपों की कुछ योजना चले क्योंकि नलकूपों के निर्माण की जो स्कीम है उसमें मैनपुरी भी है। मुमकिन है कि भू-माप के बाद इस तहसील में भी नलकूपों की कोई व्यवस्था हो सके।

*२५-२६--**श्री रामनरेश शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--[देखिये आगे पृष्ठ २५ पर]

मिर्जापुर जिले में खजूरी भेलाही, बीडर तथा रजखड़ बन्धों का बह जाना

*२७--**श्री रामस्वरूप** (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार को मालूम है कि मिर्जापुर में सन् १९५०, ५१, ५२ में खजूरी, भेलाही, बीडर तथा रजखड़ बन्धे बनने के बाद ही पहली बारिश में बह गये और उन्हें फिर से बांधना पड़ा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह बात सही नहीं है कि खजुरी, भेलाही, बीडर तथा रजखड़ बन्धे बनने के बाद पहली ही बारिश में बह गये। वर्षा ऋतु में जल स्तर में यकायक वृद्धि होने के फलस्वरूप इन बन्धों में यत्र तत्र दरारें अवश्य हो गयी थीं जो ऐसे बंधों के लिये सामान्य परिस्थिति है।

*२८--**श्री रामस्वरूप**--इन बन्धों के बहने से प्रत्येक बांध पर कितने रुपये की क्षति हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इन दरारों के परिणाम स्वरूप प्रत्येक खजुरी तथा रजखड़ बन्धों पर लगभग ३५,००० रुपये की तथा भेलाही तथा बीडर बन्धों पर क्रमशः १३,००० रुपये तथा १[illegible],००० रुपये की क्षति हुई।

श्री रामस्वरूप--क्या यह सही नहीं है कि रजखेड़े बंधे से ५ गज १ फीट जमीन पहले से अब भी टूटी पड़ी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी कोई सूचना मुझे नहीं है।

श्री रामस्वरूप--रजखेड़ाबंधा कब टूटा और उसकी मरम्मत में क्या खर्चा पड़ेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न संख्या २८ में तो मैंने बता दिया है कि जितने की क्षति हुई, यही है जो उसकी मरम्मत पर खर्च हुआ है।

आगरा जिले में टेढ़ी बगीची से जलेसर तक सड़क का पक्की करना

*२९—**श्री उल्फ़त सिंह चौहान** (जिला आगरा)—क्या निर्माण मंत्री को विदित है कि आगरे में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से टेढी बगीची से जलेसर तक की सड़क पक्की सड़क बनवाने के लिये लिया था? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री गिरधारी लाल—इस सड़क को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कच्ची सड़क निर्माण करने के लिये लिया गया था।

इस सड़क पर मिट्टी डालने का काम पूरा हो गया है।

श्री उल्फ़त सिंह चौहान—क्या सरकार इस उत्तर को स्पष्ट करने की कृपा करेगी कि उस कच्ची सड़क को, कच्ची सड़क बनाने के लिये लिया था या पक्की सड़क बनाने के लिये लिया था?

श्री गिरधारी लाल—कच्ची बनाने के लिये यह सड़क ली गयी थी, पक्की बनाने के लिये यह नहीं ली गयी थी।

आगरा जिले में टेढ़ी बगीची जलेसर सड़क पर पुलियों की आवश्यकता

*३०—**श्री उल्फ़त सिंह चौहान**—क्या निर्माण मंत्री को यह विदित है कि आगरे में इसी टेढी बगीची जलेसर सड़क पर एक नादऊ से आगे और दूसरी मुढी जहांगीरपुर के पास पानी निकालने के लिये दो पुलियां प्रति वर्ष बनायी जाती हैं और बरसात में प्रति-वर्ष बिलकुल टूट जाती हैं? क्या सरकार इन स्थानों पर मजबूत पुल बनाने का प्रबन्ध करेगी?

श्री गिरधारी लाल—ऐसी कोई पुलिया नहीं बनाई गई।

सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लौटा दी गई है और इन जगहों पर पुल बनाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है।

टूंडला—आवागढ़ सड़क पर कच्चे टुकड़े को पक्का करना

*३१—**श्री उल्फ़त सिंह चौहान**—क्या निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि आगरे से टूंडला आवागढ़ सड़क पर टूंडला से सिकन्दर तक ८ मील का टुकड़ा अभी कच्चा पड़ा है? क्या सरकार शीघ्र ही इस टुकड़े को पक्की करने जा रही है?

श्री गिरधारी लाल—जी हां। इस टुकड़े को पक्का करने का शीघ्र ही विचार है।

आगरा में नल-कूपों की आवश्यकता

*३२—**श्री देवकी नन्दन विभव** (जिला आगरा)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में सन् १९५१ से कितने नल कूप लग चुके हैं और इस वर्ष कितने नल-कूप लगाने का विचार है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आगरा जिलें में सन् १९५१ से लेकर अब तक कोई नल कूप नहीं लगा और न इस साल लगाने का विचार है।

श्री देवकीनन्दन विभव——क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि न तो १९५१ में ही कोई नलकूप आगरा में बनाया गया और न इसी साल विचार है तो क्या इस का कोई विशेष कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी——इसका कारण मुख्य रूप से तो यह है कि आगरे के जो क्षेत्र सूखे हुये हैं, जहां पानी की कमी है वह क्षेत्र ऐसे हैं जिन का जल स्तर, स्प्रिंग लेविल बहुत नीचा है। और जहां स्प्रिंग लेविल बहुत नीचा होता है वहां नल कूप बनाना न बहुत लाभप्रद होता है, न किसानों के लिये उस का रेट देना मुमकिन हो पाता है।

श्री देवकीनन्दन विभव——क्या माननीय मंत्री जी ने इस के संबंध में कोई एक्सपेरीमेंट कराया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी——नल कूप बनाने का प्रयोग हमारे इस सूबे में बहुत हो चुका है।

*३३——**श्री देवकीनन्दन विभव**——क्या आगरे में पानी की कमी को दूर करने के लिये सिंचाई मंत्री एक बड़ी संख्या में शीघ्र नल कूप लगाने पर विचार करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी——जी नहीं, आगरा में पानी की कमी को दूर करने के लिये रामगंगा नदी पर बांध तथा रिजरवायर बनाने की योजना १५ वर्षीय योजना के दूसरे खंड में सम्मिलित है। आगरा तथा गंगा नहरों का पानी रामगंगा बांध से बढ़ा दिया जा सकेगा जिससे आगरा जिले के सूखे क्षेत्र सींचे जा सकेंगे।

१९५१–५२ में बुलन्दशहर की अदालतों में तय किये गये मुक़द्दमे

*३४——**श्री धर्म सिंह** (जिला बुलन्द शहर)——क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१, ५२ में जिला बुलन्दशहर में कितने-कितने मुकद्दमे भिन्न-भिन्न अदालतों के अधिकारियों ने तय किये ?

श्री सैयद अली ज़हीर——मांगी हुई सूचना नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५९ पर)

श्री धर्म सिंह——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५१ और ५२ में जो भिन्न-भिन्न अदालतों ने मुकदमे तय किये हैं वह कितने अरसे से चले आ रहे थे ?

श्री सैयद अली ज़हीर——यह ठीक तौर से नहीं बतलाया जा सकता। जो पहले से चले आ रहे हैं वही फैसल हुये।

*३५——**श्री धर्म सिंह**——कितने केस (मुक़द्दमे) ऐसे हैं जिनको तय करने में एक वर्ष या उससे अधिक लगा ?

श्री सैयद अली ज़हीर—दीवानी अदालत १९२८ फ़ौजदारी और माल अदालत १५५६।

श्री धर्म सिंह——मुकदमों को एक वर्ष या उससे अधिक लगने का क्या कारण है ?

श्री सैयद अली ज़हीर——उसके बहुत से कारण हैं ग़ौर एक मिजुमला यह है कि काम कुछ बढ़ गया है और जहां तक फ़ौजदारी और माल की अदालतें हैं उनमें अफसरान को अदालती काम करने का वक्त कम मिलता है। और बहुत से कारण हैं। उसके ऊपर गौर हो रहा है और कोशिश यह की जा रही है कि मुकद्दमे जल्दी फैसल हों और उनमें देरी न लगे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार को मालूम है कि एक मुकदमे को फैसल करने के लिये ३।३ साल लग जाते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जहां तक कि अदालत फ़ौजदारी का तल्लुक है गालिबन तीन साल तो नहीं लगते हैं वरना कोई बदकिस्मत मुकदमा ऐसा हो जिसमें कार्रवाई रुकती हो, लेकिन आम तौर से एक साल के अन्दर फैसले हो जाते हैं। हां अपीलों में खासकर वक्त ज्यादा लगता है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी के सामने ऐसे केसेज लाये जायं जो एक साल से ज्यादा चल चुके हैं तो उन पर कुछ कार्यवाही की जायगी ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, अगर मुझे ऐसे मुकदमों की खबर मिलेगी तो मैं इन्क्वायरी करूंगा और बतलाऊंगा कि उसकी वजह क्या है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि सरकार की तरफ से कोई आम तौर से हिदायत जिलों को पहुंचा दी गयी है कि मुकदमात जल्द फैसल किये जायं ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, ऐसी हिदायत एक दफ़ा नहीं बल्कि कई बार की जा चुकी है और वक्तन फवक्तन होती रहती है।

*३६—**श्री धर्म सिंह**—भविष्य में केसों को थोड़े समय में तय करने के लिये क्या सरकार कुछ विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर—मुकदमों का जल्दी से जल्दी फैसला करने के आम सवाल पर सरकार पहिले ही से विचार कर रही है। और इस बात के लिये कि मुकदमों का फैसला जल्दी से जल्दी हो जुडिशल सरविस का काडर बढ़ा दिया गया है। कुछ सब रजिस्ट्रारों को जो एल० एल० बी पास हैं और जिनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी दूसरे दरजे के मजिस्ट्रेटों के अधिकार प्रदान कर दिये गये हैं। इसी तरह से जरूरत के मुताबिक माल अदालतों की संख्या भी जहां जरूरी समझा गया बढ़ा दी गई है। सरकार ने एक जुडिशियल रिफार्म्स कमेटी भी इस उद्देश्य से नियुक्त की कि वह अदालतों की मौजूदा कार्यविधि (practice) और प्रक्रिया (proceidure) की जांच करके उसमें परिवर्तन करने के संबंध में सुझाव दें जिससे कि मुकदमों के फैसले जल्दी से जल्दी हो सकें। कमेटी की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। कमेटी की सिफारिशों की प्रतीक्षा किये बिना सरकार ने विभिन्न वर्गों की अदालतों के हुक्मनामें तामील करने और प्रतिलिपियां (copies) तैयार करने के विभागों की कार्य क्षमता (efficiency) बढ़ाने के लिये कार्यवाही की है। साथ ही साथ अदालत में मुकदमों के जल्दी फ़ैसले के लिये समय समय पर आदेश आवश्यकतानुसार जारी किये गये हैं। और भविष्य में जुडिशल रिफार्म्स कमेटी की सिफारिशों पर गौर करने के बाद और आदेश भेजे जायेंगे।

*३७—३९—**श्री गुप्तार सिंह** (जिला रायबरेली)—[१६ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*४०—४२—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय** (जिला आजमगढ़)—[१६ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*४३—४५—**श्री गंगा प्रसाद** (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २५ पर]

*४६–४७—श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती) (अनुपस्थिति)— [देखिये आगे पृष्ठ २५-२६ पर]

*४८–५०—श्री मती लक्ष्मीदेवी (जिला हरदोई) (अनुपस्थिति)— [देखिये आगे पृष्ठ २६ पर]

*५१–श्री गौरीराम (जिला गोरखपूर) (अनुपस्थित)—[१६ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया ।]

*५२–५३—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २६ पर]

* ५४–५५—श्री नारायण दत्त तिवारी—(जिला नैनीताल)—[९ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये ।]

बुलन्दशहर जिले की सिकन्दराबाद तहसील में जेवर रजबहे से सिंचाई

*५६—श्री केवल सिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर, तहसील सिकन्दराबाद के क्षेत्र में माटू ब्रांच नहर ने रजवाह (बम्बा) जेवर को सन् १९५२ ई० की रबी और खरीफ की फसल में किन किन तिथियों में पानी दिया और कितनी जमीन की आबपाशी हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तिथियों की तफसील मेज़ पर रक्खी हुई विवरण पत्रिका में दी हुई है। इस रजबाहे से रबी १३५९ में ३९५१ एकड़ और खरीफ़ १३६० में १५७३ एकड़ जमीन की आबपाशी हुई ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६३ पर)

श्री केवल सिंह—क्या सरकार जांच कराने पर किसानों की हानि के फलस्वरूप आबपाशी में उनको छूट देगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार के पास कोई सूचना अभी तक इस बात की नहीं है कि किसानों को कोई हानि हुई है इस पानी के कारण। यदि कोई हानि हुई हो और उसकी सूचना आयेगी तो सरकार अवश्य विचार करेगी ।

मुज़फ़्फ़रनगर तथा शामली में शरणार्थियों के क्वार्टर्स

*५७—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि मुजफ्फरनगर व शामली कस्बे में सरकार ने जो शरणार्थियों के लिये क्वार्टर्स बनाये हैं वे सब चूते हैं ?

श्री गिरधारी लाल—पहली वर्षा में जिन क्वार्टरों में इस प्रकार की शिकायत हो गयी थी उनकी मरम्मत करा दी गई है और अब कोई शिकायत नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जो मरम्मत इस प्रकार से कराई गयी है वह बहुत ही असंतोषजनक है ?

श्री गिरधारी लाल—मेरे पास जो सूचना आयी है उससे मैं यही जानता हूं कि जो मरम्मत करायी गई है वह संतोषजनक है ।

*५८---श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या निर्माण मंत्री के पास इस संबंध में जिलाधीश, मुजफ्फरनगर व पुरुषार्थी लोगों की ओर से कोई शिकायत आयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारी लाल---जी नहीं।

*५९---श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या निर्माण मंत्री स्वयं उनको देखने अथवा किसी बड़े अधिकारी द्वारा उनकी जांच कराने का इरादा रखते हैं ?

श्री गिरधारी लाल---इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है।

*६०-६२---श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ २६-२७ पर]

*६३---श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ २७ पर]

एटा जिले के पचलाना परगने में ट्यूबवेलों का प्रबंध

*६४---श्री बाबूराम गुप्त (जिला एटा)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला एटा के अन्तर्गत पचनाला परगने में कोई सिंचाई का उपयुक्त साधन तथा प्रबन्ध होने से जिन ट्यूबवेलों को सरकारी लागत से पिछले २, ३ वर्षों में बनवाया गया है वह लाइन वगैरह सब खिच जाने पर भी अभी तक चालू अवस्था में नहीं हुये हैं ? इसका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बिजली के अभाव से ही यह नलकूप अब तक चालू नहीं किये जा सके हैं। विद्युत शक्ति के लिये आवश्यक (Transmission lines व Transformers) का प्रबन्ध केवल जुलाई १९५२ के मध्य में ही हो पाया है और उसी समय से गूलों का निर्माण तथा मशीनों के लगाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। आशा है कि अगली फसल रबी में इन नलकूपों से सिंचाई के लिये पानी मिलने लगेगा।

श्री बाबूराम गुप्त---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन नल कूपों का निर्माण कार्य कब से जारी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुझे तिथि तो याद नहीं है लेकिन मेरा खयाल है कि पिछले साल डेढ़ साल से जारी है।

श्री बाबूराम गुप्त---क्या सरकार इस बात को बतलाने की कृपा करेगी कि जब इनका निर्माण कार्य आरम्भ हुआ उस समय सरकार को बिजली कहां से मिलने की आशा थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बिजली तो है, ट्रांशमिशन लाइन वगैरहका प्रश्न है जिसके लिये आवश्यक सामान उपलब्ध करने में बिलम्ब होता ही है। अब वह सामान उपलब्ध हो गया है और मैं समझता हूं आगामी रबी से आपको पानी मिलने लगेगा।

श्री बाबूराम गुप्त---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन नलकूपों से कितनी जमीन की सिंचाई हो सकेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---साधारणतया ४००/४५० एकड़ सिंचाई एक नल कूप से हो सकेगी।

*६५—श्री बाबूराम गुप्त—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन नल कूपों (tube-wells) में कितना धन सरकार का व्यय हो चुका है वह किस किस स्थान पर लगाये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन कूपों का निर्माण कुल ६८,८९४ रुपया की लागत पर हुआ है तथा यह निम्न स्थानों में बनाये गये हैं :—

अगोली, खेड़ा मई, पचोरा जंगल, गोहाटी, नगला उलफत, खंडला, नमैनी तथा हरजी का नगला।

*६६—श्री बाबूराम गुप्त—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि नलकूपों (tube-wells.) को चलाने के लिये अभी तक बिजली की शक्ति उन स्थानों तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था की गई है अथवा नहीं ? यदि हां, तो कब तक उनके चालू हो जाने की आशा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पहले प्रश्न के उत्तर में यह सूचना दे दी गई है।

पी० डब्ल्यू० डी० के एक असिस्टेंट इंजीनियर का कौंसिलर्स रेजीडेंस में ठहरना

*६७—श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बतलायेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० के एक असिस्टेंट इंजीनियर ने जो कौंसिलर्स रेजीडेंस में रह चुके हैं कितना किराया मई तथा जून के महीने के लिए दिया है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—विधायक निवास में मई और जून के महीने में किसी असिस्टेंट इंजीनियर को कमरा नहीं दिया गया अतः किराया का कोई प्रश्न नहीं उठता।

*६८—श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार को यह मालूम है कि महीनों से एक इंजीनियर की मोटर बिना किराया दिये एक सरकारी गराज में रखी जाती है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

*६९-७१—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

[देखिये आगे पृष्ठ २७ पर]

अधिक अन्न उपजाओ योजना के अंतर्गत शारदा नहर की शाखाओं में पानी की वृद्धि

*७२—श्री चन्द्रपाल वाजपेयी (जिला रायबरेली)—क्या सूचना मंत्री यह बतलाने की कृपया करेंगे कि अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत शारदा नहर में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत १९४५ से अब तक २,०२५ मील लम्बी शारदा नहर प्रसार की योजनायें स्वीकार की गई है। इनमें से १,६९१ मील नहरें बन चुकी हैं और १,६०० मील लम्बी नहरें सिंचाई के लिये खोली जा चुकी हैं।

*७३—श्री चन्द्रपाल वाजपेयी—क्या जिस अनुपात में शारदा नहर की शाखायें उपशाखायें बढ़ाई गई हैं, उसी मात्रा में शारदा नहर में पानी भी बढ़ाने का प्रबन्ध हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुख्य शारदा नहर में उपलब्ध पानी २,०२५ मील लम्बी शारदा नहर प्रसार के लिये पर्याप्त समझा गया है।

श्री चन्द्रपाल वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि शारदा नहर में नई शाखाओं के बढ़ने के कारण पुरानी शाखाओं के लिये पानी कम पड़ गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, इस बात की सूचना आई है कि पानी की कमी है और उसके लिये प्रबन्ध किया जा रहा है कि शारदा का पानी बढ़े ।

श्री चन्द्रपाल वाजपेयी---यह प्रबन्ध कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---माननीय सदस्य ने बजट देखा होगा उसमें सारी योजनायें दी हुई हैं । इस काम को तुरन्त लगाने जा रहे हैं । शारदा नहर में ९,५०० क्यूसेक्स पानी है और २,००० क्यूसेक्स पानी को बढ़ाने की योजना चालू है और वह शीघ्र ही पूरी होगी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जाड़े के दिनों में जब शारदा में ५,००० क्यूसेक्स पानी रह जाता है तो उसके लिये क्या प्रबन्ध हो रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---शारदा में जो पानी बढ़ाया जा रहा है वह मई से बढ़ जायगा जब कि शारदा में बढ़ता है और जाड़ों के लिये पानी मिल सके उसके लिये दूसरी योजना है जो रिजरवायर बनाने की है उसको आप जानते होंगे ।

यातायात की सुविधा के लिये हाथरस के बाहर सड़क बनाने की योजना

*७४---श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह हाथरस में होकर गुजरने वाले ट्रैफिक को शहर से बाहर होकर गुजरने के लिये नई सड़क (side road) बनाने के ऊपर विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि जिनके आधार पर हाथरस में ट्रैफिक के लिये काज वे बनाने की सरकार आवश्यकता नहीं समझती है ?

श्री गिरधारीलाल---इसके लिये ४/५ लाख रुपया खर्च होगा, रुपये की कमी है और भी जगहों में आवश्यकता है ऐसी हालत में उसको बनाने की कोई खास जरूरत नहीं समझी जाती है ।

*७५--७७---श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)---[१६ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये ।)

*७८--८०---श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)---[२३ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये ।]

हमीरपुर जिले में ब्रह्मा नदी पर पुल बनाने की योजना

*८१---श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जिले की कुलपहाड़-राठ रोड पर छतेसर (ब्रह्मा नदी) का पुल बनाने की कभी कोई योजना स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

श्री गिरधारीलाल---ऐसी कोई योजना सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गयी है ।

*८२---श्री जोरावर वर्मा---क्या निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पुल का निर्माण किया जाना क्यों स्थगित कर दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—यह सवाल पैदा नहीं होता।

*८३—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या सरकार इस पुल के निर्माण का अब भी विचार रखती है? यदि हां तो कब तक?

श्री गिरधारीलाल—इस विषय में अभी ठीक तौर से कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सच है कि पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा कभी उस नदी पर पुल बनाने के लिये सर्वे किया गया था और लाखों गुम्मे तैयार कराये गये थे?

श्री गिरधारीलाल—मैंने आपको यह बतलाया कि इस नदी पर कोई पुल बनाने की योजना नहीं थी। जहां तक सर्वे कराने की बात है जहां जरूरी समझा जाता है वहां पर पुल और काज वे आदि सब चीजों के लिये सर्वे कराया जाता है और उसका खर्चा निकाला जाता है और जो चीज खर्चे की निगाह के साथ साथ आवश्यक समझी जाती है उसे बनाया जाता है। यहां पर काज वे बनाया गया है पुल नहीं बनाया गया है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सच है कि इस पुल के लिये लोहा और सीमेंट कुलपहाड़ राठ रोड पर पहुंच गया था और फिर वापस कर दिया गया?

श्री गिरधारी लाल—इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है।

*८४-८५—**श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव** (जिला बहराइच)—[१६ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर ज़िले के सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीली वस्तुओं का क्रय-विक्रय

*८६—**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार को पता है कि जौनपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में नशीली वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता है? यदि हां, तो उसके रोक थाम का क्या प्रबन्ध किया जा रहा है?

श्री सैयद अलीज़हीर—इस विषय के विशेष आंकड़े इकट्ठा नहीं किये जा सके हैं। परन्तु हर एक ऐसे जिले की तरह जिसमें मद्य निषेध है, जौनपुर जिले के संबंध में भी सरकार ने इस बात की रोकथाम के लिये सीमावर्ती जिलों की आबकारी दूकानों पर नशे की चीजों की बिक्री मामूली से अधिक न बढ़े और ऐसी चीजें चोरी से जौनपुर जिले में न ले जाई जा सकें निम्नलिखित उपाय किये हैं।

१—जौनपुर की सीमा से लगे हुये पांच ऐसे जिलों में जिनमें मद्यनिषेध नहीं है (इलाहाबाद, फैजाबाद, आजमगढ़, गाजीपुर तथा बनारस में) जौनपुर की सीमा से पांच मील तक की सभी आबकारी दूकानें बन्द कर दी गई हैं।

२—ऊपर लिखे हुये पांचों जिलों की दूकानों पर बिक्री के लिये देशी शराब पिछले तीन साल, यानी १९४६-४७ ई०, १९४७-४८ ई० तथा १९४८-४९ ई० की औसत बिक्री से अधिक नहीं दी जाती है।

३—जौनपुर जिले का अफीम का कोटा भी हर साल १२॥ फीसदी कम कर दिया जाता है।

४—यदि ऊपर लिखे हुये उपायों के होते हुये भी इन पांचों जिलों की किसी भी आबकारी दूकान पर बिक्री गैरमामूली तरीके पर बढ़ती हुई पाई जाय और ऐसा विश्वास हो कि दूकानदार उन चीजों का बेजा प्रयोग करते हैं तो उस दूकान पर बिक्री के लिये दी जानेवाली नशे की चीज को कम कर देने का पूर्णाधिकार जिलाधिकारियों को है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेगें कि उनको इस बात का पता है कि जौनपुर जिले में पारसलों के रुप में बजरिये डाक गांजा और चरस आता है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो बिलकुल अलग सवाल है। इसके मुताल्लिक मेरे पास कोई खबर नहीं है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेगें कि केवल आसपास के जिलों से ही प्रान्त के समीप के बाहरी क्षेत्रों से भी इस जिले में नशीली चीजों आती हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—इसकी कोई इत्तिला तो सरकार के पास नहीं है, अगर आती हैं तो उसके खिलाफ पूरी कार्यवाही की जाती है। अगर ऐसा छिपछिपा कर होता होगा तो उसके लिये हर कोशिश को जो माननीय सदस्य बतलायेंगे सरकार करने को तैयार है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी— क्या माननीय न्याय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेगें कि इस सम्बन्ध में कुछ केस जौनपुर में पकड़े गये थे ?

श्री सैयद अली जहीर—इसके लिये नोटिस की जरुरत है।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जब कि जौनपुर में नशाखोरी बन्द है तो क्या वजह है कि उसके आसपास के जिलों में बन्द नहीं की जाती ?

श्री सैयद अली जहीर—इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं कि यह आम पालिसी का सवाल है उसके मुताल्लिक अभी कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है।

*८७–८८—**श्री दलबहादुर सिंह** (जिला रायबरेली)—[५ सितम्बर, १९५२, के लिए संख्या ७९–८० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*८९—**श्री बेचनराम गुप्त** (ज़िला बनारस) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २८ पर]

*९०–९२—**श्री श्रीनिवास** (ज़िला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २८ पर]

*९३—**श्री श्रीचन्द** (जिला मुज़फ्फरनगर)–[१६ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

शाहजहांपुर जिले के परगना खेड़े बझेड़ा में सिंचाई के साधनों का अभाव

*४९—**श्री भगवान सहाय** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार को इस बात का पता है कि शाहजहांपुर जिले के परगने खेड़े बझेड़ा में आबपाशी की कोई व्यवस्था नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—परगना खेड़ा बझेड़ा का कुछ क्षेत्र जो बैहगुल और रामगंगा नदी के मध्य में स्थिति है, नहरों द्वारा सींचा जाता है। अन्य क्षेत्र, जो नहर अधिक्षेत्र से बाहर हैं, उसमें सिंचाई की व्यवस्था नहीं है।

*९५—**श्री भगवान सहाय**—क्या सरकार बहबुल नदी को बांध कर इस उपजाऊ इलाके की आबपाशी का कोई शीघ्र बन्दोबस्त करने की योजना पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, नहर अधिक्षेत्र से बाहर वाला क्षेत्र अधिकतर बहुत से नालों में कटा हुआ है और रामगंगा की बाढ़ का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। इस कारण से इस क्षेत्र की सिंचाई बैहगुल नदी में बांध बनाने पर उचित रूप तथा समुचित व्यय से नहीं की जा सकती।

श्री भगवान सहाय—तो क्या वह किसी एक्सपर्ट की इन्क्वायरी के बाद दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अगर माननीय सदस्य का मतलब सर्वे से है तो उसका सर्वे हो चुका है और यह जवाब जांच पड़ताल के बाद दिया गया है ।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सर्वे कब हुआ और किसने किया था ?

श्री कमलापति त्रपाठी—जी हां, इसके लिये सूचना चाहिये ।

*९६—**श्री भगवान सहाय**—क्या सरकार ने शारदा हाइड्रेल स्कीम के मातहत कोई ट्यूब वेल की योजना इस इलाके को सीचने के लिये बनाई है ? अगर हां, तो वह क्या है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उपरोक्त कारणों से ट्यूबवेल से भी सिंचाई की योजना संभव नहीं है ।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसा कौन सा कारण है कि जिनके कारण ट्यूबवेल इस इलाके में कामयाब नहीं हो सकते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ट्यूववैल के संबंध में मैं निवेदन कर चुका हूं कि ट्यूबवैल वहीं पर सरलता से बनता है जहां पर जलस्तर ऊंचा हो और जहां पर जलस्तर नीचा है और समतल नहीं है वहां पर वह संभव नहीं है ।

*९७–९८—**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—
[देखिये आगे पृष्ठ २८-२९ पर]

राज्य की नशा-निषेध-समितियां

*९९—**श्री रामजीलाल सहायक** (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मद्य निषेध विभाग की ओर से प्रान्त में कितनी नशा विशेष समितियां हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—मद्य-निषेध विभाग की ओर से प्रांत में केवल ५३ नशा-निषेध-समितियां हैं ।

श्री रामजीलाल सहायक—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समिति के पदाधिकारी अर्थात् चेयरमैन और खजान्ची कौन लोग होते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—अमूमन् इसके आफिस बियरर जो होते हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो इसका चेयरमैन होता है और सदर तहसील का जो ट्रेजरार होता है वही इस बोर्ड का खजांची होता है ।

श्री रामजीलाल सहायक—क्या मंत्री महोदय कृपा कर बतलायेंगे कि इन समितियों की बैठक वर्ष में कितनी होना अनिवार्य है ?

श्री सैयद अली जहीर—क़ायदे की रू से साल में कम से कम २ होना ही चाहिये ।

*१००—**श्री रामजीलाल सहायक**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिलों की नशा-निषेध-समितियों में से प्रति समिति को कितनी सहायता दी जाती है ?

श्री सैयद अली जहीर—नशा-निषेध-समितियों को आर्थिक सहायता देने की कोई निश्चित रकम नहीं निर्धारित है । यह सहायता समितियों की आवश्यकता को तथा उपलब्ध फंड को देखते हुये दी जाती है ।

श्री रामजीलाल सहायक—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतावेंगे कि इन समितियों की आर्थिक सहायता की आवश्यकता किस प्रकार जानी जाती है ?

श्री सैयद अली ज़हीर—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि इन समितियों में कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जो खुद नशे में विश्वास करते हैं ?

श्री सैयद अली ज़हीर—मेरे ख्याल में माननीय सदस्य को ज्यादा मालूम होगा, मुझे तो इस का पता नहीं है।

भाखरा डैम से पश्चिमी ज़िलों की सिचाई के लिये बिजली का क्रय

*१०१—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भाखरा डैम से पश्चिमी जिलों की सिंचाई के हेतु बिजली प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार से बातचीत चल रही है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—उत्तर प्रदेश में हिन्द सरकार की मारफत भाखरा प्रोजेक्ट से यह पैगाम आया था कि इस प्रोजेक्ट की बिजली उत्तर प्रदेश के पश्चिम के जिलों के लिये खरीदी जाय। इस पर चीफ इंजीनियर साहब ने चन्द जरूरी बातें मालूम करने के लिये लिखा है। जवाब आने के बाद यह तय किया जायेगा कि आया इस बिजली के खरीदने की बात चीत की जाय या नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतावेंगे कि चीफ़ इंजीनियर महोदय ने किन किन जरूरी बातों को भारत सरकार से मालूम करने के लिये लिखा है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—वह बातें यह होती है कि किस क़दर क्वानटिटी में बिजली देंगे किस भाव में देंगे, ट्रांसमिशन लाइन इस सरकार के खर्च पर बनेगी या उस सरकार के और दूसरी इसी किस्म की बातें होती हैं जो दरयाफ्त की जाती हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मंत्री जी कृपा कर के बतलावेंगे कि भारत सरकार से लिखापढ़ी कब से चालू की गई है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—इसी साल के अन्दर की बात है।

*१०२—**श्री रामचन्द्र विकल**—[१६ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

मद्य-निषेध के संबंध में सरकार की नीति

*१०३—**श्री गंगाधर शर्मा** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि वह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में पूर्णतया मद्य-निषेध करने के लिये कृत-प्रतिज्ञ है ? यदि हां, तो कितने वर्षों में मद्य निषेध हो जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री गंगाधर शर्मा—क्या मंत्री महोदय जी कृपया बतलावेंगे कि इस विषय में पूर्ण निश्चय होने में कौन कौन सी कठिनाई है ?

श्री सैयद अली ज़हीर—इस वक्त तो मैं यह बतलाने को तैयार नहीं हूं लेकिन अगर वह चाहें तो उनको मैं इत्तिला दे सकता हूं।

*१०४—**श्री गंगाधर शर्मा**—क्या यह सच है कि प्रत्येक जिले में जिले का एक्साइज आफिसर ही वहां की टेम्परेन्स तथा सोशल अपलिफ्ट सोसाइटी का प्रेसीडेंट होता है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं।

श्री गंगाधर शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी उन उन जिलों में जहां जहां एक्साइज आफ़िसर और मद्यनिषेध आफ़िसर एक ही हैं, उनको अलग अलग नियुक्त करने की कृपा करेंगी ?

श्री सैयद अली जहीर---सरकार के नजदीक इस में कोई हर्ज नहीं है कि एक ही अफ़सर दोनों काम करें लेकिन अगर माननीय सदस्य समझते हैं कि यह ठीक नहीं है तो इस पर गौर हो सकता है।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलावेंगे कि यह जो एक्साइज आफ़िसर और मद्यनिषेध आफ़िसरों की कम्बाइन्ड पोस्ट के आदमी हैं क्या उन को हिदायतें दी गई हैं कि वह इतने घंटे एक्साइज का काम करें और इतने घंटे मद्यनिषेध का काम करें ?

श्री सैयद अली ज़हीर---मेरे ख्याल में वह दोनों का काम हर वक्त करते हैं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या जिन जगहों में नशीली चीजों की बिक्री बिलकुल बन्द हो गई है वहां सरकार दूकानें अविलम्ब उठा देगी ?

श्री सैयद अली ज़हीर---जिन लोगों के पास लाइसेंस होता है उन्हीं को खरीदने का अख्तियार होता है, वैसे वहां पर दूकान कोई नहीं है।

श्री पुत्तूलाल---क्या सरकार को ज्ञात है कि जिन जिलों में कम्पलीट प्राहिबिशन है वहां इल्लीसिट डिसटिलेशन बहुत बढ़ गया है ?

श्री सैयद अली जहीर---इस की कोई पक्की खबर सरकार के पास नहीं है लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि इल्लिसिट डिसटिलेशन रोका जाय और यह कोशिश बराबर जारी है।

नगर रसरा, ज़िला बलिया से मुंसफी का हटाने क कारण

*१०५---**श्री गंगा प्रसाद सिंह**---क्या सरकार को विदित है कि नगर रसरा, जिला बलिया में कुछ वर्ष पूर्व तक मुंसफी थी ? यदि हां, तो उसको अन्यत्र हटाने के क्या कारण थे ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, काम की कमी की वजह से मुंसिफ रसड़ा की अदालत तोड़ दी गई।

बलिया के लिये स्वीकृत नलकूपों का निर्माण

*१०६---**श्री गंगा प्रसाद सिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया के लिये स्वीकृत ट्यूबवेल का बनना कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बलिया जिले के लिये स्वीकृत नलकूपों का निर्माण कार्य शीतकाल में आरम्भ होगा। जांच पड़ताल कार्य शीघ्र ही आरम्भ होने जा रहा है। इन कपों के बनाने के लिये आजमगढ़ में एक नलकूप डिवीजन खुल गया है।

श्री गंगा प्रसाद सिंह---शीतकाल का अभिप्राय किस शीतकाल से है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---आने वाले शीतकाल से है।

*१०७---**श्री गंगा प्रसाद सिंह**---क्या यह सच है कि ये स्वीकृत ट्यूबवेल सर्वप्रथम अग्रगामी विकास योजना (Pilot Project Area) क अन्तर्गत क्षेत्रों में लगेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बलिया जिले के नलकूपों की स्थिति जांच पड़ताल के बाद निश्चित की जायगी।

*१०८-१०९---श्री राजनारायण (जिला बनारस) (अनुपस्थित)---

[देखिये आगे पृष्ठ २९ पर]

* * * *

बजट सम्बन्धी साहित्य के हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित होने का व्यय

*१---श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (अनुपस्थित)---क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बजट सम्बन्धी साहित्य हिन्दी तथा अंग्रेजी दो भाषाओं में प्रकाशित होने के कारण सरकार को कितना अधिक व्यय करना पड़ता है।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---एक नक़शा नत्थी किया गया है जिसमें वह व्यय दिखाया गया है जो १९५२-५३ में बजट साहित्य के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करणों की छपाई के सम्बन्ध में हुआ है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६५ पर)

*२---श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (अनुपस्थित)---क्या आडिट अकाउन्ट व अप्रोप्रिएशन अकाउन्ट भी अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करके प्रकाशित किये जाते हैं? यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होता है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---जान पड़ता है कि आडिट एकाउन्ट का मतलब इस राज्य सरकार के फाइनेंस एकाउन्ट्स से है। फाइनेंस एकाउन्ट्स (वित्त लेखे) और एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स (विनियोग लेखे) अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करके प्रकाशित किये जाते हैं। १९४९-५० के फाइनेंस एकाउन्ट्स (वित्त लेखे) और एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स (विनियोग लेखे) की छपाई पर जो खर्च हुआ उसका ब्योरा इस प्रकार है :

	हिन्दी संस्करण	अंग्रेजी संस्करण
	रु०	रु०
(क) एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स (विनयोग लेखे)	२,७६०	३,४३५
(ख) फाइनेंस एकाउन्ट्स (वित्त लेखे)	१,१४५	१,१५०

*३---श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (अनुपस्थित)---क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बजट की तैयारी में वित्त विभाग के कितने कर्मचारियों को अतिरिक्त पारिश्रमिक मिलता है तथा बजट के लिए कितना रुपया खर्च कर कितने अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---वित्त विभाग के उन कर्मचारियों को, जो कि बजट तैयार करते हैं, असाधारण रूप से अधिक और सख्त मेहनत करनी पड़ती है और उन्हें लम्बे अर्से से पारिश्रमिक मिलता आया है। पिछले साल ८० व्यक्तियों को, जिसमें २४ अदना दर्जे के नौकर भी शामिल थे, पारिश्रमिक दिया गया था।

१९४९ ई० में वित्त विभाग का पुनस्संगठन हुआ था और तब से और बजट सेशन में बढ़े हुए काम को निबटाने के लिये अपर डिवीजन असिस्टेंट की ३ अस्थायी जगहें, लोअर डिवीजन असिस्टेंट की एक अस्थायी जगह और चपरासी की एक अस्थायी जगह हर साल

बनाई जाती रही है। इस सम्बन्ध में जो अतिरिक्त व्यय होता है वह अस्थायी जगहों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों को मिलने वाले वास्तविक वेतन पर निर्भर होता है। १९४९–५० से अब तक जो खर्च हुआ उसका ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	व्यय रु०
१९४९–५०	६,७३२
१९५०–५१	४,६७१
१९५१–५२	५,६४७
१९५२–५३	२,७२६

* * * *

प्रतापगढ़ जिले में सई तथा चमरोड़ा नदियों में बाढ़ आने से यातायात में बाधा

*२५—श्री रामनरेश शुक्ल (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि बरसात में प्रतापगढ़ जिला में सई नदी तथा चमरोड़ा नदी के बढ़ जाने से यातायात बिल्कुल बन्द हो जाता है और सम्पूर्ण अठेहा परगना तथा अधिक हिस्सा गड़वारा का सम्बन्ध शेष जिले से टूट जाता है।

श्री गिरधारी लाल—जी हां।

*२६—रामनरेश शुक्ल (अनुपस्थित)—क्या सरकार इन नदियों पर या दो में से किसी एक पर पुल बनवाने को सोच रही है?

श्री गिरधारी लाल—ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

* * * *

गोंडा जिले में नवाबगंज से कर्नेलगंज तक सड़क का निर्माण

*४३—श्री गंगाप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में नवाबगंज से कर्नेलगंज तक जो सड़क सन् १९४९–५० में बनना शुरू हुई थी वह कहां तक बनाई गई है?

श्री गिरधारी लाल—केवल मिट्टी का काम इस सड़क पर हुआ है।

*४४—श्री गंगाप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि अब उक्त सड़क का काम रोक दिया गया है? यदि हां, तो किसकी आज्ञा से?

श्री गिरधारी लाल—जी हां, सरकार की आज्ञा से।

*४५—श्री गंगाप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार अब उक्त सड़क का कार्य जारी करने का विचार रखती है? अगर जवाब हां में है, तो कार्य कब और किस माह से शुरू होगा?

श्री गिरधारी लाल—जी हां, किन्तु केवल परसपुर कर्नलगंज सड़क पर। काम बरसात के बाद आवश्यक सामग्री मिलने पर आरम्भ होगा।

जिला बस्ती में बांसी–नौगढ़ सड़क का निर्माण

*४६—श्री प्रभुदयाल (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांसी-नौगढ़ (बस्ती) की सड़क कब तक पक्की बनकर तैयार होगी?

श्री गिरधारी लाल—यह बतलाना संभव नहीं है।

*४७—श्री प्रभुदयाल (अनुपस्थित)—क्या निर्माण मंत्री बतलायेंगे कि बांसी नौगढ़ पक्की सड़क बनाने के बीच जो नाले और नदियां पड़ती हैं उन पर पुल बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं।

हरदोई जिले की सड़कें तथा उन के पुलों की मरम्मत

*४८—श्रीमती लक्ष्मीदेवी (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में कितनी सड़कें पी० डब्ल्यू डी० के अधिकार में हैं।

श्री गिरधारी लाल—मांगी हुई सूचना की एक तालिका माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६६ पर)

*४९—श्रीमती लक्ष्मीदेवी (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि संडीला-भरावन रोड पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत कई सालों से है ? यदि हां, तो उसकी मरम्मत की गयी है ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं।

*५०—श्रीमती लक्ष्मीदेवी (अनुपस्थित)—संडीला तहसील, जिला हरदोई में कितने पुल सही हालत में हैं, कितनों पर काम हो रहा है तथा कितने टूटे पड़े हैं ?

श्री गिरधारी लाल—निर्माण विभाग की केवल लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर सड़क संडिला तहसील में से निकलती है। उसकी सब पुल और पुलियां अच्छी हालत में हैं।

* * * *

गाजीपुर जिले में गोधनी नाले पर बांध के निर्माण की योजना

*५२—श्री शिवपूजन राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि गाजीपुर जिले के परगना जुहराबाद व पचोतर के कुछ तालों तथा गोधनी नाले पर पानी के निकास और सिंचाई के लिये किसी बांध की योजना की गयी है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—गाजीपुर जिले के गोधनी नाले पर मेख ग्राम के निकट एक बांध की योजना की गई है।

*५३—श्री शिवपूजन राय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो उस बांध के सम्बन्ध में क्या प्रगति हो चुकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह बांध लगभग समाप्त हो चुका है और अब रेगुलेटर के निर्माण का कार्य चल रहा है। यह रेगुलेटर आवश्यकतानुसार पानी के नियंत्रण करने का एक अति उत्तम साधन होगा।

* * * *

नानपारा—बहराइच रोड को पक्का बनाना

*६०—श्री बसन्तलाल शर्मा (अनुपस्थित)—क्या निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि २१ मील लम्बी नानपारा बहाराइच रोड को पक्का बनाने के लिए जो धन स्वीकृत हुआ था उसमें से कितना व्यय हो चुका है और कितना अभी० व्यय होने को है तथा उस सड़क में की कितनी मील सड़क पक्की बन चुकी है।

श्री गिरधारी लाल—मार्च, १९५२ तक कुल ४,३५,००० रु० इस सड़क पर खर्च हो चुके हैं। सड़क को पूरा करने में ७,५८,००० रु० और लगेंगे। इस समय तक केवल दो मील पक्का हो चुका है। बाकी मीलों पर मिट्टी डालने और पुलियों का काम हो गया है।

*६१—श्री बसन्तलाल शर्मा (अनुपस्थित)—क्या उक्त मार्ग के निर्माण के लिये कोई अवधि भी निश्चत हुई थी? यदि हां, तो उसमें कितना काल अभी अवशिष्ट है?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं।

बहराइच जिले में "धर सौती पुल" के निर्माण पर व्यय

*६२—श्री बसन्तलाल शर्मा (अनुपस्थित)—क्या निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नानपारा से तीसरे मील पर स्थित "धर सौती पुल" के निर्माण में कितना धन व्यय हुआ और उस पुल की कितने समय की गारण्टी है?

श्री गिरधारी लाल—यह लकड़ी का पुल है जिसके निर्माण में २७,५०० रुपया व्यय हुआ। यह लगभग २५ साल चल सकता है परन्तु इसकी कोई गारण्टी नहीं दी जा सकती।

मिर्जापुर नगर को गंगा में पानी बढ़ने से खतरा

*६३—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि मिर्जापुर शहर के किनारे को गंगा नदी काटती जा रही है और शहर का प्रमुख हिस्सा खतरे में है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मिर्जापुर शहर गंगा नदी के घुमाव के बाहरी तट पर स्थित है। अतः इसे भारी बाढ़ से प्रति वर्ष कुछ न कुछ क्षति पहुंचनी अनिवार्य है। किन्तु क्षति की मात्रा कुछ अधिक नहीं है, क्योंकि पिछले ३० वर्षों में लगभग १५ से २० फीट तक भूमि नष्ट हुई है।

सरकार इस स्थिति के प्रति सतर्क है और मिर्जापुर शहर की क्षति को रोकने के लिए उचित उपाय करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

* * * *

विद्युत् का उत्पादन तथा विवरण

*६९—श्री नन्दकुमार वाशिष्ठ—(अनुपस्थित) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में विद्युत के उत्पादन और वितरण के क्या अंक हैं?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—सन् १९५१ ई० में ५६,७१,३६,००० यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ और ४५,२४,५३,००० यूनिट का वितरण हुआ।

*७०—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उद्योग धंधों पर कितने किलोवाट और निजी घरेलू व्यवहार के लिए कितने किलोवाट विद्युत व्यय होती है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—सन् १९५१ ई० में उद्योग धंधों में ३६,५६,-५३,००० यूनिट और घरेलू व्यवहार में ८,६८,००,००० यूनिट बिजली व्यय हुई।

हाथरस ब्रांच नहर में पानी की कमी

*७१—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि आज से तीन वर्ष पहिले जब कि मथुरा से हाथरस ब्रांच नहर का सम्बन्ध नहीं था महीने में १५ दिन ये नहर पानी देती थी और अब केवल ६ दिन ही चलती है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, हाथरस ब्रांच के लोअर डिवीजन, आगरा नहर में संक्रमित होने के पूर्व प्रतिमास औसतन २४ दिन चलती थी और अब भी उतने ही दिन चलती है।

* * * *

बनारस जिले में ट्यूब वेल लगाने की योजना

*८९--**श्री बेचन राम गुप्त** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि बनारस जिले में ट्यूब वेल लगाने की क्या योजना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पन्द्रह वर्षीय योजना के अन्तर्गत बनारस जिले में ३०० नलकूपों के निर्माण का आयोजन है। इनमें १०० नलकूपों का निर्माण योजना के प्रथम पांच वर्ष में सम्भव हो सकेगा यदि केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त सहायता प्राप्त हो जाती है।

बिजली के प्रयोग तथा वितरण में विभिन्न परिवर्तन

*९०--**श्री श्रीनिवास** (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि सरकार बिजली के आफ पीक आवर्स के कनेक्शन को पीक आवर्स में बदलने का निर्णय हाल ही में कर चुकी है। यदि हां, तो इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां, चीफ़ इंजीनियरिंग विद्युत विभाग को अभी हाल ही में आदेश दिये गये हैं कि जहां तक सम्भव हो गंगा ग्रिड क्षेत्रों के वर्तमान आफ पीक घंटों में बिजली लेने वालों को पीक घंटों में भी काम करने दिया जाय।

*९१--**श्री श्रीनिवास** (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि सरकार ने सभी अस्थायी रोशनी तथा पंखों के लिये दिये गये कनेक्शन को स्थायी करने का निर्णय किया है।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां, गंगा ग्रिड क्षेत्र में वर्तमान सभी अस्थायी कनेक्शन स्थायी कर दिये गये हैं।

*९२--**श्री श्रीनिवास** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बिजली के कनेक्शन के वितरण में कृषि तथा अन्य कार्यों के लिये कोई अनुपात अपनी नीति में रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां, ६० प्रतिशत खेती के काम के लिये, ३० प्रतिशत उद्योग के लिये और १० प्रतिशत घरेलू कामों के लिये।

* * * *

उत्तर राप्ती, तहसील डुमरियागंज के नालों से सिंचाई करने की योजना

*९७--**श्री रामलखन मिश्र** (अनुपस्थित)--क्या सिंचाई मंत्री को यह ज्ञात है कि उत्तर राप्ती, तहसील डुमरियागंज में सिकरी, पाराशरी तथा अकरारी नाले प्राकृतिक नहरों के स्वरूप में तहसील के एक छोर से दूसरे छोर तक बहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें सिंचाई के प्रयोग में नहरों का स्वरूप देगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह तीनों नाले डोमरियागंज तहसील में बहते हैं। कुछ दिन पहले पाराशरी नाले पर एक सिंचाई की योजना कार्यान्वित की गई है। इसके अन्तर्गत एक पक्का बांध नाले के आर पार बांध दिया है। इस बांध द्वारा नाले का पानी एकत्रित करके सिंचाई की जायेगी। अन्य दोनों नाले (सिकरी व अकरारी) पर अभी तक कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

तहसील डुमरियागंज के दो नालों पर बांध बनाने की योजना

*९८—श्री राम लखन मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर राप्ती तहसील डुमरियागंज में "चरमहंवा नाला व घरही नालों" में बांध बंधाने की कोई योजना उनके विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी कोई योजना इस समय विचाराधीन नहीं है।

* * * *

लखनऊ के जूरियों की लिस्ट की जांच

*१०८—श्री राजनारायण (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह पता है कि लखनऊ के तहसीलदार ने जूरियों की लिस्ट की जांच की है और बहुत से जूरियों के नाम के आगे यह लिख दिया है कि उनका पता नहीं है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

*१०९—श्री राजनारायण (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि लखनऊ के प्रसिद्ध पत्रकार श्री पी० एस० सेठी के लिये भी तहसीलदार ने यह रिपोर्ट की है कि श्री सेठी का पता नहीं चलता है ?

श्री सैयद अली जहीर—श्री पी० एस० सेठी का सही पता तहसीलदार को मालूम न हो सका था, परन्तु अतिरिक्त जिलाधीश की निजी जानकारी होने के कारण, श्री सेठी का नाम जूरी की लिस्ट में दर्ज कर लिया गया है।

अतारांकित प्रश्न

१-२—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—[१६ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

अतिरिक्त इलेक्ट्रिक इन्स्पेक्टर्स की छटनी

३—श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या सरकार Electric Inspector से Execution of work लेकर पी० डब्ल्यू० डी० को देने की और दो जायद Electric Inspectors हटाने की तजवीज पर गौर कर रही है।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, मुहकमें में कोई जायद इलेक्ट्रिक इन्स्पेक्टर्स नहीं हैं इसलिये गौर करने का कोई सवाल नहीं उठता।

४—श्री देवकीनन्दन विभव—[१६ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

आगरा सदर तहसील के गावों के लिये नलकूप योजना

५—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अमरा सदर तहसील के उन गांवों में जहां नहर नहीं है नलकूप (ट्यूबवेल) के लिये कोई योजना बनाई जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, आगरा जिले में नलकूप बनाने की कोई योजना नहीं है। १५ वर्षीय योजना के अन्तर्गत रामगंगा बांध के पानी से यमुना तथा आगरा नहरों के जल को बढ़ा कर, आगरा के सूखे क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा दी जाने की योजना है।

रामगंगा बांध योजना की जांच पड़ताल के बाद ही यह मालूम हो सकेगा कि आगरा सदर तहसील को भी यह सुविधा प्राप्त हो सकेगी या नहीं।

आगरा के ताजमहल क्षेत्र के लोगों की बिजली के लिये मांग

६—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या वित्त मंत्री को मालूम है कि आगरा शहर के एक बड़े क्षेत्र ताजगंज में, जिसकी आबादी करीब २५,००० है, अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं है ?.

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां ।

७—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या वित्त मंत्री को मालूम है कि ताजगंज के निवासियों नें १,००० दरख्वास्तें इसलिये भेजीं कि वे बिजली लेने को तैयार हैं ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के पास ८० दरख्वास्तें आई हैं ।

८—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या वित्त मंत्री कृपया आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि० से यह व्यवस्था करेंगे, और विशेष कर इस परिस्थिति में जबकि बिजली कम्पनी की पावर हाल में ही पर्याप्त बढ़ाई गई है, कि वह इस क्षेत्र में भी बिजली की तुरन्त लाइनें डालें ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—जांच की जावेगी कि ऐसा हो सकता है कि नहीं ।

९-११—श्री देवकीनन्दन विभव—[वापस लिये गये ।]

ऐशबाग़ राजकीय प्रेस में निर्माण-कार्य

१२—श्री देवमूर्ति राम (जिला बनारस)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ऐशबाग राजकीय प्रेस में पी० डब्ल्यू० डी० का स्टाफ लगा हुआ है ? यदि हां, तो उसके पास क्या व कितने दिनों का काम है ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां ।

निम्नलिखित काम इस स्टाफ के पास करने के लिये है—

१. सीमेंट कांक्रीट व पेंटेड सड़क का निर्माण ।
२. बाउन्डरी वाल का निर्माण
३. कुछ गोदामों में फर्श डालना
४. डिफेक्ट शुगर फैक्टरी की इमारत को तोड़ना, और
५. प्रेस के गोदामों का विस्तार और पुनः निर्माण यह काम साल के अन्त तक चलता रहेगा ।

बलिया में बाढ़ आने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष—मेरे पास आज भी २ कामरोको प्रस्ताव आये हैं। एक श्री बैजनाथ सिंह जी का है जिसमें वह बलिया में जो अभी बाढ़ आई है उस पर बहस करते हुये कुछ सुझाव देना चाहते हैं। बाढ़ के बारे में खबर शायद आज ही अखबार में आई है। उसके विषय में सरकार क्या क्या कार्यवाही करना चाहती है इत्यादि शुरू ही की बात है। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि क्यों इसे इतना अत्यावश्यक समझा जाता है जिससे काम रोको प्रस्ताव लाकर इस सदन का कामरोका जाय । रोज ही बरसात के दिनों में ऐसी चीजें हुआ करती हैं और उसके ऊपर कार्यवाही रोक कर तत्काल ही बहस हो तो सदन का कोई कार्य नहीं चल सकता । इसलिये मैं इसे इतना आवश्यक नहीं समझता और मैं इजाजत नहीं देता कि इसे अनुमति के लिये पेश किया जाय।

गोंडा जेल में श्री पटेश्वरी सिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष--दूसरा प्रस्ताव श्री झारखंडे राय जी का है। वह कामरेड पटेश्वरी सिंह की मृत्यु के बारे में है जो गोंडा जेल में हुई है। वह कहते हैं कि हमको यह पता चला है कि उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं हुआ। तो यह निश्चित सा नहीं है। मैं इसे भी इतना आवश्यक नहीं समझता कि जिसके लिये सदन की कार्यवाही रोकी जाय। इसलिये मैं इसकी भी स्वीकृति नहीं देता हूं।

आगरा विश्वविद्यालय की सीनेट के लिये सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

अध्यक्ष--एक सूचना मुझे देनी है। आगरा विश्वविद्यालय सिनेट के ४ स्थानों के लिये नामांकित पत्र प्राप्त हुये हैं उनमें ५ नाम हैं। श्री विश्वम्भरनाथ पांडेय, श्री राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री बिशम्भर सिंह, श्री इस्तफा हुसैन, और श्री विष्णुदयाल। यदि आज तीन बजे तक एक नाम वापस नहीं हुआ तो चुनाव ४ सितम्बर को ५ बजे विधान मंडप में होगा। लेकिन अगर आज तीन बजे तक एक नाम वापस हो गया तो वे ४ सदस्य निर्विरोध हो जायेंगे।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) विधेयक १९५२

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, १९५२ पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६७ पर)

श्री सैयद अली ज़हीर--अध्यक्ष महोदय, मैं इस्तदुआ करूंगा कि चूंकि यह बिल आज ही छप कर मेज पर रखा गया है लिहाजा इसको थोड़ी देर के लिये मुल्तवी कर दिया जाय और इस वक्त जो ५ नंबर का आइटम है उसे ले लिया जाय।

अध्यक्ष--तो आप इसको कल के लिये चाहते हैं ?

श्री सैयद अली ज़हीर--जब यह खत्म हो जायगा तो मैं इसको मूव करूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी जो यह प्रस्ताव हमारे सामने रखा है कि थोड़ी देर के लिये इसे मुल्तवी कर दिया जाय और पहले ५ नम्बर का आइटम ले लिया जाय, मैं इसका जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं। चूंकि नियम ९५ के अनुसार जिसमें यह लिखा हुआ है--

"Provided that no such motion shall be made until after copies of the member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so made available for three days before the motion is made....."

[परन्तु उस समय तक कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जायगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां सदस्यों के उपयोग के लिये उपलब्ध न कर दी गयी हों और यदि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से तीन दिन पूर्व इस प्रकार उपलब्ध न कर दी गयी हों तो कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव के किये जाने पर आपत्ति कर सकता है]

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

यह बिल जो हमारे सामने पेश किया गया है हमें इसे पढ़ने का मौका बिलकुल नहीं मिला है और नियम ११२ के अनुसार हमें संशोधन देने के भी अधिकार हैं जो आपके पास ४८ घंटे पहले पहुंच जाने चाहिये। इसमें दिया हुआ है।

"If a notice of a proposed amendment has not been delivered to the Secretary thirty-six hours before the meeting of the Assembly....."

[सभा के जिस उपवेशन में विधेयक पर विचार होना हो उसे यदि छत्तीस घंटे पूर्व किसी प्रस्थापित संशोधन की सूचना सचिव को न दी गयी हो]

तो हमें संशोधन का भी समय नहीं मिला है। हमें संशोधन के लिये कम से कम ३६ घंटे का समय मिलना चाहिये जो नहीं मिला है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस बिल पर विचार नहीं होना चाहिये और वैसे भी यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है क्योंकि यह टैक्सेशन बढ़ने से संबंध रखता है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और समझता हूं कि इस बिल पर विचार करने के लिये हमें तीन दिन का समय मिलना चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, इस वक्त किसी विरोध की जरूरत तो है नहीं। अभी कहा गया कि यह बिल इस वक्त नहीं लाया जा रहा है फिर लाया जायगा। उसमें न कहीं वक्त का तकर्रुर हुआ है, न कोई तारीख मुकर्रर हुई है, न उसका कोई खास नम्बर मुकर्रर हुआ है। इस वक्त तो यह चीज है कि कन्ट्रोल आफ सप्लाईज बिल ले लिया जाय, इसको न लिया जाय। जिस वक्त यह मोशन आवे उस वक्त इस किस्म का एतराज हो सकता है। कोई मोशन इस वक्त हाउस के सामने नहीं है।

अध्यक्ष—यह ठीक है। अभी इसके ऊपर एतराज करने का मौका नहीं है। जिस वक्त सरकार इसको पेश करने का प्रयत्न करेगी उस वक्त मैं श्री नारायण दत्त जी को मौका दूंगा कि वे इस पर ऐतराज करें। अभी तो वह सामने आया नहीं है और मालूम नहीं कि उसे सामने लाने में कितना समय लगे।

*यू०पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीनुएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक १९५२

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कान्टिन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५२, पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक प्रस्तुत करते समय मैं यह कहना आवश्यक समझता हूं कि इस समय हमारे प्रांत में दो तरह के नियंत्रण के कानून काम कर रहे हैं। एक तो केन्द्रीय सरकार की ओर से एसंशियल सप्लाईज ऐक्ट के अनुसार हमारे प्रांत में कार्य चल रहा है और दूसरे हमारे प्रांत में सप्लाई ऐक्ट का यह विधेयक जिसको कि हम पेश करने जा रहे हैं उनके अनुसार कार्य चल रहा है। यह तो मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं कि सन् १९४६ में डिफेन्स आफ़ इंडिया रूल के मातहत यह विधेयक यहां लगाया गया था, फिर सन् १९४७ में प्रथम बार यह ऐक्ट बनाया गया तथा समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे हैं। इस संशोधन के द्वारा केवल यही बताया गया है कि इसकी अवधि ३० सितम्बर, सन् १९५२ को समाप्त होने जा रही है और इस विधेयक के द्वारा गवर्नमेंट की मंशा यह है कि इसकी अवधि २ साल के लिये बढ़ादी जाय। आप देखेंगे कि मूल ऐक्ट में एक शेड्यूल दिया हुआ है। इस विधेयक के अनुसार उसको सरकार ३ भागों में विभाजित कर सकती है। एक तो वह कमोडिटीज है, जिन पर इस समय कंट्रोल जारी है। दूसरा कुछ ऐसी कमोडिटीज हैं जिन पर बाजार की हालत देखते हुये तुरन्त ही

*२९ अगस्त, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

नियन्त्रण करने की आवश्यकता हो सकती है तीसरी वह चीजें हैं जिन पर इस समय न तो कंट्रोल है और न उन पर कंट्रोल करने का प्रश्न ही सरकार के विचाराधीन है लेकिन परिस्थिति विशेष को देखते हुये किसी भी समय यह आवश्यकता हो सकती है कि सरकार उन पर नियंत्रण करे। इसलिये इस पर विचार करते समय, जहां तक इस बिल का संबंध है, मैं समझता हूं ज्यादा मतभेद की गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि इस प्रकार के कानून हमारे देश में मुतवातिर चल रहे हैं और अभी हाल ही में केंद्रीय सरकार ने ऐसेन्शियल सप्लाईज़ ऐक्ट के जीवन में वृद्धि की है। इसलिये इस सिद्धांत को तो सभी जगह स्वीकार कर लिया गया है। अब केवल सदन के सामने जो प्रश्न है वह यह है कि मौजूदा ऐक्ट की अवधि को दो साल के लिये और बढ़ा दिया जाय। इसलिये मैं आपके द्वारा इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को स्वीकार कर लिया जाय क्यों कि इसमें कोई सिद्धांत का प्रश्न नहीं है। सिद्धांत तो सदन पहिले ही स्वीकार कर चुका है। इसके द्वारा हम चाहते हैं कि भावों पर नियंत्रण रखा जाय और भावों को बराबर बढ़ने से रोका जाय जिससे जनता को चीजें उचित मूल्य पर मिल सकें।

इस समय इस बिल के द्वारा जिन चीजों पर हम कंट्रोल जारी रखना चाहते हैं वे हैं सीमेंट फायरवुड, कोल्हू, कढ़ाही तथा आयरन और स्टील। आजकल ईंटों का भाव भी बहुत बढ़ रहा है और इस प्रकार का प्रश्न बराबर सामने आता रहता है कि जब सरकार उचित मूल्य पर उनको कोयला देती है उन्हें भी ईंटें उचित मूल्य पर ही बेचनी चाहिये। अगर ऐसा ही रहा तो किसी भी समय ईंटों के वितरण, उनकी कीमत पर नियंत्रण किया जाय। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है लेकिन उनको शेड्यूल के अन्दर इस वजह से रखा गया है कि यदि आवश्यकता पड़े तो उन पर नियंत्रण लगाया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि इस बिल को स्वीकार किया जाय।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह यू० पी० कंट्रोल आफ़ सप्लाईज़ बिल जो संशोधन के स्वरूप में आप के सामने प्रस्तुत है, उसका हमें-विश्लेषण करना है, मंत्री श्री बनारसी दास जी ने अभी बताया कि समय समय पर ऐक्ट में संशोधन होते रहते हैं। हो सकता है कि परिस्थिति विशेष में हम यह चीज़ महसूस करें मगर उसके उद्देश्य में लिखा हुआ है कि पाबन्दी अगले दो वर्षों तक के लिये बढ़ा दी जाय। तो जहां तक समय की बात आती है उसमें मुझे आपत्ति करने की आवश्यकता महसूस होती है सन् १९४७ से जब जब समय विशेष उपस्थित हुये हैं तब तब हम इस बिल को बढ़ाते ही चले गये हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार आदी होती चली जा रही है कि कुछ समय के लिये यह ऐक्ट बनावे, फिर उसमें संशोधन करे, एक बिल प्रस्तुत करे, और ऐक्ट बनावे, फिर उसको आगे बढ़ावे। और पुनः उसमें संशोधन लावे—यही क्रम जारी रहता है, किन किन कारणों से कंट्रोल होना चाहिये और किन किन कारणों से नहीं होना चाहिये, कौन सी वस्तु किस वक्त आवश्यक है और किस आवश्यक वस्तु की कब कितनी कमी है इस मूलभूत सिद्धांत की ओर सरकार की सर्वदा उपेक्षा की नीति रही है। मैं आप के द्वारा निहायत अदब से खाद्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह बिल यहां पर उपस्थित किया गया तो उन्हें यह बतलाना चाहिये था कि किन किन चीजों पर कंट्रोल की जरूरत है और किन किन चीजों के डिकंट्रोल करने की जरूरत है और जिन वस्तुओं पर कंट्रोल लागू हुये थे उनके उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई और उनकी वृद्धि के लिये क्या उपाय किये गये हैं। ये सारी बातें इस सदन के सामने प्रस्तुत नहीं की जातीं, इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर खाद्य मंत्री जी इस पर और विशेष प्रकाश डालते तो हो सकता था कि उनके इस प्रस्ताव को किसी न किसी रूप में हम भी मानते मगर जब कि अधूरे रूप में लाकर उद्देश्य को स्पष्ट नहीं किया जाता और यह कह दिया जाता है कि एसे-न्शल कमोडिटीज़ ऐक्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने भी पास किया है। मैं आप के ज़रिये इस सदन को

[श्री राजनारायण]

और इस सरकार को यह बतला देना चाहता हूं कि इस समय केंद्रीय सरकार की मनोवृत्ति बिलकुल सेन्ट्रलाइज्ड मनोवृत्ति हो रही है और वह सारी पावर अपने हाथ में ले लेना चाहती है और इधर जितने ऐक्ट बनाये गये हैं वह चाहे शुगर इंडस्ट्री के मुताल्लिक हों और चाहे किसी और इंडस्ट्री के मुताल्लिक उन सब के लिये सेंट्रल की ओर से जितने ऐक्ट बनाये जाते हैं वे ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं कि सूबे के लिये कोई काम रह ही न जाय । तो मैं चाहता हूं कि खाद्य मंत्री जी बतलायें कि सेंट्रल किन किन वस्तुओं को एसेन्शल मानती है और किन किन वस्तुओं को नहीं मानती है और हमारे सूबे में किन किन वस्तुओं को एसेंशल माना जाना चाहिये और किन को नहीं माना जाना चाहिये और यदि इस बारे में प्रांत की सरकार कुछ स्पष्ट अपनी नीति रखे और अगर किसी विषय में उसकी नीति से केन्द्रीय सरकार नीति मेल न खावे और सरकार उसके लिये प्रयत्न करे तो उस समय मैं सरकार को हर तरह से सक्रिय सहायता देने के लिये तैयार हूं जिन पावर्स को सरकार यह समझे कि वह उसके हाथ में होनी चाहिये उनको केन्द्र के पास न जाने दे और अगर वह ऐसा करे तो मैं सरकार को आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर सरकार ऐसा कोई कदम केन्द्रीय सरकार की इस मनोवृत्ति के खिलाफ उठावेगी तब विरोधी दल सदैव उसके साथ रहेगा। जिस समय वह डिसेंट्रलाइजेशन के लिये आगे चलेंगे उस समय हम सदैव मदद करने के लिये तैयार रहेंगे । मगर जब इस उद्देश्य को रखते हुये दो वर्ष के लिये इस बिल को बढ़ाने की बात कही जाती है तो मैं कहूंगा कि अभी पहली जुलाई को गल्ले पर से कंट्रोल उठा और उसके बाद दाम बढ़ गये फिर व्यापारियों के प्रतिनिधियों को बुला कर अपनी ही ओर से सरकार ने सरप्लस एरिया के लिये १७।। रुपये मन और डैफिसिट एरिया के लिये १९।। रुपया मन गेहूं का दाम तय कर दिया । तो मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी प्रान्तीय सरकार की क्या नीति है । बार बार मैं देखता और महसूस करता हूं और कभी कभी संबंधित मंत्री महोदय से बातें भी होती हैं तो हम इस बात को अपनी ओर से स्पष्ट कर देते हैं कि केन्द्रीय सरकार क्यों सारी सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है ।

अब यह विधेयक आया है कि इसको दो वर्ष के लिये और बढ़ा दिया जाय । क्यों बढ़ा दिया जाय दो वर्ष के लिये ? अगर सूबा सम्पन्न है । अगर सूबे में जीवन निर्वाह की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उनके पैदा करने की जो मशीनरी है । उस मशीनरी के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पुर्ति कर सकते हैं, तो हमें कंट्रोल की जरूरत नहीं है । कंट्रोल किसी स्थायी उद्देश्य से संबंधित नहीं होता । कंट्रोल टेम्पोरेरी फेज के लिये होता है जिस समय जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित जो पुण्य होते हैं उनकी कमी होती है तो कंट्रोल लगाया जाता है । और जब कंट्रोल लगाया जाता है तो जिन वस्तुओं पर कंट्रोल लगाया जाता है उनकी एक उचित मात्रा जो सरकार निर्धारित करती है उस को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सरकार की हो जाती है । मगर हमने सूबे में देखा कि कंट्रोल लगा है । कंट्रोल के अनुसार कुछ मात्रा निर्धारित होती है । उस मात्रा में जितनी आवश्यक वस्तु मनुष्य को मिलनी चाहिये वह भी नहीं मिल पाती है । तो फिर कंट्रोल लगाने की क्या आवश्यकता है ? जब माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हमें दो साल का समय और दिया जाय, सदन के सामने जब यह बिल प्रस्तुत होता है तो मैं, आदरणीय स्पीकर महोदय, उनसे जानना चाहता हूं कि आखिर सरकार ने क्या कोशिश की है । कंट्रोल हटाने के लिये कितनी कमी हमारे सूबे में पूरी हुई है ?

आदरणीय स्पीकर, अभी माननीय बनारसीदास जी ने ईंट को भी कहा कि उसको भी हम कंट्रोल के अन्दर लेंगे । ईंट की एक लम्बी कहानी है और ईंट में जितनी ब्लैक मार्केटिंग हुई है उसको अगर हम लें और सरकार की ओर से, मंत्री जी हमेशा जो उपेक्षा की नीति ईंट के प्रति बरते हैं, अगर हम उसको सामने रखें तो एक बहुत लम्बी कहानी हो जायगी । सम्भव है कि सरकार के पास वह सूचनाएं न हों। मगर हमने खुद लिख कर भेजा है । बनारस जिले में ईंट का व्यापार एक मुख्य व्यापार है । वहां पचास, साठ ईंट के भट्ठे होंगे ।

भट्ठों में कितनी ईंटें कोयले से बनती हैं, कितनी ईंटें लकड़ी से बनती हैं, कितनी ईंटे पत्थर के कोयले से बनती हैं और कितनी लकड़ी के कोयले से । ये सारी बातें इस सदन के सामने इस समय आनी चाहिये जब कभी इस तरह का बिल सदन के सामने आता है । इन तमाम आवश्यक बातों से इस तरह की पालिसी बनती है और अपनी पालिसी के बारे में सदन को अपने साथ कराने के लिये इन बातों को सरकार को अवश्य रखना चाहिये ।

आज जब कि यह बिल हमारे सामने दो वर्ष तक और बढ़ाने के लिये रखा गया है तो मैं कहना चाहूंगा कि इसकी आवश्यकता हमें महसूस नहीं हो रही है । अगर माननीय खाद्य मंत्री जी इसकी बहुत आवश्यकता समझते हैं तो साल भर का समय वह लें लें । साल भर के अन्दर अपनी उत्पत्ति की नीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और उन चीजों को यदि केंद्रीय सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है तो उस केंद्रीय सरकार की नीति का भी बुलन्द आवाज के साथ विरोध करें । तब तो हम समझ सकते हैं कि सरकार सचमुच जनहित के उद्देश्य से इस बिल को प्रस्तुत कर रही है । लेकिन जब तक ये चीजें सामने नहीं आतीं, तब तक मैं कह सकता हूं कि जनहित का ध्यान इस बिल को प्रस्तुत करने में नहीं रखा गया है । अगर उसका ध्यान रखा गया होता तो हमें आंकड़े मिलते कि दाम कैसे निर्धारित होते हैं । मैंने इस सूबे में चावल का दाम जो निर्धारित हुआ है, बनारस में चकिया का उदाहरण देते हुये, अर्ज किया था । चकिया में चावल के संबंध में बड़ी बंग्लिंग (गड़बड़ी) हुई है । इस बारे में सरकार ने हमेशा उपेक्षा की है । मेरे लिखित पत्र हैं । हो सकता है कि सरकार की फाइल से गायब हों, लेकिन मेरी फाइल में मौजूद हैं । जब कि सरकार ने १६ रुपये मन वहां चावल के दाम निर्धारित किये थे वहां २८ रुपया मन सरकार द्वारा नियुक्त किये हुये व्यापारी खरीदते थे । अगर इस ऐक्ट को बढ़ाया जाय तो कितना भ्रष्टाचार होगा ? उसको सरकार बराबर आंख मूंद कर देखती रहेगी तो कैसे काम चलेगा । आदरणीय स्पीकर महोदय, मेरे एक प्रश्न के उत्तर में चकिया के बारे में कुछ आंकड़े दिये गये थे । उन आंकड़ों की ओर अगर मैं माननीय खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करूं तो उनको मालूम होना चाहिये कि चकिया के जिले में जो हुआ वही दूसरी जगह भी हुआ होगा । अगर एक व्यापारी जो सरकार की ओर से नियुक्त होता है, जिसको लाइसेंस दिया जाता है, वह जाकर चावल खरीदता है और वहां वह २८ रुपये मन में चावल लाता है तो साधारण बुद्धि का आदमी समझ सकता है कि वह कैसे २८ और ३० रुपया मन खरीद कर १६ रुपये मन पर सरकार के भाव की पूर्ति करेगा.....

अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस विधेयक का चावल से तो कोई संबंध नहीं है ?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--इस बिल से तो चावल का और अन्न का कोई संबंध है नहीं ।

श्री राज नारायण--आदरणीय स्पीकर महोदय, मैंने निवेदन कर दिया था कि अभी अन्न पर पहली जुलाई को डिकंट्रोल हुआ, मगर यह जो बिल में पावर सरकार ले रही है उसके लेने के बाद सरकार जब चाहेगी तब उस पदार्थ पर कंट्रोल कर सकती है और जब चाहे डिकंट्रोल कर सकती है, तो.....

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस बिल के अन्तर्गत सरकार को यह पावर्स नहीं हैं । वह दूसरे एक्ट के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से पावर्स मिली हुई हैं । जहां तक अन्न आदि का संबंध है उसके लिये तो फूड कंट्रोल आर्डर है और उसके अन्तर्गत सारी पावर्स लेते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं ।

अध्यक्ष--माननीय राजनारायण जी यह देख लें कि जो पहला अधिनियम सन् १९४७ का है उसमें सीमेंट, काटन, नान फेरस मेटल्स, ब्रास, कापर यूटेंसिल्स, ऐलुमिनियम यूटेंसिल्स, ड्रग्ज, (आइल केक्स और फ़ाडर तो हट चुके हैं) । मैचेज, ब्रिक्स, फ़ारेस्ट प्रोड्यूस, मोलै-

[अध्यक्ष]

सिज़, कोल्हू, फवाइलिंग पेन्स, कैटिल एंड नान एडिबिल आइल सीड्स हैं। तो मैं समझता हूं कि अपने भाषण में उससे संबंधित चीजें लें।

श्री राज नारायण—आदरणीय स्पीकर महोदय, ठीक है, जो शेड्यूल हमारे सामने मौजूद है उसमें यह सब है। मैं तो समझता था कि मैं जो आप के जरिये से यहां पेश कर रहा हूं, खाद्यमंत्री जी उसकी अहमियत समझेंगे, मगर अगर वह मोलासेज (शीरा) पर जाना चाहते हैं तो उसकी कहानी मैं आप के जरिये खाद्य मन्त्री की सेवा में उपस्थित करना चाहता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि मोलासेज भी इसके अन्तर्गत नहीं आता है, क्योंकि उसका भी अलग से एक ऐक्ट बना हुआ है।

अध्यक्ष—इस शेड्यूल में तो है। इसमें जो दिया हुआ है वह शेड्यूल से हटाया नहीं गया।

श्री बनारसी दास—मोलासेज के लिये अलग से विधि है और उसको डिलीट किया जा चुका है।

अध्यक्ष—कब डिलीट किया गया?

श्री बनारसी दास—सन् १९५० में ही एक कानून द्वारा, जिस समय १९५० का यह ऐक्ट विधान भवन के सामने रखा गया था उसी समय मोलासेज को इसमें से निकाल दिया गया था।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—प्वाइंट आफ आर्डर। ऐसा नहीं है। ऐसा कोई क़ानून नहीं है।

श्री राज नारायण—आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं आप के जरिये इसीलिये पहले ही खाद्य मंत्री से निवेदन कर चुका हूं कि सारी बातें सदन के सामने रखें। अभी अभी आप के सामने शंकाएं मंत्री जी और उप मंत्री जी ने रखीं, तो सदन को तो इतना भास हो गया होगा कि सारी बातें सदन के सामने आनी चाहिये। क्योंकि आदरणीय स्पीकर महोदय ने कहा है कि मोलोसिज़ इस शेड्यूल में है तो थोड़ी संक्षिप्त कहानी में शीरे की उपस्थित करना चाहता हूं।

आदरणीय स्पीकर महोदय, बिहार का सूबा तो शीरे (छोवा) की चोरी में प्रसिद्ध हो चुका है, मगर यहां भी उससे कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में सारी चीनी से पैदा हुआ शीरा दफ्तरों की दरारों से चू गया, मगर आम जनता को न मिल सका। हम समझते हैं कि पूर्वी जिलों से जो हमारे असेम्बली के सदस्य आये हैं, पश्चिमी जिलों से भी आये हैं और अभी शाहजहांपुर में एक सत्याग्रह चला था उसकी घटना तात्कालिक घटना है, इन बातों की ओर से हमें अपनी आंख नहीं मूंदना है। हमारे यहां शीरा जो फ़ैक्टरियों से निकलता है उससे संबंद्ध होती है चीनी और ईख। तो ईख का कितना दाम होता है, चीनी का कितना दाम होता है और शीरे का कितना दाम होता है। साढ़े चार आने मन शीरे का कंट्रोल का भाव चीनी के मिल मालिकों को रखा गया है। मगर हमारे इस उत्तर प्रदेश का साधारण नागरिक भी अच्छी तरह से जानता है कि क्या दो रुपये से लेकर पांच रुपये मन तक शीरा हमारे सूबे में नहीं बिकता? अफ़सोस के साथ, आदरणीय स्पीकर महोदय, मुझे खाद्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना पड़ता है कि वे इन बातों की ओर से अब लापर्वाही न करें। अगर लापर्वाही करते चले जायेंगे तो जनहित नहीं हो सकता है, व्यक्ति विशेष का हित चाहे भले ही हो। सदस्यों की जानकारी के लिये मैं निवेदन कर दूं कि १० मन के क़रीब गन्ने में एक मन चीनी होती है और तीन मन चीनी में एक मन मोलैसेज निकलती है। तो तीन मन चीनी में एक मन शीरा जो निकलता है उसकी क़ीमत जहां दो रुपये मन होनी चाहिये, और टैरिफ़ बोर्ड की रिपोर्ट में भी

लिखा है कि भेढ़ रुपये मन से दो रुपये मन तक होनी चाहिये, वहां उसकी क़ीमत कंट्रोल के हिसाब से केवल साढ़े चार आने है जब कि मेरी निजी जानकारी है कि ५ रुपये और ६ रुपये मन से कम शीरा नहीं बिकता। शायद हमारे मुख्य मंत्री जी और खाद्य मंत्री जी बतायें अपने समभाषण में कि कितनी चीनी हमारे उत्तर प्रदेश में पैदा हुई और उस चीनी का एक तिहाई करके शीरे का दाम निकाला जाय तो पता चलेगा कि कितने करोड़ रुपये ब्लैक मार्केट में इन मिल मालिकों ने कमाये हैं। तो इस तरह से अगर कंट्रोल बढ़ा कर और इन चीजों को इसमें शामिल कर के अगर जनता के गले पर छुरी चलानी है तो खाद्य मंत्री जी चला लें अपने बहुमत के गर्व में। मगर मैं समझता हूं कि आज जनमत जाग्रत हो चुका है और जो विधान सभा के सम्मानित सदस्य हैं वे भी इन बातों को समझने लगे हैं कि सरकार किस दृष्टिकोण से किसी नीति को अपनाया करती है।

इसके साथ साथ फ़ाडर भी इसमें है। आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं नहीं समझता कि किसी समय यह फ़ाडर भी निकल गया है या नही, मगर शेड्यूल में है।

अध्यक्ष--फाडर (fodder) तो निकल गया है। १९५० में फ़ाडर और आयल केक्स निकल गये।

श्री राजनारायण--मोलेसेज है?

अध्यक्ष--वह तो मैंने कह ही दिया था। लेकिन मोलैसेज के लिये भी कह दिया है कि उसके लिये एक स्पेशल क़ायदा बना दिया गया है।

श्री राजनारायण--तो आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं ज्यादा समय भी लेना पसन्द नहीं करता। मगर मैं आप के द्वारा खाद्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय वह जो बिल प्रस्तुत कर रहे हैं ज्यादा अच्छा हो कि इस बिल को अच्छी तरह से सोच समझ कर जो हमारी ओर से संशोधन प्रस्तुत हो रहा है कि एक वर्ष के लिये वह समय ले लें, हम कोई हठता का परिचय नहीं देना चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि जो समुचित सुझाव सरकार के सामने विरोधी पार्टी की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है उसको खाद्य मंत्री जी मान लें। उसमें सरकार का भी ग्रेस (मर्यादा) है और हम सब लोगों का भी ग्रेस (मर्यादा) है। हमें पता नहीं कि नियम के अनुसार हमारा संशोधन पहुंच पाया है या नहीं। अगर नहीं पहुंच पाया है तो जिस तरह से यहां बिल प्रस्तुत होने की परिपाटी चलायी जा रही है, आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं यह साग्रह निवेदन करूंगा कि वह हमारा अमेंडमेंट आप उसमें लेने की कृपा करेंगे। हम समझते हैं कि एक साल का समय सरकार के लिये वस्तु की स्थिति विवेचन करने के लिये बहुत काफ़ी है। एक साल के अन्दर सरकार के सामने जो रचनात्मक सुझाव विरोधी पार्टी की ओर से प्रस्तुत किये जायं उनकी क़द्र करके अपने बिल का सरकार संशोधन करे तो जनता का कल्याण होगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि खाद्य मंत्री जी मेहरबानी कर के इसके जो उद्देश्य और कारणों में दो साल का समय बढ़ाया गया है उसको हटा लें क्यों कि एक साल का समय ही समुचित है और अभी अभी जो बातें सरकार की ओर से कही जा रही हैं, हम समझते हैं कि हम आदरणीय स्पीकर महोदय के द्वारा निवेदन करें कि यह अपरिपक्व अवस्था की बातें हो रही हैं। सरकार को पता नहीं है कि कब मोलेसेज निकाला गया है और किस समय फौडर निकाला गया। यह हमारी सरकार के लिये शोचनीय बात नहीं है, अशोभनीय बात है। उत्तर प्रदेश जो हमारे देश का प्राण है और सब से बड़ा सूबा है, उस सूबे की सरकार अगर इस तरीके से कानून और कायदे बनाया और बिगाड़ा करेगी और उसकी उपेक्षा करेगी तो इससे प्रदेश के नागरिकों का भी अपमान होता है। इसलिये मैं आदरणीय स्पीकर महोदय के जरिये अंतिम निवेदन करूंगा कि खाद्य मंत्री जी जो दो साल का समय बढ़ाना चाहते उसको वह हरगिज न बढ़ायें क्यों कि एक साल का समय तमाम स्थिति पर विवेचन करने के लये बहुत काफी है।

[श्री राजनारायण]

मैं जानता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी अभी आये हैं। मुझे उनसे हमेशा शिकायत रहती है कि मैं बहुत सी अपनी बातें माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में पेश नहीं कर पाता हूं क्यों कि वह बहुत व्यस्त रहते हैं सदन में बहुत कम बैठते हैं। मैं इस वाक्य को दुबारा दुहरा देना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार इस परम्परा को कायम करने जा रही है कि प्रान्त की शक्तियों को छीन करके अपने हाथ में केन्द्रित करे। हम इसका विरोध करना चाहते हैं। एक साल के अन्दर जो जो काम यह प्रदेश कर सकता है और करेगा उसको अगर केंद्रीय सरकार नियम और उपनियम बना कर लेना चाहती है तो मैं माननीय खाद्य मंत्री जी व मुख्य मंत्री जी की सेवा में यह निवेदन करने के लिये तैयार हूं कि इस सरकार से जो केंद्रीय सरकार पावर छीन रही है, उसका प्रान्तीय सरकार विरोध करे और उसको प्रान्तीय सरकार लेने में सफल हो। इसलिये मैं चाहता हूं कि केवल एक साल का समय बढ़ाया जाय और हमें आशा है कि माननीय खाद्य मंत्री जी हमारे इस निवेदन को मान लेंगे।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, मैं इस वाद विवाद में तो ज्वर के कारण भाग लेना नहीं चाहता था किन्तु हमारे माननीय मित्र श्री राजनारायण जी ने दो एक बातें ऐसी कही हैं जिनके विषय में मैं यह चाहता हूं कि हमारे समाजवादी भाई और जो इस तरफ बैठे हुये सदस्य हैं वह सब थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें तो अधिक उत्तम होगा।

हमारे मित्र ने अभी यह निवेदन किया है कि केन्द्रीय सरकार की सेंट्रलाइजेशन की पालिसी से काफी हानि हो रही है। श्रीमन्, मैं नहीं जानता हूं कि सोशलिस्ट इकोनोमी में सेंट्रेलाइजेशन के अलावा और कौन सी चीज हुआ करती है। सेंट्रलाइजेशन अगर सोशलिस्ट इकोनामी में नहीं है तो वह एक दिन भी नहीं चल सकती है। डिसेंट्रलाइजेशन हमारे मित्र चाहते हैं तो उससे उद्योग धंधों का कभी भी राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता है। वह तो मोलेसेज और चावल के चक्कर में फंस गये हैं लेकिन मैं आपके सामने दो एक मौलिक बातें अर्ज कर देना चाहता हूं। आखिर केंद्रीय सरकार चाहती है कि कुछ एसेंशल गुड्स पर कंट्रोल हो। और हम भी चाहते हैं कि इसको जारी रखा जाय। यह हमारे प्रदेश का ही प्रश्न नहीं है बल्कि समूचे भारतवर्ष का प्रश्न है। आज हमारे प्रदेश में केवल २९ बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं जिनसे हमारा काम चलता है चाहे वह आयरन स्टील हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे कोई भी ऐसी चीजें हों जिनसे अपना साधारण तथा रोजमर्रा का काम चला रहे हैं और इन २९ उद्योग धंधों की उत्पत्ति केवल ७४३ करोड़ रुपये मूल्य की है और ७४३ करोड़ रुपये की उत्पत्ति इन २९ बड़े उद्योग धंधों से यदि सब में बराबर बांटने की चेष्टा की जाय तो २० रुपये का सामान हर एक को नहीं मिल सकता। यह एक बड़ा मौलिक सवाल है कि हमको अपने देश में बड़े और छोटे हरएक की जीवन की साधारण दैनिक आवश्यकताओं को चाहे टिन हो, चाहे सीमेंट हो या लोहा हो, कपड़ा हो या कुछ और हो पहुंचाने के लिये किसी न किसी प्रकार से नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, एक बात तो यह है।

दूसरी बात यह निवेदन कर दूं कि हमारे सामने कपड़े की समस्या बड़ी भारी समस्या है। हम सोच सकते हैं कि शायद उसके बिना हमारा काम चल जाय लेकिन हमको अपने प्रदेश और देश की आबादी का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। हमारे देश में सन् ५१ की जनगणना के अनुसार हमारी आबादी करीब ३५ करोड़ ६९ लाख है और बड़े बड़े विशेषज्ञों ने हिसाब लिखा है कि १९५६ तक हमारी आबादी ३७ करोड़ ७८ लाख हो जायगी यानी सन् ४१ में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की जितनी आबादी मिलकर थी उससे सिर्फ १ करोड़ १० लाख आबादी कम रह जायेगी। हमारे इतनी बड़ी आबादी वाले देश में आज हम कपड़े की मिलों से केवल ३९ हजार लाख गज कपड़ा साल भर में पैदा कर रहे हैं। यदि हम सन् ५६ तक बराबर कपड़ा हरएक को बांटना भी चाहें तो साढ़े १२ गज से अधिक नहीं पड़ सकते, साधारण आदमी को अपने तन को ढकने के लिये कम से कम १५ गज कपड़ा

चाहिये। यदि हमारे माननीय अन्न मंत्री या हमारी केन्द्रीय सरकार किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं रखती तो संभव नहीं प्रतीत होता कि हमारे शरीर पर दो गज कपड़ा भी रह सके। सारे भारतवर्ष में कपड़े की १९ नयी मिलों को बनाने की चेष्टा की जा रही है और यह मिलें सन् ५६ तक बन कर तैयार हो सकेंगी और इनमें ८०० नये कर्घे लगाये जायेंगे तब हमारी उत्पत्ति करीब ४२ हजार लाख गज हो जायेगी तब भी हम १६ गज की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकते। यदि हम इस कंट्रोल की एक या दो बरस में छानबीन की चेष्टा करें तो उचित होगा। तब तक हम अपनी उत्पत्ति के लेखाजोखा भी बराबर कर सकते हैं वर्ना आज हम किस प्रकार हरएक के शरीर को कपड़ों से ढंक सकेंगे और यह यदि आवश्यक है तो हमारा इस प्रकार के बिल का विरोध करना नितान्त अनुचित और अवांछनीय होगा और यह हमारे मित्रों को शोभा नहीं देगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त——अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र राजनारायण जी ने जो प्रश्न इस विधेयक के विचार करने के समय उपस्थित किये उनमें से कुछ अवश्य मौलिक प्रश्न हैं और यदि वह उन प्रश्नों का उत्तर इस बिल के विवाद के अन्तर्गत मुझ से पूछना चाहते हैं तो अवश्य मैं उनका उत्तर देने को तैयार हूं। वह हमसे पूछना चाहते हैं कि यह सरकार अपनी किसी योजना के अन्तर्गत कार्य कर रही है या इस देश की केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत वह कार्य कर रही है? इस प्रदेश की सरकार और केन्द्र की सरकार दोनों इस बात में विश्वास करती हैं कि इस देश की उन्नति योजनाओं के अन्तर्गत की जाय और इस देश में वे चीजें इस प्रकार से उत्पन्न की जायं जिससे यहां के रहने वाले आराम और सुख की जिन्दगी बसर कर सकें और यहां गरीबी का नामो निशान न रहे। यही वजह है कि केन्द्र की सरकार ने एक पंचवर्षीय योजना अपने देश में कार्यान्वित करने के लिये लागू की है। उसके बहुत से हिस्सों पर विचार हो चुका है और निर्णय भी हो चुका है। कुछ बातों के बारे में अभी रिपोर्ट उसकी आनी है। कहने का तात्पर्य यह है कि केन्द्र की सरकार जो हमारे देश को उधर ले जाना चाहती है जिस ओर चल कर हम देश में जो उत्पत्ति के साधन हैं और जो उत्पत्ति की वस्तुयें हैं वे अधिक मात्रा में पैदा की जा सकें, बनाई जा सकें जिससे कि यहां के लोगों को जितनी उनको कपड़े की आवश्यकता हो उतना कपड़ा उनको मिल सके, जितनी उनको खाने की आवश्यकता हो उतना उन्हें खाना मिल सके। तो आज यह कह देना कि हम किसी योजना को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं या चलाना नहीं चाहते हैं या केन्द्रीय सरकार इस ओर विचार नहीं कर रही है, यह मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी वस्तुस्थिति नहीं है और यह बात वस्तुस्थिति से विरुद्ध है।

अब इस बिल के अन्तर्गत तो ऐसी वस्तुयें हैं, पदार्थ हैं जो हमारे प्रदेश में पैदा नहीं होते हैं। यदि वह जानना चाहते हैं कि इस प्रदेश की सरकार ने कितना कोयला पैदा करने की कोशिश की तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज इस प्रदेश की सरकार के हाथ में कोयले का पैदा करना नहीं है। हां, सीमेंट एक ऐसी वस्तु है जिसके संबंध में वह कह सकते हैं कि इस प्रदेश की सरकार ने सिमेंट के अधिक उत्पादन के लिये क्या प्रयत्न किया? मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जहां तक सिमेंट के उत्पादन का संबंध है इस प्रदेश की सरकार ने एक योजना के अन्तर्गत एक फैक्टरी बनाने का निश्चय किया है और वह फैक्टरी मिर्जापुर जिले में बन रही है। यदि वह कहे कि यह फैक्टरी २,३ वर्ष में बनकर तैयार अभी तक क्यों नहीं हुई तो मैं उनसे कहूंगा कि आज हम फैक्टरी कोई भी आसानी से नहीं लगा सकते हैं। आखिर फैक्टरी लगाने के लिये हमको विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। वहां से कल कारखाने मंगाने पड़ते हैं और वह कल कारखाने आज आसानी से नहीं मिलते हैं। यदि हम किसी कारखाने को आर्डर देते हैं तो उसमें ३, ४ वर्ष का समय लग ही जाता है क्योंकि विदेशों के कल कारखाने आज भी ऐसी चीजों का उत्पादन करने में

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

लगे हुये हैं जिनका लड़ाई से संबंध है। जिन चीजों से लड़ाई हो सके वही चीजें वहां पर आजकल बनाई जा रही है। इस कारण से हम कल कारखानों के मंगाने में शीघ्रता नहीं कर सकते हैं और इसी कारण से हमारे कल कारखाने शीघ्रता से नहीं लग सकते हैं।

उन्होंने इस बिल के अन्तर्गत कुछ आयरन और स्टील का भी जिक्र किया। आज यह प्रदेश आयरन या स्टील पैदा नहीं करता है और न कोई उसकी योजना ही बना सकता है क्योंकि इस प्रदेश में कोई उसकी खान नहीं है। खाने हमारे देश में हैं लेकिन उसकी योजना केन्द्रीय सरकार के हाथ में है और उनकी योजना पंचवर्षीय योजना के अन्दर रखी गई है कि उनका उत्पादन बढ़ाया जाय। उसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार कार्य कर सकती है। जिन मौलिक प्रश्नों का सवाल उन्होंने उठाया है वह वास्तविक बात है लेकिन हमारे प्रदेश से उनका कोई संबंध नहीं है। आज केन्द्रीय सरकार उनकी योजना बना रही है और देश के अन्दर अधिक रा मैटीरियल उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है।

यह सरकार खाद्य समस्या के हल करने में और उसके अधिक उत्पादन करने की चेष्टा कर रही है। यदि खाने पीने की समस्या हमारे प्रदेश में हल हो जाय और सारे देश में हल हो जाय तो अरबों रुपया जो विदेशों में कल कारखाने और दूसरी सामाग्री के मंगाने के लिये व्यय करना पड़ता है वह आसानी से बच सकता है और वह रुपया हमारे प्रदेश में और देश में उन चीजों के लिये लगाया जा सकता है जिनकी आज हमको आवश्यकता है। आज मौलिक प्रश्न को उन्होंने इस सदन के सामने उपस्थित किया और उनकी ओर जो हमारा ध्यान आकर्षित कराया है मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जहां तक उन प्रश्नों का संबंध है अभी वह प्रश्न हल नहीं हुये हैं और उन प्रश्नों को हल करने के लिये योजना बनाई जा रही है और उनके अन्तर्गत हम काम कर रहे हैं जिससे हमारे देश में रहने वालों की आमदनी बढ़ सकती है, उनका सिर ऊंचा हो सकता है। जहां तक इन चीजों का संबंध है यह चीजें सिमेंट, लोहा, तो हमारे प्रदेश में पैदा नहीं होती हैं वह तो जिस मात्रा में हमारे प्रदेश में आती हैं उनके वितरण का इन्तजाम किया जाता है और उनकी कीमत निर्धारित जो केन्द्रीय सरकार की तरफ से होती है हम यह चाहते हैं कि वह कीमत हमारे प्रदेश में लागू रहे और उससे अधिक कीमत लोगों को न देना पड़े। आज इन चीजों के संबंध में अधिक समस्या वितरण की है और वितरण की समस्या कभी कभी कठिन हो जाती है। वह जानते हैं कि यह तमाम चीजें केन्द्रीय सरकार से हमें मिलती हैं और जितना कोटा हमें मिलता है अकसर वह भी प्रदेश में पूरी मात्रा में नहीं आने पाता है। उसके कारण यह है कि जो उस कोटे को लाने के साधन यानी वेगन्स वगैरा हैं वह भी कभी कभी इतनी मात्रा में नहीं मिलते हैं जिस मात्रा में हमें वस्तुओं को अपने यहां लाने की आवश्यकता होती है। इन कारणों से समय समय पर जितना कोटा हमें मिलता है उस को भी न ला सकने के कारण यानी वेगन्स न मिलने से कभी कभी चीजों की कमी और भी बढ़ जाती है। तो आज सारा प्रश्न लाने के साधनों का है, बिजली का है और उन चीजों की पैदावार में वृद्धि का है जो कम मात्रा में यहां पैदा होती हैं। मैं यह भी कह सकता हूं कि यह प्रश्न दो तीन साल में हल होने वाला नहीं है। इसके लिये समय चाहिये और हमारे देश को भी इसके लिये समय व्यतीत करना होगा। कौन सा ऐसा देश है जो हमारी स्थिति में रहा हो और जिसने अपनी हालत को सुधार लिया हो। बड़े बड़े देश जो दुनियां का नेतृत्व करते दिखलायी पड़ते हैं उनकी भी आज क्या हालत है, उनको भी भारी परिश्रम करना पड़ता है। हमारा देश तो दुनिया की नजरों में पिछड़ रहा है और उसको सुधारने में यदि समय लग रहा है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हमें अधीर नहीं होना है इससे काम नहीं चलता, हमें इन चीजों की कमी का भी अभी मुकाबिला करना है और देश में ऐसी स्थिति पैदा करना है जिससे देश में उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि हो और वह तमाम चीजें हम

जुटा सकें जिन की देश में आवश्यकता है। जिन प्रश्नों को उन्होंने उठाया उनको हल करने में हमारी और उन की राय में कोई अन्तर नहीं है। हम भी चाहते हैं कि योजनायें बनें और देश उन योजनाओं के लिये काम करे। जो योजनायें बनें वह सफलता के साथ देश में चालू हों।

उन्होंने और बहुत सी चीजों का जिक्र किया जिनका इस बिल के वादविवाद में जिक्र करने का कोई समय नहीं था। उन्होंने खाद्य और चावल आदि का भी जिक्र इस बिल के संबंध में बहस करते हुये उठाया। हालांकि इस बिल से इन चीजों का कोई संबंध नहीं है क्योंकि उनके ऊपर जो नियंत्रण चल रहा है वह तो केन्द्रीय सरकार के असेन्शियल सप्लाईज ऐक्ट की मातहती में चल रहा है। एक बड़ा प्रश्न जो उन्होंने केन्द्रीयकरण और विकेन्द्रियकरण का उठाया उसका भी संबंध प्रदेशिक सरकार से इतना नहीं है। जिस विधान के अन्तर्गत काम हो रहा है वह देश की कांस्टीटुयेन्ट असेम्बली ने जिसमें देश के प्रतिनिधि बैठे थे, उन्होंने उन सबजैक्ट्स का निर्णय किया जिनका फैसला और संचालन केन्द्र करेगा और उन सबजेक्ट्स का भी निर्णय किया कि जो केन्द्रीय सरकार की मातहती में संचालित किये जायेंगे और उन विषयों का भी फैसला किया जिनके ऊपर दोनों सरकार विचार और निर्णय कर सकती हैं और संचालन भी जिनका कर सकती हैं।

बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनका केन्द्रीय सरकार से संबंध है, जैसे फूड बहुत सी छोटी छोटी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनका वितरण का संबंध प्रादेशिक सरकार से है। जब तक हम वितरण का कार्य करते हैं तो हमें उनकी नीति के अनुसार चलना ही होगा जब तक हम कानून नहीं बदल देते तब तक हमारे लिये और कुछ संभव नहीं है। हमारी नीति इस समय यही है कि जिन चीजों का केन्द्रीयकरण आवश्यक है उनका अवश्य केन्द्रीयकरण किया जाय लेकिन जिनका विकेन्द्रीकरण हो सकता है और आसानी से यहां संचालित की जा सकती हैं हम चाहते हैं कि केन्द्र उनमें हस्तेक्षप न करे। हमारे और हमारे विरोधी भाइयों के मत में इस बारे में कोई अन्तर नहीं है। ऐसे उद्योगधंधे हमारे देश में हैं जिनके केन्द्रीयकरण की आवश्यकता है क्योंकि वे सारे देश के उद्योग धंधे से संबंध रखने वाले हैं। जैसा मैंने अभी कहा, लोहे की खाने हमारे देश के कुछ हिस्सों में ही हैं, कपड़ा और चीनी हर प्रदेश में नहीं बनाये जाते हैं और आवश्यकता सारे देश को है। इनके लिये यह जरूरी है कि इनका संचालन केन्द्र से हो। मैं नहीं समझता कि इन सब चीजों पर बहस जब पार्लियामेंट में, केन्द्र में उठायी जा सकती है तो अब इस समय यहां इस बिल के सिलसिले में क्या आवश्यकता प्रतीत हुई। उनका इस बिल से कोई संबंध नहीं है।

कई चीजें ऐसी हैं जो पहले शैड्यूल में सम्मिलित थीं और जिनके अब अलग कानून बन गये हैं, जैसे दवाइयां। कुछ ऐसे विषय हैं जिसका संबंध अब फूड और सिविल सप्लाइज से नहीं है और जिन्हें अब ऐग्रीकल्चरल विभाग संचालित करता है। इसलिये मैं अपने दोस्त से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिन चीजों के विषय में नियंत्रण का सवाल रखा गया है वे ऐसी हैं कि जिन में हमारा और उनका एक मत है।

जहां तक उन्होंने यह सवाल उठाया कि वह इस विधेयक की जिन्दगी केवल एक साल रखना चाहते हैं तो मुझे इस बात के स्वीकार कराने में कोई विरोध नहीं है। अगर भवन यह चाहता है कि इस विधेयक की जिन्दगी एक साल ही रहे और फिर अगले वर्ष यह भवन के सामने लाया जाय तो उसके लिये जो संशोधन आवेगा मुझे उसके मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

मैं अपने माननीय मित्र से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल का विरोध न करें और इसे स्वीकार करें।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यू० पी० कण्ट्रोल आफ सप्लाइज (कंटीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५२, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

यू० पी० ऐक्ट ३०, १९५०।

२—१९५० ई० के उत्तर प्रदेश कण्ट्रोल आफ सप्लाइज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) अधिनियम, की धारा २ में संख्या '१९५२' के स्थान पर संख्या '१९५४' रख दी जाय।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाइज (कंटीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक में निम्नलिखित संशोधन किया जाय—

"धारा २ की अंतिम पंक्ति में संख्या "१९५४" के स्थान पर '१९५३' रख दी जाय"

मैं इस संबंध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं क्योंकि माननीय अन्न मंत्री जी ने स्वयं अपने भाषण में इस बात को स्वीकार किया है कि बजाय २ वर्ष के १ वर्ष की अवधि रख दी जाय, तो वह इसको स्वीकार कर लेंगे इन कंट्रोलों के बीच में सिद्धांतों के प्रश्न भी उठाये गये हैं और कहा गया है कि किसी आवश्यकता के वश होकर ऐसा किया गया है लेकिन जैसे जैसे वे आवश्यकतायें पूरी होती जायें वैसे वैसे ही हमें कंट्रोल भी हटाते जाना चाहिये जब कभी कंट्रोल के सिद्धांत की बात उठायी जाती है तो बराबर माननीय मंत्री इस बात पर जोर देते हैं कि विरोधी पक्ष खासतौर पर समाजवाद और सरकारी पक्ष में इस संबंध में कोई मतभेद नहीं है। मैं इस संबंध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां सरकार ने इस बात का जिक्र किया कि वे किसी भी उद्योग धंधे को अगले १० वर्ष तक छूना नहीं चाहती हैं उस समय समाजवादी पार्टी यह चाहती है कि देश में ऐसे बहुत से उद्योग धंधे हैं जिनका राष्ट्रीयकरण तुरंत होना चाहिये। यह तो बड़ा भारी भेद है। १० वर्ष की अवधि तो एक बहुत बड़ी अवधि है। १० वर्ष के भीतर तो अवस्था में कितना परिवर्तन हो जायगा यह नहीं कहा जा सकता। इसलिये इस बात पर बार-बार जोर देना कि हमारे और उनके दृष्टिकोण में कोई फर्क नहीं है, यह तो हमारे साथ ज्यादती है।

दूसरी बात यह है कि नियंत्रण की व्यवस्था तो कमी होने की वजह से लाई जाती है। इस बात को सरकार भी स्वीकार करेगी और हम भी स्वीकार करते हैं कि नियंत्रण की व्यवस्था कमी होने की वजह से लाई गई। जब कमी है तो नियंत्रण की व्यवस्था लाई जाय और वह इसलिये लाई जाय कि जिन चीजों का अभाव है उन चीजों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सके इसके दृष्टिकोण में कोई मतभेद नहीं है लेकिन जो तथ्य है उसपर हमें मतभेद है। वर्तमान सरकार को गत ५-६ वर्ष में इस कानून के जरिये से यह अधिकार मिला था जिसका उसने ठीक-ठीक उपयोग नहीं किया। यह मैं उनकी नीयत पर शक करने की वजह से नहीं कहता हूं लेकिन जो इस कानून का उपयोग हुआ है वह उसके उद्देश्यों को पूरा नहीं करता। उससे इस कानून का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

श्री बनारसी दास—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं। माननीय सदस्य अपने संशोधन से बाहर जा रहे हैं।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें। मेरा ख़याल है कि वह संशोधन से संबंधित नहीं है क्योंकि आम बहस अब नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैंने पेश किया है वह दो वर्ष से एक वर्ष मियाद कर देने का है। अगर मुझे यह विश्वास हो जाता कि दो वर्ष रखने से जिन बातों का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है और जो नक्शा हमारे सामने

रखा है वह नक्शा पूरा होने वाला है। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं इन सब बातों का जिक्र उन्होंने किया है नहीं तो मैं बिलकुल इसका नाम न लेता। लेकिन चूंकि माननीय अन्न मंत्री जी ने, जो कुछ मैं कह रहा हूं उससे बहुत ज्यादा बातें कही हैं, कुछ भविष्य के बारे में, कुछ योजनाओं के बारे में जिनको मैं कुछ और चीजों के बारे में तो याद भी नहीं दिलाता। इसलिये मैंने गुस्ताखी की कि इन सब बातों की याद दिलाई।

अपने संशोधन पर ही मैं अपने को नियमित कर रहा हूं। और इसलिये मैंने कहा है कि दो वर्ष से एक वर्ष की मियाद रखी जाय क्योंकि अगर दो वर्ष की मियाद हम दे दें तो दो वर्ष की मियाद दे देने से निश्चित होने की हालत हो सकती है। एक वर्ष की मियाद से हम समझते हैं कि मुमकिन है जो खराबियां पहले थीं वे आगे भी जारी रहें, तो जितने भी कम से कम समय तक वे खराबियां जारी रहें उतना ही अच्छा है। और वह इसलिये कि उन खराबियों की तरफ हम अपने मित्र श्री बनारसी दास जी का भी ध्यान दिलाते हैं कि इस एक वर्ष में, जिसको सुनने से उनको कोई तकलीफ हुई है वे उन खराबियों को दूर करने की चेष्टा करेंगे। न कि उन्हें सुनने से उनको कुछ घबराहट मालूम हो और वह सुनकर भी अनसुनी हो जाय न सुनकर भी तो गलती हो सकती है।

मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार को भी इसकी जानकारी है कि उसमें क्या क्या खराबियां हैं। सरकार की प्रतिष्ठा का भी ख्याल है, सरकार को बहुत सी बातों का ख्याल करना पड़ता है जिसमें सरकार को सबके सामने सारी बातें कहने में बड़ी कठिनाई होती है और दूसरे लोग जब कहते हैं तो उससे इंकार भी करना पड़ता है। लेकिन हमारा भी यह काम है, हमारा भी यह धर्म है, हमारा भी यह कर्त्तव्य है और इसी लिये हम इस सदन में आये भी हैं। मैं सरकार का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं कि मुमकिन है कि आगे के जमाने में उस तरह की चीजें न हों। चाहे अनाज का मामला हो या कोई मामला हो। अनाज का मामला इस बिल से कोई संबंध नहीं रखता है इसलिये मैं उस संबंध में कुछ नहीं कहूंगा लेकिन कंट्रोल के संबंध में एक बात में जरा सा जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि आज भी कन्ट्रोल किसी न किसी कोने में लगा हुआ है और सरहदी रेलवे स्टेशनों पर बुकिंग की जो व्यवस्था की गयी है वहां रेलगाड़ी से गल्ला नहीं जा सकता तो वह किसी न किसी तरह से नियंत्रण है। इसके अलावा मैं अनाज के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

मोलेसेस के संबंध में मैं जरूर कहना चाहता हूं। शीरे की बहुत पिछले जमाने की कहानी है और उसके इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा मुझको मालूम नहीं कि क्या क्या बातें हुई हैं। माननीय सदस्य और सरकार की भी जानकारी में है कि अगले वर्ष क्या होगा। शीरे के संबंध में हमारे बड़े अनुभवी माननीय सदस्य जो पहले हमारे मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य थे उन्होंने कुछ दिन पहले यह राय दी कि आज शीरे की यह हालत है कि शुगर फैक्टरियों में जो गड्ढे होते हैं वे सारे गड्ढे भरे हुये हैं। उनमें से सरकार के आदेश के बिना शीरा नहीं निकल सकता है और अगला सीजन जो आने वाला है उस सीजन में या तो दूसरे नये गड्ढे बनवाने पड़ेंगे या उनके लिये कोई ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे शीरे का बन्दोबस्त किया जा सके तथा और बातें की जा सकें। तो इस बात को भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिये कि शीरे का व्यवसाय चीनी के व्यवसाय से घनिष्ट रूप से संबंधित है।

अध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि अभी माननीय अन्न मंत्री जी ने १९५० का एक अधिनियम बताया है जिसमें लिखा है "इंक्लूडिंग फारेन ड्रग्ज ऐंड मोलेसेज" यानी इससे यह चीजें अलग कर दी गयी हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सूचना के लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि एसेंशल कमोडिटीज ऐक्ट के सेक्शन २-ए में यह परिभाषा है "ऐंड सच अदर

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कमोडिटीज ऐज दि प्राविंशियल गवर्नमेंट में नोटीफाइड आर्डर स्पेसिफाई"। इसमें सभी चीजें आ गई हैं। अब यह बार बार बताया जा रहा है कि यह चीज हटाई गई वह हटाई गई। पर यह तो सभी वस्तुओं से ताल्लुक रख सकता है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वह चीजें इसमें नहीं आती हैं जिनके लिये अलग ऐक्ट बना हुआ है और जिनके लिये अलग ऐक्ट नहीं बना हुआ है वही चीजें इसमें आ सकती हैं।

श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी परेशानी होती है कि जब किसी बात पर हम जोर देते हैं तो उसके बाद माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इसको हमने इस ऐक्ट से हटा दिया। इसके लिये जो हमारी असेम्बली की कार्यवाही की नियमावली है उसके रूल ९६ की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाता हूं कि जब भी कोई बिल ऐसा आवे कि जिससे दूसरे कागजात का भी संबंध हो तो वह कागजात मेज पर रखे जावें। यदि माननीय मन्त्री जी ने यह इंतजाम किया होता तो वह चीज न होती जो इस वक्त हो रही है कि जब हम कुछ कहें तो उन्हें बतलाने की जरूरत उस वक्त मालूम हो। यदि सारे स्टेटमेंट आये होते या उन सारे कानूनों को संग्रह करके हमको जानकारी करा दी गई होती तो बड़ी मदद हुई होती, यह मैं कोई नये मेम्बर होने की हैसियत से नहीं मांग रहा हूं बल्कि नियम ९६ में ऐसा है। मैं आशा करूंगा कि आगे इस तरह की बात या इस तरह का कोई बिल आवे तो उसके लिये सरकार के पास से हमको इतनी सहूलियत जरूर मिलना चाहिये। और जो जरूरत आज इस बिल में पैदा हुई आगे न पैदा हो और न माननीय सदस्यों का समय बरबाद हो और न माननीय अध्यक्ष को बार बार तंग करने की जरूरत पड़े। मैं डरता हूं कि आगे मैं जिस बात को कहूं उसी को माननीय मंत्री कह दें कि इस बिल से वह निकल गया लिहाजा सिर्फ अपने संशोधन को पेश करके मैं बैठ जाता हूं कि इस बिल के लिये जो अमेंडमेंट दो वर्ष का रखा गया है उसको एक वर्ष कर दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करते हुये मैं इतना तो अवश्य ही कहना चाहता हूं कि यह संशोधन जिस विधेयक पर हम ला रहे हैं और जिसको शायद माननीय मन्त्री जी स्वीकार कर लें, कि यह प्रस्ताव किस मतलब के लिये लाया गया है। क्योंकि जिस आइटम पर देखिए उसी पर यह लागू नहीं होता। तो यह किस चीज के लिये लागू किया जा रहा है। इसके शिड्यूल में जो आइटम हैं यानी नान-एडीबिल आयल्स, आयल सीड्स पर लागू नहीं होता है कैटिल्स पर लागू नहीं होता है, कोल्हू और ब्वायलिंग पैन पर लागू नहीं, होता मौलेसेज पर लागू नहीं होता, फारेस्ट प्रोड्यूस पर, ब्रिक्स पर, फाडर पर लागू नहीं होता, मैंचेज पर और आयल केक्स पर लागू नहीं होता, ड्रग्ज के लिये अलग ऐक्ट बना हुआ है, नान फेरस मैटल्स पर गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के रूल्स बने हुये हैं तो मैं यह पूछता हूं कि माननीय मन्त्री जी की ओर से यह बिल किस लिये लाया गया है। किस चीज को 'एसेन्शल कमोडिटीज' का नाम दिया जायगा और किस बात के नियंत्रण के लिये यह बिल लाया गया है। इतना समय जो सदन का लिया गया है, मेरी समझ में नहीं आता है कि इसकी बुनियाद क्या है।

अध्यक्ष--माननीय नारायण दत्त जी यह भी जानते हैं कि वह तो स्वीकार करने को तैयार बैठे हैं। तो उस पर बहस करने की बात क्या है।

श्री बनारसी दास--अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री गेंदा सिंह जी की तरफ से पेश किया गया है वह मुझे स्वीकार है।

लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब कि नारायणदत्त जी और गेंदा सिंह जी की तरफ से ऐसा प्रश्न उपस्थित किया गया है। मैं समझता हूं कि यदि ध्यान के साथ पहले ही, जिस समय मैंने यह विधेयक प्रस्तुत किया था वह सुनते तो उन्होंने जो आपत्ति की है वह करने की आवश्यकता

न होती। शेड्यूल में जो चीजें दी गयी हैं, वह तो शुरू ही में बतलाया गया कि सरकार इस बारे में अधिकार चाहती है कि जिस समय वह आवश्यकता समझे, वह गजट में प्रकाशन करके इस प्रकार का आदेश दे कि किस किस वस्तु पर नियंत्रण चाहती है। शुरू ही में मैंने यह बताया कि इस विधेयक द्वारा केवल सीमेंट, कोल्हू, फायर उड, और स्टील एंड आयरन प्राडक्ट्स, ये चार चीजें ऐसी हैं जिसमें इस ऐक्ट के मातहत नियंत्रण जारी है। इसके अतिरिक्त जितनी चीजों का उल्लेख इस शेड्यूल के अन्दर किया गया है उन पर केवल सरकार इस विधेयक द्वारा अधिकार चाहती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन पर नियंत्रण जारी कर दे। इस लिये एक साल का जो उन्होंने संशोधन रखा है स्वीकार है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी जिसमें उनको जानकारी की आवश्यकता होती। जानकारी सब मौजूद थी। पहले जैसे मोलेसेज के संबंध में ५१ में जिस को स्वीकृति मिली, यदि विधेयक को पढ़ते तो उन्हें इस प्रकार की आपत्ति की जरूरत नहीं थी।

बहरहाल, यह संशोधन जो माननीय गेंदा सिंह की ओर से पेश किया गया है स्वीकार करता हूं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ की अंतिम पंक्ति में संख्या "१९५४" के स्थान पर "१९५३" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

यू० पी० कंट्रोल आफ़ सप्लाईज़ (कंटीन्युएंस आफ़ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५२

यू० पी० ऐक्ट ३०, १९५०।

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युएंस आफ़ पावर्स) अधिनियम को संशोधित करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट २, १९४७।

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ़ सप्लाईज (कान्टीन्यूएंस आफ़ पावर्स) अधिनियम द्वारा यू० पी० कन्ट्रोल आफ़ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ जारी रक्खा गया था और वह ३० सितम्बर, १९५२ ई० को समाप्त होने वाला है;

यह आवश्यक है कि उक्त अधिनियम को ३० सितम्बर, १९५४ ई० तक जारी रक्खा जाय;

अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ़ सप्लाईज (कान्टीन्यूएंस आफ़ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसी दास--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यू० पी० कंट्रोल आफ़ सप्लाईज़ । (कंटिनुएंस आफ़ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५२, पारित किया जाय ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं आपके जरिये यह जानना चाहता हूं कि फाडर की क्या परिस्थिति रखी गयी है अगर हमें इसकी परिस्थिति मालूम हो जाय तो थर्ड रीडिंग में बहस करने की बहुत जरूरत न रहेगी । इसलिये मैं यह जानना चाहूंगा कि कहीं ५१ के ऐक्ट में यह भी तो नहीं निकाल दिया गया ?

श्री बनारसी दास--इस विधेयक के अन्दर फाडर शामिल नहीं है ।

श्री राजनारायण--तो ठीक है, अगर फाडर शामिल नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय उप-मंत्री जी ने हमको यह बतलाया कि यह विधेयक चार चीजों पर लागू होता है और उनमें आयरन और स्टील प्राडक्ट्स भी शामिल हैं । तो इस संबंध में मुझे इस विधेयक को लागू करने की जो कार्यवाही होती है उस पर बहुत एतराज है । जिस प्रकार कि जो कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी आचार्य जुगुल किशोर के नेतृत्व में बनी थी उसमें आयरन स्टील का जिस प्रकार वितरण होता है और उत्पादन जिस तरह से होता है और उसका वितरण जिले और प्रान्त में होता है उस पर बड़ी टीका टिप्पणी की थी । इस सदन के सारे सदस्यों को उसकी रिपोर्ट मिली है और सरकार ने भी उस पर विचार किया होगा । लेकिन इसका विवेचन करते समय और इस विधेयक के प्रस्तुत करते समय हमारे माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल भी प्रकाश नहीं डाला कि किस प्रकार इस विधेयक को कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागू किया जायगा ।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य का ध्यान नियम ११९ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि थर्ड रीडिंग में केवल जो अमेंडमेंट होता है उसी के संबंध में बहस हो सकती है कि उसका क्या परिणाम होगा । उसी पर कहा जा सकता है--

"The discussion on a motion that the bill be passed shall be confined to the submission of arguments with regard to the effect of amendments made in the bill".

[इस प्रस्ताव पर कि विधेयक पारित किया जाय चर्चा में केवल वही तर्क दिये जा सकेंगे, जिनका संबंध विधेयक में किये गये संशोधनों के परिणाम से हो ।]

श्री नारायण दत्त तिवारी--मेरा यही कहना है कि एक साल के अन्दर हो जाना चाहिये--

अध्यक्ष--वह तो सरकार ने स्वीकार ही कर लिया । फिर कोई सवाल नहीं पैदा होता ।

प्रश्न यह है कि यू० पी० कंट्रोल आफ़ सप्लाईज़ (कंटीयुएंस आफ़ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५२, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १५ मिनट पर अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक १९५१

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है ।

अध्यक्ष---(गणना करने के पश्चात्) कोरम से अधिक है।

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)---जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक, १९५१ ई० जो २१ अगस्त, १९५१ ई० को विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया था, लौटा देने की अनुमति दी जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक, १९५१ ई० , जो २१ अगस्त, १९५१ ई० को विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया था, को लौटाने की अनुमति मांगी है मैं उसका विरोध करता हूं चूंकि पहली बात तो यह है कि यह विधेयक क्या है, यह हमको मालूम ही नहीं है । पहले हम उसको देखें कि वह है क्या और उसकी जांच करें तब लौटाने की अनुमति का सवाल उठता है । दूसरी बात यह है कि उसका पुरःस्थापन माननीय वित्त मंत्री जी ने नहीं किया था । इसलिये माननीय वित्त मंत्री जी को अधिकार भी नहीं है इसको वापस लेने का जब कि उन्होंने उसको पुरःस्थापित ही नहीं किया था। इसलिये मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था के विरुद्ध होगा।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम ---पुरःस्थापित तो गवर्नमेंट ने किया था और गवर्नमेंट के हर मेंम्बर को किसी भी बिल को पेश कर देने का हक़ है । तो इस पर तो कोई एतराज हो नहीं सकता है । सिर्फ इजाज़त मांगी जा रही है, इंट्रोडक्शन का मोशन तो है नहीं कि उसके ऊपर एतराज़ किया जा सके। वह तो जब इंट्रोड्यूस होगा तब यह सवाल उठेगा कि इसके अन्दर क्या है । जहां तक इसका ताल्लुक़ है ऐडवोकेट जनरल की राय है.....

अध्यक्ष---माननीय नारायण दत्त जी का यह एतराज़ है कि वह बिल क्या है उसे जानने का उन्हें अधिकार है क्यों कि इस हाउस की मेम्बरशिप तो बदल गयी है । तो माननीय सदस्य की यह मांग तो ठीक ही है कि वह विधेयक वापिस करने की अनुमति देने के पहले जानें भी कि कौन सा विधेयक है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---बिल की कापियां तो शायद आज नहीं रखी गयी हैं मेज़ के ऊपर। लेकिन अगर वह नहीं रखी गयी हैं और आप समझें कि उसकी कापी देखने की ज़रूरत है तो पहले उसकी कापियां दे दी जायंगी।

अध्यक्ष---हां, उस बिल की कापी होना आवश्यक है नहीं तो हाउस तय कैसे करेगा । माननीय वित्त मंत्री जी उसको ला सकते हों तो ले आयें।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---कापियां अभी मिल जाती हैं ।

अध्यक्ष---अच्छी बात है । तो तब तक आइटम ११ ले लिया जाय । जब बिल की कापियां आ जायंगी तब वह ले लिया जायगा।

संयुक्त प्रान्तीय नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश विधान, १९५० ई० के संबंध में नियुक्त की गई प्रवर समिति के पुनर्संगठन का संकल्प

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प किया जाता है कि १३ अक्तूबर, १९५० को जो प्रवर समिति संयुक्त प्रांतीय नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश विधान, १९५० ई० के संबंध में नियुक्त की गयी थी वह पुनः संगठित की जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आन ए प्वाइंट आफ़ आर्डर (मैं एक विधान का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं)।

अध्यक्ष--पहले उनको कह तो लेने दीजिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी--प्रस्ताव करने पर ही प्वाइंट आफ़ आर्डर है।

अध्यक्ष--आर्गुमेंट्स (तर्क) सुन तो लीजिये।

श्री चरण सिंह--प्रस्ताव यह है कि अरबन एरियाज़ जमींदारी अबालिशन बिल जो कि जनवरी, सन् १९५० में पिछली असेम्बली में पेश हो चुका था और उसके बाद एक सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द हो चुका था तो वह सेलेक्ट कमेटी जब कि पिछली असेम्बली खत्म हुई उस वक्त तक अपनी रिपोर्ट नहीं दे पायी थी। तो अब इसी बिल को दुबारा सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का मेरा प्रस्ताव है। जैसा कि मैं समझ रहा हूं कि.....

अध्यक्ष--अब माननीय नारायण दत्त जी को भी एतराज़ कर लेने दीजिये।

श्री चरण सिंह--मेरा प्रस्ताव इस बिल को नई सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं आप का ध्यान नियम ७६ की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं।

"If the Government desire to move a resolution they shall give seven days' notice and shall along with it supply a copy of the resolution to the Secretary, who shall have its copies sent to members within forty-eight hours of its receipt".

[यदि सरकार कोई संकल्प उपस्थित करना चाहे तो वह सात दिन की सूचना देगी और सूचना के साथ संकल्प की एक प्रति सचिव को भेजेगी जो उसकी प्राप्ति के अड़तालिस घंटों के के भीतर उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को भिजवायेगा।]

यह नियम के खिलाफ है। सात दिन का नोटिस नहीं मिला है और दूसरे ४८ घंटे भी अभी नहीं हुये हैं। इसलिये यह अनियमित है।

अध्यक्ष--लेकिन इसके आखिर में दे दिया है कि--

"Provided that the Speaker may allow a shorter notice."

[परन्तु अध्यक्ष इससे कम समय की सूचना स्वीकार कर सकता है।]

मेरा मतलब यह है कि आपको नियम को पूरा तो पढ़ना चाहिये था।

श्री उम्मेद सिंह (जिला गोंडा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल सन् १९५० ई० का है और माननीय हुकुम सिंह के इस पर दस्तखत हैं। यह बिल पिछले असेम्बली के साथ लैप्स हो चुका है। लिहाजा हमारे ख्याल में कोई बिल इस हाउस के सामने नहीं है और न कोई सिलेक्ट कमेटी ही है।

अध्यक्ष--आप किस नियम के अन्तर्गत यह कह रहे हैं ।

श्री उम्मेद सिंह--मैं नियम को तो कोट कर नहीं कह रहा हूं लेकिन जनरल बात कहता हूं कि हाउस के सामने कोई बिल नहीं है । यह बिल पहले था लेकिन जब वह हाउस खत्म हो गया तो यह बिल भी खत्म हो गया है । रूल्स तो मैंने नहीं देखे हैं । मुमकिन है कोई रूल भी इसको सपोर्ट करता हो ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--माननीय उम्मेद सिंह के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं । नियम ९५ के अनुसार भी माननीय मंत्री जी को पहले पुरःस्थापन के लिये बिल प्रस्तुत करना चाहिये था और फिर मूव करना चाहिये था कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय तब तो इसका महत्व हो सकता था । लेकिन बिना पुनःपुरःस्थापन किये हुये इसको रखना नियम के खिलाफ है । जहां तक नियम ७६ का सवाल है उसको पूरा मैंने इसलिये नहीं पढ़ा कि माननीय मंत्री जी ने बिला आपकी आज्ञा मांगे हुये ही इसको भवन के सामने रख दिया । इसलिये अब तो सवाल उठाना और भी आवश्यक है कि हमें सात दिन का समय मिलना चाहिये ।

अध्यक्ष--नियम ९५ क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

"When a Bill is introduced, or on some subsequent occasion, the member in charge of the Bill may make one of the following motions in regard to his Bill.

It may be refered to a Select Committee."

[किसी विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने पर या किसी अनुगामी अवसर पर विधेयक भार साधक सदस्य अपने विधेयक के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तावों में कोई एक प्रस्तुत कर सकता है ;

उसे एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय ।]

तो पहले बिल को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत होती है ।

अध्यक्ष--उनका कहना यह है कि यह पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुका है ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस सदन के अंदर जब हम कोई अंग्रेजी का कोटेशन पढ़ते हैं तो उधर से एतराज किया जाता है कि सदन की भाषा हिन्दी है और जब वह करते हैं तो कोई बात नहीं है क्या मामला है ।

अध्यक्ष--आपके पास हिन्दी कापी हो तो हिन्दी पढ़ कर सुना दें । माननीय सदस्य चाह रहे हैं कि वह समझे नहीं कि आप का एतराज क्या है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यही कहा था कि माननीय उम्मेद सिंह जी का जो प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं । जहां तक पुरानी असेम्बली का सवाल है तो वह खत्म हो गयी है और उस का कार्य भी समाप्त हो गया है । इसलिये इस बिल की स्थापना और मेज पर रखे जाने की कार्यवाही दुबारा होना चाहिये । पुरःस्थापन भी दोबारा होना चाहिये था बिना पुरःस्थापन हुये जो संकल्प हमारे सामने आया है कि प्रवर समिति पुनः संगठित की जाय, यह अनियमित है । अगर नियम ९५ आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसके अनुसार यह विधेयक हमारे सामने पुरःस्थापित नहीं हुआ । तो हम इसको किस प्रकार स्वीकार कर लें जबकि हमारे सामने कोई पुरःस्थापन नहीं हुआ जो हुआ था वह पहली असेम्बली के सामने हुआ था, इस असेम्बली के सामने नहीं हुआ । जिस प्रकार पहली असेम्बली खत्म हो गयी उसी प्रकार वह प्रवर समिति भी लेप्स हो गयी और उस प्रवर समिति

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

का पुनःसंगठित करना भी लैप्स हो गया और जिस प्रकार नई प्रवर समिति का दोबारा बनाना आवश्यक नजर आ रहा है उसी प्रकार यह प्रस्ताव भी दोबारा आना चाहिये। हम बिल का विरोध नहीं करना चाहते, बिल की तो बहुत जरूरत है और उसको जल्दी से जल्दी मंजूर किया जाय। प्रवर समिति को पुनः संगठित करने की बात लाना तो यही मानी रखता है कि देर लगाई जाय। होना यह चाहिये था कि बिल को दोबारा पुरःस्थापित करके सीधे उस पर विचार किया जाता।

श्री चरण सिंह——अध्यक्ष महोदय, जिन दो माननीय सदस्यों ने इस पर आपत्ति की है उसका मूल यह है कि यह बिल लेप्स हो चुका है और लेप्स हो चुका तो फिर दोबारा इंट्रोड्यूस होना चाहिये था तब सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने की बात थी। देखना यह है कि बिल जो कि पिछले लेजिस्लेचर में पुरःस्थापित हुआ था वाकई लेप्स हुआ या नहीं। तो इस सिलसिले में जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद ३८२ की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ३८२ के खंड १ में यह है "जब तक प्रथम अनुसूची के भाग (क) में . . . .

अध्यक्ष——कौन सा भाग आप पढ़ रहे हैं?

श्री चरण सिंह——३८२ के प्रथम भाग को पढ़ रहा हूं। "जब तक प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य के विधान मंडल का सदन या के सदन इस संविधान के उपबंधों के अधीन सम्यक्रूप से गठित न हो जायें तथा प्रथम सत्र में अधिवेशन होने के लिए आहूत न हो जायें तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहिले तत्स्थानी प्रान्त के कृत्यकारी विधान मंडल का सदन, या सदन, इस संविधान के उपबन्धों द्वारा ऐसे राज्य के विधान मंडल के सदन या सदनों को दी गई सब शक्तियों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगा या करेंगे।" सरल भाषा में मतलब यह है कि जब यह संविधान बना और इस संविधान के मातहत दोबारा लेजिस्लेचर्स सम्मन न किये जायं तब तक जो पुराना लेजिस्लेचर था वह ही सारी कार्यवाही करेगा और उसके वे ही अधिकार होंगे।

अब ३८९ में यह दिया हुआ है कि जो बिल कांस्टीट्यूशन के शुरू होने के पहले लेजिस्लेचर्स में पास हो चुके थे उनके संबंध में जो कार्यवाही हो चुकी थी, यह माना जायगा कि वह कार्यवाही मानो कि कांस्टीट्यूशन के बाद जो लेजिस्लेचर था उसमें भी की गई। ३८९ में लिखा हुआ है, "कोई विधेयक, जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहिले भारत डोमीनियन के विधान मंडल में अथवा किसी प्रांत या देशी राज्य के विधान मंडल में लम्बित था, किसी ऐसे प्रतिकूल उपबंध के अधीन रह कर जो यथास्थिति संसद् अथवा तत्स्थानी राज्य के विधान मंडल द्वारा इस संविधान के अधीन निर्मित नियमों के अन्तर्गत किया जाय, यथास्थित संसद् में अथवा तत्स्थानी राज्य के विधान मंडल में इस प्रकार चालू रखा जा सकेगा, मानो कि भारत डोमीनियम के विधान मंडल में अथवा उस प्रांत या देशी राज्य के विधान मंडल में उस विधेयक के बारे में की गई कार्यवाहियां संसद् में अथवा तत्स्थानी राज्य के विधान मंडल में की गई थीं' तो २६ जनवरी, सन् १९५० ई० के पहले जो बिल पेश हो चुके थे वह उसके बाद में भी जारी रहेंगे। यह बिल २६ जनवरी के पहले पेश हो चुके थे। अब देखना यह है कि क्या यह लैप्स हो गया है या नहीं। इस लब्ज़ के सिलसिले में अनुच्छेद १९६ को हम देखें उसके खंड ५ के मुताबिक यह है कि "कोई विधेयक जो किसी राज्य की विधान सभा में लम्बित है, अथवा जो विधान सभा से पारित हो कर विधान परिषद् में लम्बित है, विधान सभा के विघटन पर व्यपगत हो जायगा"। अब देखना यह है कि जो विधान सभा थी उसका विघटन हुआ है या नहीं यानी वह डिज़ाल्व हुई है या नहीं। वह विधान सभा बुलाने के पहले ही समाप्त हुई या नहीं। जब तक यह विधान सभा बुलाई नहीं गई वह

बराबर काम करती रही और वह किसी तरह से डिजाल्व नहीं हुई थी। वह सिर्फ टरमिनेट हुई थी। डिजाल्व होने के बारे में अनुच्छेद १७२ और १७४ में है। वह इस तरह से है; "प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा यदि पहिले ही विघटित न कर दी जाय तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियुक्त तारीख से पांच वर्ष तक चालू रहेगी और इससे अधिक नहीं तथा पांच वर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति का परिणाम विधान सभा का विघटन होगा"।

इसका मतलब यह है कि जो विधान सभा ५ साल तक विघटित नहीं हुई वह जारी रहेगी यानी कंटिन्यू करेगी। वह विधान सभा ५ साल खत्म होने के बाद खत्म नहीं हुई यानी उसका विघटन नहीं हुआ। अब १७४ में यह है वह भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं; "(१) राज्य के विधान मंडल के सदन या सदनों को प्रति वर्ष कम से कम दो बार अधिवेशन के लिये आहूत किया जायेगा तथा उनके एक सत्र का अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिये नियुक्त तारीख के बीच छः मास का अन्तर होगा।

(२) खंड (१) के उपबंधों के अधीन रहते हुये, राज्यपाल, समय समय पर :

(क) सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन के लिये आहूत कर सकेगा,

(ख) सदन या सदनों का सत्रावसान कर सकेगा,

(ग) विधान सभा का विघटन कर सकेगा।"

अब इन दोनों अनुच्छेदों के मुताबिक इन बिलों का विधान सभा में विघटन नहीं हुआ है बल्कि जैसा मैंने ३८२ की ओर संकेत किया है कि उसमें लफ्ज़ आया है कि जब तक वह समन किया जायगा उसी लेजिस्लेचर का अधिकार रहेगा अर्थात् वह काम करता रहेगा और उस विधान सभा के अधिकार भी उसी प्रकार से जारी रहेंगे और वे सब अधिकार संविधान के अनुसार उस नई विधान सभा को भी प्राप्त हो जायेंगे। उसमें यह है कि "जब तक प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य के विधान मंडल का सदन या के सदन इस संविधान के उपबंधों के अधीन सम्यक् रूप से गठित न हो जायं तथा प्रथम सत्र में अधिवेशन होने के लिये आहूत न हो जायें" जब तक नया लेजिस्लेचर नहीं आयेगा वह अपना काम करेगी और जब दूसरे नये लेजिस्लेचर को आहूत किया जायगा तो वह टरमिनेट हो जायेगा। समाप्त नहीं होगा। इसलिये उस लेजिस्लेचर के सामने जो बिल पेश किये गये या रखे गये वह लैप्स नहीं हुये। हमारे एडवोकेट जनरल की राय भी यही है। उनकी राय भी बहुत महत्व रखती है वह यह है कि।

"The position, therefore, is that even though I agree with the Minister of Justice that Article 196 (5) may apply, the conditions required by that Article for the lapsing of a Bill are not present in this case. There has been no dissolution of the State Legislature and the U. P. Urban Area Zamindari Abolition Bill cannot, therefore, be considered to have lapsed within the meaning of Article 196 (5) of the Constitution. I therefore admit that the Bill must be considered to be still pending."

[अतः स्थिति यह है कि मैं चाहे न्याय-मंत्री के साथ एकमत हो भी जाऊं कि अनुच्छेद १९६ (५) लागू हो सकता है, तो भी वे शर्तें जो किसी विधेयक के व्यपगत होने के लिये आवश्यक हैं, वे इस मामले में विद्यमान नहीं हैं। राज्य विधान मंडल का विघटन नहीं हुआ है और इसलिये यू० पी० नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक संविधान के अनुच्छेद १९६ (५) के अनुसार व्यपगत नहीं समझा जा सकता। अतः मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि विधेयक अभी तक लम्बित समझा जाना चाहिये।]

[श्री चरण सिंह]

इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि यद्यपि मैं माननीय मंत्री से सहमत हूँ कि अनुच्छेद १९६ का खंड ५ लागू होगा फिर भी जिन शब्दों का इसमें बखान है या जो विचार है बिल को लैप्स होने के लिये वह इस मामले में वर्तमान नहीं है क्योंकि प्रादेशिक विधान-मंडल का विघटन नहीं हुआ इसलिये यू० पी० अरबन एरिया जमींदारी विनाश बिल के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि संविधान १९६,खंड ५ की परिभाषा के अन्दर वह लैप्स हो गया। इसलिये मैं सहमत हूं और इसलिये यह बिल अब भी माना जाना चाहिये कि पैंडिंग है।

अध्यक्ष---७६ के हिसाब से जो नोटिस की जरूरत है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री चरण सिंह---आपने कृपा करके इजाजत दे दी है।

अध्यक्ष---मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्यों जल्दी है और आपकी क्या दिक्कत है?

श्री चरण सिंह---जल्दी तो आपत्ति उठाने वाले सज्जन को खुद ही है। यदि बीच में एलेक्शन नहीं आते तो पिछले साल ही हम इसको स्टेचूट बुक पर लाना चाहते थे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसकी हमें बहुत जल्दी है और यह बिल करीब दो ढाई साल से जनता के सामने है। इसलिये मैं समझता हूं कि जितना नोटिस हुआ वही काफी समझा जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि माननीय माल मंत्री जी ने जो कहा कि लैप्स नहीं होता और जो कुछ उन्होंने पढ़ कर सुनाया उससे तो साबित नहीं हुआ कि वह लैप्स नहीं होता है। अगर नहीं भी हुआ तब भी उसके दोबारा पुरःस्थापन की आवश्यकता थी और चूंकि यह पुरानी असेम्बली का सेशन नहीं था उन्होंने जवाब दिया कि आवश्यकता नहीं थी। माननीय श्री उम्मेद सिंह ने जो एतराज किया था उसका उन्होंने जवाब दिया। मैं नहीं समझता कि फिर यह जो प्रस्ताव है कहां तक उचित है।

अध्यक्ष---दो एतराज इस प्रस्ताव को पेश करने के समय पेश किये गये। एक तो था नोटिस के बारे में कि उसमें समय मिलना चाहिये, यानी जितना समय होना चाहिये उतना समय नोटिस का नहीं दिया गया। उसके विषय में माननीय माल मंत्री जी ने यह कहा कि यह बिल बहुत दिनों से सदन के सामने भी है और जनता के सामने भी है और मैं यह भी जानता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी तीन-चार रोज पहले सदन को आगाह कर दिया था कि अगले हफ्ते में ये विधेयक लिये जायेंगे और नोटिस के बारे में जितना समय होना चाहिये उससे कम समय देने का मुझे अधिकार है। मैं समझता हूं कि सदन को काफी समय मिल चुका है और यह बिल भी जनता के सामने बहुत दिन पहले आ चुका है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि बिल पेश नहीं है, और उसकी सूचना नहीं है। बिल तो पेश हो चुका है और उसी की प्रवर समिति बनाने के लिये माननीय माल मंत्री का प्रस्ताव है। अगर बिल नहीं है और इस सदन के सामने वह नहीं समझा जायगा तो प्रवर समिति का प्रस्ताव भी नहीं आ सकता। जहां तक नोटिस का संबंध है अगर यह मान लिया जाय कि विधेयक भवन के सामने है तो ऐसी अवस्था में इस तरह का प्रस्ताव लाने में जो समय की आवश्यकता है उसको कम करने के लिये मैं इजाजत देता हूं। और इसलिये भी क्योंकि प्रस्ताव केवल प्रवर समिति के संबंध में है अगर प्रस्ताव इस किस्म का होता कि आज ही उस पर विचार कर लिया जाय तो मैं माननीय सदस्यों

की कठिनाई समझ सकता था और तब मैं कम से कम १ दिन तो देना चाहता कि आज न लिया जाय बल्कि कल लिया जाय। इसलिए मैं समय के लिये जरूरी नहीं समझता कि कोई आपत्ति होनी चाहिये।

जहां तक दूसरा प्रश्न उठाया गया है, उसके दो भाग हैं। एक तो माननीय नारायण दत्त जी ने नियम ९५ के अनुसार यह कहा कि सदन के सामने जब विधेयक लाया ही नहीं गया तो प्रवर समिति कैसी। यदि यह माना जाता है कि सदन के सामने पहला बिल मौजूद है और जारी है तो सदन के सामने फिर से इसे आने की आवश्यकता नहीं होती। चूंकि प्रवर समिति के सदस्य पहली विधान सभा के सदस्य थे और अब उनमें से बहुत से नहीं हैं इसलिये यह आवश्यकता प्रतीत होती है कि दूसरी प्रवर समिति कायम हो और इसलिये यह प्रस्ताव लाया गया। जहां तक विधेयक का संबंध है, वह केवल पुरःस्थापित हो चुका है। इसलिए माननीय सदस्य का यह ऐतराज मैं समझता हूं कि इसमें आता ही नहीं है कि वह फिर से पेश होना चाहिये। वह पेश शुदा है और उसे इसलिये फिर से पेश होने की जरूरत नहीं है।

तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह यह है कि वह विधेयक जो कि पहली विधान सभा के समय में पुरःस्थापित हुआ और उसके ऊपर विचार करने के लिये एक प्रवर-समिति कायम हुई तो अब भी वह बिल जारी है या लैप्स यानी खत्म हो गया। इसके लिये संविधान का अनुच्छेद १९६ (५) जो कि माननीय माल मंत्री जी ने पढ़ कर सुनाई, उसके हिसाब से अगर पहला सदन डिजाल्व हो गया है ऐसा माना जाय तो ऐसी अवस्था में बिल खत्म हो जाते हैं। उन्होंने १७२ और १७४ अनुच्छेदों के अनुसार यह बताया कि डिसोल्यूशन के संबंध में दोनों परिस्थितियां पैदा नहीं हुईं। डिसोल्यूशन उक्त दो परिस्थितियों में ही हो सकता है। ३८२ अनुच्छेद के अनुसार पहला सदन कार्य करता रहा और नया सदन बुलाने पर वह खत्म हो गया न कि डिजाल्व हुआ यह तर्क उन्होंने किया। जहां तक अध्यक्ष का संबंध है मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जब यह बात कानूनी दृष्टि से स्पष्ट न हो कि कौन सा विधेयक इस सदन के सामने लाया जा सकता है या नहीं या कानून के संबंध में मतभेद हो तो मैं अध्यक्ष का यह कर्त्तव्य समझता हूं कि इस माननीय सदन का जो अधिकार है उसका समर्थन करे। यानी इस सदन को अधिकार है कि जो विधेयक है वह चाहे उस पर विचार कर सकता है यद्यपि उसके विषय में शंका भी हो कि आया वह विधेयक कानून की दृष्टि से लाया जा सकता है या नहीं। कायदे के अनुसार अगर कोई बात शंका की दिखाई देती हो तो भी सदन को इस बात का अधिकार है कि वह निर्णय करे कि आया इसके ऊपर कोई अधिनियम बनाने की आवश्यकता है या नहीं क्योंकि यह अदालतों का काम है यह फैसला करना कि जो कानून इस सदन ने बनाया वह वैधानिक दृष्टि से ठीक है या नहीं। अंतिम फैसला देने का अधिकार अदालतों को है, यह उचित नहीं कि अध्यक्ष उस अधिकार को अपने हाथ में ले ले और सदन को किसी कानून के बनाने से रोक दे। यह एक साधारण नियम है। इस विषय में माननीय माल मंत्री ने एडवोकेट जनरल की राय भी पढ़कर सुनाई और गवर्नमेंट् इस बात की पूरी जिम्मेदारी स्वयं लेने के लिये तैयार है कि जो अधिनियम पास हो उसकी वैधानिकता या अवैधानिकता से जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वह उन्हें भुगतने के लिये तैयार हैं।

ऐसी अवस्था में अध्यक्ष के लिये यह उचित न होगा कि वह इस विधेयक पर विचार करने से सदन को रोक दे इस बुनियाद पर कि यह अवैधानिक है। यह अवैधानिक है या नहीं, या लैप्स हुआ कि नहीं, इसका अंतिम निर्णय अदालत ही दे सकती है। ऐसी अवस्था में मैं उचित समझता हूं कि इस विधेयक पर सदन को विचार करने का पूर्ण अधिकार है। इसलिये यह प्रस्ताव भी वैधानिक है और आपत्ति जो दूसरी उठायी गयी है वह अनुचित है।

[अध्यक्ष]

अब किसी को संकल्प के संबंध में कुछ कहना हो तो कह सकता है ।

(किसी भी सदस्य ने कुछ नहीं कहा)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संकल्प किया जाता है कि १३ अक्तूबर, १९५० को जो प्रवर समिति संयुक्त प्रांतीय नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधान, १९५० ई० के संबंध में नियुक्त की गयी थी वह पुनः संगठित की जाय और

(कुछ देर रुक कर)

इसमें माननीय माल मंत्री जी जोड़ दें कि इसके लिये नीचे लिखे सदस्य होंगे । पहले आप इसको पेश कर दें तो मैं प्रश्न पेश करूंगा ।.

श्री नारायण दत्त तिवारी---यह प्रवर समिति है या संयुक्त प्रवर समिति ।

श्री चरण सिंह---केवल प्रवर समिति ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से उसमें वह संशोधन करके भेज दूंगा । मैं यहां पर नाम पढ़ देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं---

"संकल्प किया जाता है कि १३ अक्तूबर, १९५० को जो प्रवर समिति संयुक्त-प्रांतीय नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधान, १९५० ई० के संबंध में नियुक्त की गयी थी वह पुनः संगठित की जाय और उसके निम्नलिखित सदस्यों हों---

१—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य
२—श्री वंशीधर मिश्र
३—श्री वसी नकवी
४—श्री कृष्ण चन्द्र गुप्त
५—श्री इरतजा हुसैन
६—श्री गणेश प्रसाद जायसवाल
७—श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव
८—श्री करन सिंह
९—श्री राम स्वरूप गुप्त
१०—श्री वीर सेन
११—श्री भीमसेन
१२—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा
१३—श्री राम नरेश शुक्ल
१४—श्री रामकुमार शास्त्री
१५—श्री बाबूलाल मीतल
१६—श्री त्रिलोकी नाथ कौल
१७—श्री नारायण दत्त तिवारी

१८—श्री राम नारायण त्रिपाठी
१९—श्री उम्मेद सिंह
२०—श्री अवधेश प्रताप सिंह ।

अध्यक्ष—इस विधेयक के मेम्बर इंचार्ज कौन हैं ?

श्री चरण सिंह—मैं ही हूं ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संकल्प किया जाता है कि १३ अक्तूबर, १९५० को जो प्रवर समिति संयुक्त प्रांतीय नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधान, १९५० ई० के संबंध में नियुक्त की गई थी वह पुनःसंगठित की जाय और उसके निम्नलिखित सदस्य हों—

१—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य
२—श्री वंशीधर मिश्र
३—श्री वसी नक़वी
४—श्री कृष्णचन्द्र गुप्त
५—श्री इरतजा हुसैन
६—श्री गणेश प्रसाद जायसवाल
७—श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव
८—श्री करन सिंह
९—श्री राम स्वरूप गुप्त
१०—श्री वीरसेन
११—श्री भीमसेन
१२—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा
१३—श्री राम नरेश शुक्ल
१४—श्री राम कुमार शास्त्री
१५—श्री बाबूलाल मंतल
१६—श्री त्रिलोकी नाथ कौल
१७—श्री नारायण दत्त तिवारी
१८—श्री राम नारायण त्रिपाठी
१९—श्री उम्मेद सिंह और
२०—श्री अवधेश प्रताप सिंह ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अध्यक्ष—प्रस्ताव के अनुसार बीस तो ये प्रवर समिति के सदस्य हुये और माननीय माल मंत्री भी इसके सदस्य होंगे नियम के अनुसार। मैं उनको ही इस प्रवर समिति का सभापति नियुक्त करता हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या मालमंत्री इसके लिये भी समय नियत कर देंगे ।

अध्यक्ष—जिस समय समय नियत नहीं होता उसमें दो महीने की मियाद रहती है। यह प्रस्ताव तो अब पास हो चुका अब इसमें कोई जोड़ लग नहीं सकता । माननीय विरोधी दल के सदस्य और सरकार इसमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने का प्रयत्न करें ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक, १९५१ ई०

अध्यक्ष--क्या माननीय वित्त मंत्री यह चाहते हैं कि यह विधेयक माननीय सदस्यों को बांट दिया जाय।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--बांट दिया गया है।

मेरे पास ७ प्रतियां आई हैं। अगर किसी को आपत्ति न हो तो जिनको आपत्तियां हों उनको दे दी जायं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--सबको ही दे दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष--नहीं, जिनको आपत्ति हो उन्हीं को मिलना चाहिये क्योंकि विधेयक वापस होना है और कोई खास बात नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर बहुत ही टेक्निकल एतराज न हों तो अच्छा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा से हमें यह सन् १९५१ और सन् १९५२ दोनों का विधेयक मिल गया। लेकिन हमें इसको पढ़ने के लिये समय मिलना चाहिये तभी हम अनुमति दे सकेंगे। क्यों कि यह पांच-छः पेजेज का है इसमें समय अध्ययन में लगेगा।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य जिस वक्त नया विधेयक आवे उसमें अगर पुराने विधेयक में से कुछ कायम रखना चाहें तो उसे संशोधन के रूप में उसमें शामिल करने के लिये ला सकते हैं।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक १९५१ ई०, जो २१ अगस्त, १९५१ ई० को विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया था, लौटा देने की अनुमति दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सरकारी भु-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक, १९५२

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जनाब वाला, मैं उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक, १९५२ ई० को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'छ, आगे पृष्ट ८९ पर)

अध्यक्ष--क्या आप इसको इसी वक्त विचार के लिये भी पेश करना चाहते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी, मैं इस वक्त पेश नहीं करता।

अगले दिन का कार्यक्रम

अध्यक्ष--अब कल के लिये क्या कार्यक्रम होगा?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--कल पहले स्टाम्प बिल होगा और उसके बाद यह बेदखली वाला बिल लिया जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (ज़िला नैनीताल)—नोटिस के लिये कैसे लिया जायगा।

अध्यक्ष—नोटिस के बारे में मैं इतनी सहूलियत दे सकता हूं कि जो माननीय सदस्य संशोधन देना चाहते हैं वह आज शाम तक दे सकते हैं।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—वक्त के वक्त पर कल ले लिये जायं। उसमें कोई एतराज नहीं होगा।

अध्यक्ष—उसी समय पर भी ले लिये जायेंगे।

श्री राजनारायण (ज़िला बनारस)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक उत्तर-प्रदेश स्टाम्प विधेयक का संबंध है, इस संबंध में आपके जरिये मैं वित्त मंत्री जी से इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह बिल बहुत लम्बा चौड़ा है और यह कर लगाने वाला है। इससे प्रदेश की सारी जनता का संबंध है। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि इतना समय हम लोगों को ज़रूर मिलना चाहिये कि इस बिल को हम लोग पढ़ें और इसके अनुसार जो सुझाव हो सके उसको हम दे सकें और अगर वित्त मंत्री जी इतनी जल्दी करेंगे या जो यह बिल हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है इसको लाद देने की चेष्टा करेंगे और चाहेंगे कि शीघ्र हम लोग अपने संशोधन दे दें और उस पर विचार शुरू हो जाय तो मैं समझता हूं कि इसमें बड़ी दिक्क़त होगी।

जहां तक विरोधी दल की बात है उसके बारे में मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी को बता दूं कि इससे हमारा बहुत मौलिक विभेद होगा। मैं समझता हूं कि इस समय स्टाम्प विभाग में जो श्री जे० पी० सिंह हैं, उनकी पूरी सिफारिश सरकार के पास १९५० में आयी थी और अगर उसके अनुसार हम चलना चाहते हैं, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन का बहुत घनिष्ट संबंध है, तो इसको बदल कर एक दूसरा ही बिल लाना पड़ेगा। इसलिये मैं आपके जरिये वित्त मंत्री जी से अपील करूंगा कि पूरा का पूरा विधेयक ही बदलना होगा इसलिये जल्दी न करें। लेकिन अगर वह चाहते हैं कि इसी विधेयक को ले लिया जाय तो, हमें इतना समय मिलना चाहिये कि हम उसको एक उचित रूप देने के लिये आवश्यक संशोधन ला सकें।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—मैं इसीलिये अपने दोस्त को इशारा कर रहा था कि जो बात वह चाहते हैं मैं खुद ही उनके कहने से पहले कर दूं। इसलिये मैं अर्ज़ करूंगा कि कल इस बिल को नहीं लिया जायगा। परसों के लिये रखा जाय। कल बेदख़ली का बिल ले लिया जाय।

अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह उचित होगा।

(इसके बाद सदन ३ बजकर २ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२ सितम्बर, १९५२।

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये २ सितम्बर, १९५२ के तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९ पर)

जिला बस्ती में प्रथम फेज में ले ली गयी सड़कों की सूची

नव निर्माण के लिये पक्की सड़कें		लम्बाई मीलों में
क—१—बांसी-नौगढ़	.. ..	८
२—नौगढ़-शोहरतगढ़	.. ..	१६
ख—पुर्ननिर्माण		
१—बस्ती-डोमरियागंज-इंटवा-बढ़नी	.. ..	५४
२—बस्ती-बांसी-मेंहडावल-खलीलाबाद	.. ..	४७
३—खलीलाबाद महौली बड़हलगंज (खलीलाबाद महौली भाग)	.. ..	१०
४—उस्का बाजार नौगढ़ छिलिया (शिवरतगंज नैपाल सरहद भाग)	.. ..	६
ग—सीमेंट कांक्रीट ट्रैक्स		
१—खलीलाबाद मेंहडावल	.. ..	६
२—खलीलाबाद मुखलिसपुर (महौली ब्रान्च)	.. ..	५
३—बस्ती बांसी	.. ..	६
४—बस्ती डोमरियागंज	.. ..	६
५—वाल्टरगंज मिल को डोमरियागंज सड़क के ५ वें मील द्वारा बांसी सड़क के छठें मील से जोड़ने वाली लिंक	.. ..	७
६—बमनान हरैया	.. ..	५
७—मुन्डेरवा से लालगंज सड़क पर मुन्डेरवा से मेंहडावल तक	.. ..	६
घ—ओ० डी० आर० और बी० आर०		
१—लालगंज डंडवा	ओ० डी० आर० ..	४
२—धनघाटा विश्नाथपुर	,, ..	६
३—धनघाटा सिरसी	बी० आर० ..	६
४—दुधारा बस्ती	ओ० डी० आर० ..	४
५—बांसखोर कढ़ी	बी० आर ..	७
६—मेंहडावल बनकटा	ओ० डी० आर० ..	१०
७—बनकटा बांस	,, ..	७
८—रदौली बरनपुर	बी० आर० ..	८ १/४
९—तालपुरवा बांसी	ओ० डी० आर० ..	८
१०—उस्का सोहास	बी० आर० ..	६
११—विर्धपुर टिघरा	,, ..	६
१२—चन्दापुर अहरौली	,, ..	७
१३—बिस्कोहर इटवा	ओ० डी० आर० ..	९
१४—डोमरियागंज मल्हवार	बी० आर० ..	७
१५—हरैया सेमरा	ओ० डी० आर० ..	६
१६—नल्हियापुर रजवापुर	बी० आर० ..	७
१७—डुबौलिया कैप्टेनगंज	ओ० डी० आर० ..	८

नत्थी 'ख'

(देखिये २ सितम्बर, १९५२ के तारांकित प्रश्न ३४ और ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर)

बुलन्दशहर से संबंधित नक्शा जिसे श्री बलबीर सिंह, एम० एल० ए० द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३४ और ३५ के अनुसार दिया गया।

मुक़दमों की किस्म	प्रश्न संख्या ३४		प्रश्न संख्या ३५	
	१९५१	१९५२	१९५१	१९५२
१	२	३	४	५
डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन जज की अदालत, बुलन्दशहर				
इब्तिदाई मुक़द्दमें	१	..	१	..
नंबरी (रेगुलर) दीवानी की अपीलें	११५	५४	१	६
माल की अपीलें	१	..	..	..
दीवानी मुक़द्दमें की विविध अपीलें	३०	५८	२	६
निकासी आयवाद (एजेन्सी प्रापर्टी) की अपीलें	..	१	..	..
दिवाले के मुक़द्दमें	८	६	१	२
नंबरी (रेगुलर) विविध मुक़द्दमें	४७	२६	२	२
दूसरे विविध मुक़द्दमे	२१२	१०६	..	१
सेशन्स के मुक़द्दमे	७०	३६	..	..
फ़ौजदारी मुक़द्दमों की अपीलें	२६५	२१४	..	..
फ़ौजदारी मुक़द्दमों की निगरानी	१४६	१११	..	..
सिविल तथा सेशन जज की अदालत, बुलन्दशहर				
सेशन्स के मुक़द्दमें	२६	२४	१	..
फ़ौजदारी मुक़द्दमों की अपीलें	४९	५७	..	..
फौजदारी मुकदमों की निगरानी	२२	४	..	..

संसद पुस्तकालय विधान सभा

सिविल जज (सिविल तथा असिस्टेंट सेशन्स जज) की अदालत, बुलन्दशहर

मुकदमों की किस्म	प्रश्न संख्या ३४		प्रश्न संख्या ३५	
	१९५१	१९५२	१९५१	१९५२
१	२	३	४	५
सेशन्स के मुक़द्दमें	८	१८	..	..
फ़ौजदारी मुक़द्दमों की अपीलें	९१	५८	..	..
नंबरी (रेगुलर) मुक़द्दमें	३९	२३	२४	१०
नंबरी (रेगुलर) मुक़द्दमों की डिग्रियों की इजराय	६६	२४	१४	९
दीवानी की अपीलें	४०१	१११	३४१	७६
माल की अपीलें	२३	..	२०	..
नंबरी (रेगुलर) विविध मुक़द्दमें	९१	५४	४२	२९
दीवानी मुक़द्दमों की विविध अपीलें	१	..	..	..
ख़फ़ीफ़ा अदालत के (रेगुलर) मुक़द्दमें	४३३	३८३	५	१
ख़फ़ीफ़ा अदालत के विविध मुक़द्दमें	११७	८२	..	..
मुन्सिफ अव्वल की अदालत, बुलन्दशहर				
नंबरी (रेगुलर) मुक़द्दमें	४३३	२६१	२४७	१३०
नंबरी (रेगुलर) मुक़द्दमों की डिग्रियों की इजरा	४१३	२२२	४२	२९
नंबरी (रेगुलर) विविध	३९३	२२०	३	..
ख़फ़ीफ़ा अदालत के नंबरी (रेगुलर) मुक़द्दमें	३६६	१६६	११	५
ख़फ़ीफ़ा अदालत के मुक़द्दमों की डिग्रियों की इजरा	२३६	१३५	२	३
ख़फ़ीफ़ा अदालत के विविध मुक़द्दमें	८२	४०	..	..
पंचायती मुक़द्दमों की निगरानी	११६	१५	..	..
मुन्सिफ दोयम की अदालत, बुलन्दशहर				
नंबरी (रेगुलर) मुक़द्दमें	३१३	१७०	१८८	१२९
नंबरी (रेगुलर) मुक़द्दमों की डिग्रियों की इजरा	३८३	१८९	१०	१७
नंबरी (रेगुलर) विविध	३८८	१६७	..	१
पंचायती मुक़द्दमों की निगरानी	७२	३२	..	..

मुकदमों की किस्म	प्रश्न संख्या ३४		प्रश्न संख्या ३५	
	१९५१	१९५२	१९५१	१९५२
१	२	३	४	५
अतिरिक्त मुन्सिफ की अदालत, बुलन्दशहर				
नंबरी (रेगुलर) मुक़द्दमें	४८६	२६४	१५९	१३६
नंबरी (रगुलर) विविध	१०६	६४	..	..
खुरजा में मुन्सिफ की अदालत				
नंबरी (रेगुलर) मुक़द्दमें	४९७	२२६	७१	७१
नंबरी (रेगुलर) मुक़द्दमों की डिग्रियों की इजरा	३१८	१७२	३०	१३
नंबरी (रेगुलर) विविध	१८४	१५९	..	..
ख़फीफ़ा अदालत के नंबरी (रेगुलर) मुक़द्दम	१०२	६४	१	..
ख़फीफ़ा अदालत के मुकद्दमों की डिग्रियों की इजरा	१४४	८९	२	..
ख़फीफ़ा अदालत के विविध मुक़द्दमें	३७	१८	..	..
पंचायती मुक़द्दमों की निगरानी	३२	१८	..	..

क्रम संख्या	कोर्ट का नाम	१९५१ क्रिमिनल केसेज	१९५१ रेवेन्यू केसेज	१९५२ क्रिमिनल केसेज	१९५२ रेवेन्यू केसेज
१	२	३	४	५	६
१	एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट	१०	..	१०	..
२	जुडिशियल आफ़िसर बुलन्दशहर	२६४	२७२	१०७	१४२०
३	जुडिशियल आफ़िसर अनूपशहर	१५२	१७२३	१०१	९३२
४	जुडिशियल आफ़िसर खुर्जा	२११	१३१६	१५१	१००२
५	जुडिशियल आफ़िसर सिकन्दराबाद	२४८	१७६३	१६०	९२३
६	एस०डी० एम०बुलन्दशहर	२५८	४४२	१०३	३८९
७	,, ,, ,, अनूपशहर	१०४	२०५	१४४	२३५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	कोर्ट का नाम	क्रिमिनल केसेज़	रेवेन्यू केसेज़	क्रिमिनल केसेज़	रेवेन्यू केसेज़
१	२	३	४	५	६
८	एस० डी० एम० खुर्जा	१४४	२११	१५०	१४४
९	,, ,, ,, सिकन्दराबाद	२९९	७४२	१४९	४८३
१०	मोटर मैजिस्ट्रेट	५४०	..	७११	..
११	तहसीलदार बुलन्दशहर	२५७	५४७	२७५	३६५
१२	,, अनूपशहर	७१	६८३	३६	४५२
१३	,, खुर्जा	१९०	८१९	१६२	४५२
१४	,, सिकन्दराबाद	८९	१०२८	७३	५८७
१५	स्पेशल मजिस्ट्रेट	१४६१	६४३	९४	..
१६	बेन्च मजिस्ट्रेट अनूपशहर	२२२	..	९२	..
१७	,, ,, सिकन्दराबाद	३१५	..	११०	..
१८	कैनाल मजिस्ट्रेट एम वी० डिवीजन जी० सी० मथुरा	४५	..	७५	..
१९	,, ,,बी० डिवीजन जी० सी० बुलन्दशहर	७७	..	८३	..
२०	,, ,, अलीगढ़ डिवीजन जी० सी० अलीगढ़	१९	..	४	..
२१	,, ,, मेरठ जी० सी० मेरठ	४९	..	१५	..
२२	,, ,, नरोल डिवीजन जी० सी० अलीगढ़	१८	..	२४	..
२३	,, ,, टी० डब्ल्यू० डिवीजन बुलन्दशहर	४२	..	१२	..
२४	,, ,, टी० डब्ल्यू० डिवीजन अलीगढ़	१२	..	३	..
	कुल जोड़ ..	५०९७	१२२७१	३३७३	७३८४

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये २ सितम्बर, १९५२ के तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५ पर)

वर्तमान सत्र के ६ वें मंगलवार के लिये निर्धारित श्री केवल सिंह के तारांकित प्रश्न संख्या ५६ में मांगी हुई सूचना की विवरण पत्रिका

जिला बुलन्दशहर, तहसील सिकन्दराबाद में रजवहा जेवर के सन् ५२ की खरीफ फसल में निम्नलिखित तिथियों में पानी दिया गया

दिनांक	अप्रैल, १९५२	मई, १९५२	जून, १९५२
१	..	..	४.२
२	..	..	४.२
३	..	..	४.२
४	..	..	४.२
५	..	..	४.२
६	..	..	४.२
७	..	..	..
८	..	..	..
९	..	..	..
१०	..	४.२	..
११	..	४.२	..
१२	४.२	४.०	..
१३	४.२	३.०	..
१४	४.२	४.२	..
१५	४.२	४.२	..
१६	४.२	४.२	..
१७	४.२	..	..
१८	४.२	..	..
१९	..	..	..
२०	..	..	४.२
२१	..	..	..
२२	..	..	..
२३	..	..	४.२
२४	..	..	४.२
२५	..	..	४.२
२६	..	..	४.२
२७	..	..	..
२८	..	..	४.२
२९	..	..	३.८
३०	..	..	२.०
३१	..	४.२	..
योग दिन	७	८	१४

खरीफ १३६० (१९५२) में १,५७३ एकड़ भूमि की सिंचाई रजबहा जेवर व उसकी माइनरों से इस तहसील में हुई ।

उदय प्रदेश सभा

वर्तमान सत्र के ६ वें मंगलवार के लिये निर्धारित श्री केवल सिंह के तारांकित प्रश्न संख्या ५६ में मांगी हुई सूचना की विवरण-पत्रिका ।

जिला बुलन्दशहर तहसील सिकन्दराबाद में रजबहा जेवर को सन् ५२ की रबी फसल में निम्नलिखित तिथियों में पानी दिया गया–

दिनांक	अक्टूबर १९५१	नवम्बर १९५१	दिसंबर १९५१	जनवरी १९५२	फरवरी १९५२	मार्च १९५२
१	..	..	१.५	..	..	..
२	..	..	१.५	..	..	..
३	..	४.२५	..	..	..	..
४	..	४.३५	..	..	..	..
५	..	४.४	१.५	..	..	..
६	..	४.४	१.५	..	..	..
७	..	४.४	३.५	..	..	..
८	..	४.४	३.७	..	..	..
९	..	४.४	४.२	..	..	..
१०	..	३.८	४.२	..	..	..
११	..	३.८	४.२	..	..	..
१२	..	३.८	४.३	४.४	..	..
१३	..	३.८	४.३	४.४	..	..
१४	..	३.८	४.३	४.४	..	..
१५	..	३.८	४.३	४.४	..	..
१६	..	३.८	४.४	४.४	..	..
१७	..	..	४.४	४.४	..	..
१८	..	..	४.४	४.४	..	..
१९	..	..	४.४	४.३	..	..
२०	..	..	४.४	४.३	..	..
२१	४.२	..	४.४	४.३	..	..
२२	४.२	..	..	४.३	..	४.१
२३	४.२	..	..	४.३	४.२	४.१
२४	४.२	..	..	४.३	४.२	४.१
२५	४.२	..	..	४.३	४.२	४.१
२६	४.२	२.७	..	..	४.२	४.१
२७	३.०	..	..	..	४.२	४.१
२८	२.०	..	..	..	४.२	४.१
२९	..	३.५	..	..	४.२	..
३०	..	३.५	..	..	..	..
३१	..	..	..	..	..	..
योग दिन	८	१७	१९	१४	७	७

रबी १३५९ (१९५१-५२ ई०) में ३,९५१ एकड़ भूमि की सिंचाई रजवहा जेवर व उसकी माईनरों से इस तहसील में हुई ।

अपर पदुम्न भवन

नत्थी 'घ'

(देखिये २ सितम्बर, १९५२ के तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४ पर)

नकशा जिसमें वह व्यय दिखलाया गया है जो १९५२-५३ में बजट साहित्य के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करणों की छपाई के सम्बन्ध में हुआ है।

	हिन्दी	अंग्रेजी
	रु०	रु०
१—बजट भाषण	१३५	२९७
२—बजट के तख़मीनों पर वित्त सचिव का स्मृति-पत्र	२,२४८	२,६१५
३—व्यय की नई मदें जिन्हें बजट में सम्मिलित किया गया है	३,८५५	४,६१२
४—व्योरेवार तख़मीनें और अनुदान ..	५,६७५	६,४७८

संसद विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये २ सितम्बर, १९५२ के तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर)

सी०सी० ट्रैक्स

१–इटौली-गोपामऊ सड़क	..	५	४	०
२–मुरली पुरवा शुगर मिल सड़क	..	३	१	०
३–मुरली पुरवा से इटौली लिंक रोड	..	१	४	०
जोड़	..	१०	१	०

१--ए०प्राविन्शियल रोड

१–उन्नाव-हरदोई सड़क प्रा० हा० वे	..	३५	७	४००
२–लखनऊ-हरदोई-शाहजहांपुर सड़क	..	६६	३	०
जोड़	..	१०२	२	४००

लोकल मेटल्ड रोड

१–हरदोई-बेनीगंज सड़क	.. ..	२२	२	०
२–हरदोई-पियानी	.. ..	१६	०	१४०
३–हरदोई-सांडी	.. ..	१३	४	०
जोड़	..	५१	६	१४०

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३१ पर)

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, १९५२

१८९९ का ऐक्ट २

इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९ की उत्तर प्रदेश में प्रयुक्ति के संबंध में उक्त ऐक्ट में और संशोधन का विधेयक

१८९९ का ऐक्ट २

ऐसे प्रयोजनों के निमित्त जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, उत्तर प्रदेश में प्रयुक्ति के संबंध में संशोधित, इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९ में और अधिक संशोधन करना आवश्यक है, अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस संबंध में निश्चित करे।

१८९९ के ऐक्ट २ की धारा २ में संशोधन ।

२—उत्तर प्रदेश में प्रयुक्ति के संबंध में समय समय पर संशोधित इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९ (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ के मद (१०) में शब्द "by Schedule I or by Schedle IA" के स्थान पर शब्द "by Schedule I,Schedule IA or Schedule IB " रख दिये जायंगे ।

१८९९ के ऐक्ट २ की धारा ३ में संशोधन ।

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में प्रथम प्रतिबन्धात्मक वाक्य (proviso) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य रक्खा जायगा:—

"Provided that, except as otherwise expressly provided in this Act, and notwithstanding anything contained in clauses (*a*), (*b*) and (*c*) of this section or in Schedule I or IA the following instruments shall, subject to the exemptions contained in Schedule IA or IB be chargeable with duty of the amount indicated in Schedule IA or IB as the proper duty therefor respectively, that is to say—

(aa) every instrument mentioned in Schedule IA or IB which, not having been previously executed by any person, was executed in Uttar Pradesh—

(i) in the case of instruments mentioned in Schedule IA on or after the date on which the U. P. Stamp (Amendment) Act, 1948, came into force, and

(ii) in the case of instruments mentioned in Schedule IB on or after the date on which the U. P. Stamp (Amendment) Act, 1952, comes into force ; and

(*bb*) every instrument mentioned in Schedule IA or IB which, not having been previously executed by any person, was executed out of Uttra Pradesh—

(i) in the case of instruments mentioned in Schedule IA, on or after the date on which the U. P. Stamp (Amendment) Act, 1948 came into force ; and

(ii) in the case of instruments mentioned in Schedule I B , on or after the date the U.P. Stamp (Amendment) Act, 1952, comes into force, and relates to any property situated, or to any matter or thing done or to be done in Uttar Pradesh, and is received in Uttar Pradesh.

४—मूल अधिनियम की धारा ४ में:— १८९९ के ऐक्ट २ की धारा ४ में संशोधन।

(क) शब्द और संख्या "Schedule IA" के स्थान पर शब्द और संख्या "Schedule IB" रख दिये जायंगे, और

(ख) शब्द "one rupee fourteen annas" के स्थान पर शब्द "two rupees eight annas" रख दिये जायंगे।

५—मूल अधिनियन की धारा ६ में— १८९९ के ऐक्ट २ की धारा ६ में संशोधन।

(क) शब्द और संख्या "or Schedule IA" के स्थान पर शब्द और संख्या "Schedule IA or Schedule IB" रख दिये जायंगे।

(ख) शब्द "one rupee and fourteen annas" के स्थान पर शब्द "two rupees eight annas" रख दिये जायेंगे।

६—मूल अधिनियम की धारा ६-ए में शब्द और संख्या "Under the United Provinces Stamp (Amendment) Act, 1948" के स्थान पर जहां कहीं भी यह आये वहां शब्द "Uttar Pradesh Stamp (Amendment) Act, 1952" रख दिये जायंगे। १८९९ के ऐक्ट २ की धारा ६-ए में संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा १९-ए में शब्द और संख्या "Schedule IA" के बाद शब्द और संख्या "or Schedule IB" रख दिये जायंगे। १८९९ के ऐक्ट २ की धारा १९-ए में संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा २३ ए की उपधारा (१) में शब्द और संख्या "Schedule IA" के स्थान पर शब्द और संख्या "Schedule IB" रख दिये जायंगे। १८९९ के ऐक्ट २ की धारा २३-ए में संशोधन।

१८९९ के ऐक्ट २ की धारा ४८-ए में संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा ४८-ए में शब्द और संख्या "under the United Provinces Stamp (Amendment) Act, 1948" के स्थान पर शब्द और संख्या "in accordance with the Uttar Pradesh Stamp (Amendment) Act, 1952" रख दिये जायंगे और शब्द "in the U.P. Stamp (Amendment) Act, 1948" के स्थान पर शब्द "in this Act as amended by the Uttar Pradesh Stamp (Amendment) Act, 1952" रख दिये जायंगे।

१८९९ के ऐक्ट, २ की अनुसूची (शेड्यूल) ए में संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की अनुसूची १-ए की मद १ से २६ तक, २८ से ६१ तक, ६२ के खंड (बी) से (ई) तक, और ६३ से ६५ तक निकाल दी जायंगी।

अपवाद।

११—इस अधिनियम में कही गयी कोई बात, मूल अधिनियम की अनुसूची १-ए (Schedule I-A) की मद २७ तथा ६२-ए में उल्लिखित किसी करण (instrument) के विषय में लिये जाने वाले उचित शुल्क के संबंध में प्रयुक्त नहीं होगी और न उसके संबंध में यह समझा जायगा कि वह उक्त शुल्क को किसी प्रकार प्रभावित करेगी।

१८९९ के ऐक्ट २ में नई अनुसूची १-बी का रक्खा जाना।

१२—मूल अधिनियम की अनुसूची १-ए के बाद निम्नलिखित नई अनुसूची १ बी के रूप में रक्खी जाय :

SCHEDULE I B

Stamp Duty on Instruments under the Uttar Pradesh Stamp (Amendment) Act, 1952

(*See* section 3)

(*Note* :—The article in schedule I-B are numbered so as to correspond with similar article in schedule I.)

Schedule I-B

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
1. ACKNOWLEDGEMENT of a debt exceeding twenty rupees in amount or value, written or signed by, or on behalf of, a debtor in order to supply evidence of such debt in any book (other than a banker's pass-book) or on a separate piece of paper when such book or paper is left in the creditor's possession : provided that such acknowledgement does not contain any promise to pay the debt or any stipulation to pay interest or to deliver any goods or other property.	FOUR ANNAS.
2. ADMINISTRATION-BOND, including a bond given under sections 291, 375 and 376 of the Indian Succession Act, 1925, or section 6 of the Government Savings Banks Act, 1873—	
(*a*) Where the amount does not exceed Rs.1,000 ..	The same duty as a Bond (No. 15) for such amount.
any other case	Fifteen rupees.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
3. ADOPTION-DEED, that is to say, any instrument (other than a will) recording an adoption or conferring or purporting to confer an authority to adopt.	Thirty rupees.
ADVOCATE—*See* Entry as an Advocate (No. 30),	
4. AFFIDAVIT, including an affirmation or declaration in the case of persons by law allowed to affirm or declare instead of swearing.	Three rupees.
Exemptions	
Affidavit or declaration in writing when made—	
(*a*) as a condition of enrolment under the Indian Army Act, 1911 ; or the Indian Air Force Act, 1932 ;	
(*b*) for the immediate purpose of being filed or used in any Court or before the officer of any Court ; or	
(*c*) for the sole purpose of enabling any person to receive any pension or charitable allowance.	
5. AGREEMENT OR MEMORANDUM OF AN AGREEMENT—	
(*a*) if relating to the sale of a bill of exchange ..	Eight annas.
(*b*) if relating to the sale of a Government security or share in an incorporated company or other body corporate.	Subject to a maximum of forty rupees ; four annas for every Rs.10,000 or part thereof of the value of the security of share.
(*c*) if not otherwise provided for	Two rupees.
Exemptions	
Agreement or memorandum of agreement—	
(*a*) for or relating to the sale of goods or merchandise exclusively, not being a Note or Memorandum chargeable under No. 43;	
(*b*) made in the form of tenders to the Central Government for, or relating to, any loan.	
AGREEMENT TO LEASE—*See* Lease (No. 35).	
6. AGREEMENT RELATING TO DEPOSIT OF TITLE, DEEDS, PAWN or PLEDGE, that is to say, any instrument evidencing an agreement relating to—	
(1) the deposit of title-deeds or instruments constituting or being evidence of the title to any property whatever (other than a marketable security) ; or	
(2) the pawn or pledge of moveable property, where such deposit, pawn or pledge has been made by way of security for the repayment of money advanced or to be advanced by way of loan or an existing or future debt—	
(*a*) if such loan or debt is repayable on demand or more than three months from the date of the instrument evidencing the agreement—	

विधान सभा

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
	Rs. a. p.
when the amount of the loan or debt does not exceed Rs.200.	0 8 0
when it exceeds Rs.200 but does not exceed Rs.400	1 0 0
Ditto 400 ditto 600	1 4 0
Ditto 600 ditto 800	1 12 0
Ditto 800 ditto 1,000	2 0 0
Ditto 1,000 ditto 1,200	2 8 0
Ditto 1,200 ditto 1,600	3 4 0
Ditto 1,600 ditto 2,500	4 12 0
Ditto 2,500 ditto 5,000	9 8 0
Ditto 5,000 ditto 7,500	14 4 0
Ditto 7,500 ditto 10,000	18 12 0
Ditto 10,000 ditto 15,000	28 4 0
Ditto 15,000 ditto 20,000	37 8 0
Ditto 20,000 ditto 25,000	47 0 0
Ditto 25,000 ditto 30,000	56 4 0
and for every additional Rs.10,000 or part thereof in excess of Rs.30,000.	18 12 0
(*b*) if such loan or debt is repayable not more than three months from the date of such instrument.	Half the duty payable on a loan or debt under clause (*a*) for the amount secured.
Exemption	
Instruments of pawn or pledge of agricultural produce if unattested.	
7. APPOINTMENT IN EXECUTION OF A POWER, whether of trustees or of property, moveable or immoveable, where made by any writing not being a Will—	
(*a*) where the value of the property does not exceed Rs.1,000	Eighteen rupees, twelve annas.
(*b*) in any other case	Thirty-seven rupees, eight annas.
8. APPRAISEMENT OR VALUATION made otherwise than under an order of the Court in the course of a suit—	

सत्यमेव जयते

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
(*a*) where the amount does not exceed Rs.1,000 ..	The same duty as a Bond (No. 15) for such amount.
(*b*) in any other case	.. Fifteen rupees.
Exemptions	
(*a*) Appraisement or valuation made for the information of the one party only, and not being in any manner obligatory between parties either by agreement or operation of law.	
(*b*) Appraisement of crops for the purpose of ascertaining the amount to be given to a landlord as rent.	
9. APPRENTICESHIP-DEED, including every writing relating to the service or tuition of any apprentice, clerk or servant, placed with any master to learn any profession, trade or employment, not being Articles of Clerkship (No. 11).	Twelve rupees.
Exemption	
Instruments of apprenticeship executed by a Magistrate under the Apprentices Act, 1850, or by which a person is apprenticed by or at the charge of any public charity.	
10. ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY	One hundred rupees.
Exemption	
Articles of any Association not formed for profit and registered under section 26 of the Indian Companies Act, 1913.	
See also Memorandum of Association of a Company (No. 39)	
11. ARTICLES OF CLERKSHIP or contract whereby any person first becomes bound to serve as a clerk in order to secure his admission as an attorney in any High Court.	Three hundred seventy-five rupees.
ASSIGNMENT—*See* Conveyance (No. 23), Transfer (No. 62), and Transfer of Lease (No. 63), as the case may be.	
ATTORNEY—*See* entry as an Attorney (No. 30), and Power of Attorney (No. 48).	
AUTHORITY TO ADOPT—*See* Adoption deed (No. 3).	
12. AWARD, that is to say, any decision in writing by an arbitrator or umpire, not being an award directing a partition, on a reference made otherwise than by an order of the Court in the course of a suit—	
(*a*) where the amount or value of the property to which the award relates, does not exceed Rs.1,000.	The same duty as a Bond (No. 15) for such amount.
(*b*) if it exceeds Rs.1,000, for every additional Rs.1,000 or part thereof.	One rupee.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
(c) where the subject matter of award is incapable of valuation.	Fifteen rupees.

Exemption

Award under the Bombay District Municipal Act, 1901, section 160, or the Bombay Hereditary Officers Act, 1874, section 18, or the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, section 324(1) of the Uttar Pradesh District Boards Act, 1922, section 190(1).

15. BOND (as defined by section 2 (5) not being a DEBENTURE (No. 27) and not being otherwise provided for by this Act, or by the Court-Fees Act, 1870—

Where the amount or value secured does not exceed Rs.10				Four annas.
Where it exceeds	Rs.10	but does not exceed Rs.	50	Eight annas.
Ditto	50	ditto	100	One rupee.
Ditto	100	ditto	200	Two rupees.
Ditto	200	ditto	300	Three rupees.
Ditto	300	ditto	400	Four rupees.
Ditto	400	ditto	500	Five rupees.
Ditto	500	ditto	600	Six rupees.
Ditto	600	ditto	700	Seven rupees, eight annas.
Ditto	700	ditto	800	Nine rupees.
Ditto	800	ditto	900	Ten rupees, eight annas.
Ditto	900	ditto	1,000	Twelve rupees.
and for every Rs.500 or part thereof in excess of Rs.1,000 ..				Six rupees.

See ADMINISTRATION-BOND (No. 2), BOTTOMRY BOND (No. 16), CUSTOMS BOND (No. 26), INDEMNITY-BOND (No. 34), RESPONDENTIA BOND (No. 56), SECURITY BOND (No. 57).

Exemptions

Bond, when executed by—

(*a*) headmen nominated under rules framed in accordance with the Bengal Irrigation Act, 1876, section 99, for the due performance of their duties under that Act;

(*b*) any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility shall not be less than a specified sum per mensem.

विधान सभा

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
16. BOTTOMRY BOND, that is to say, any instrument whereby the master of a sea-going ship borrows money on the security of the ship to enable him to preserve the ship or prosecute her voyage.	The same duty as a Bond (No. 15) for a sum equal to the amount or value secured.
17. CANCELLATION.—Instrument of (including any instrument by which any instrument previously executed is cancelled), if attested and not otherwise provided for.	Twelve rupees.
See also Release (No. 55), Revocation of Settlement (No. 58-B), Surrender of Lease (No. 61), Revocation of Trust (No. 64-B).	
18. CERTIFICATE OF SALE (in respect of each property put up as a separate lot and sold) granted to the purchaser of any property sold by public auction by a Civil or Revenue Court, or Collector or other Revenue Officer—	
(*a*) where the purchase-money does not exceed Rs.10 ;	Four annas.
(*b*) where the purchase-money exceeds Rs.10 but does not exceed Rs.25 ;	Eight annas.
(*c*) in any other case	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to the amount of the purchase money only.
19. CERTIFICATE OR OTHER DOCUMENT evidencing the right or title of the holder thereof, or any other person, either to any shares, scrip or stock in or of any Incorporated Company or other body Corporate, or to become proprietor of shares, scrip or stock in or of any such company or body.	Four annas
See also Letter of Allotment of Shares (No. 36).	
20. CHARTER-PARTY, that is to say, any instrument (except an agreement for the hire of a tug-steamer) whereby a vessel or some specified principal part thereof is let for the specified purposes of the charterer, whether it includes a penalty clause or not.	Three rupees.
22. COMPOSITION-DEED, that is to say, any instrument executed by a debtor, whereby he conveys his property for the benefit of his creditors, or whereby payment of a composition or dividend on their debts is secured to the creditors, or whereby provision is made for the continuance of the debtor's business, under the supervision of inspectors or under letters of licence, for the benefit of his creditors.	Twenty rupees.
23. CONVEYANCE (as defined by section 2(10)) not being a transfer charged or exempted under No. 62—	
where the amount or value of the consideration for such conveyance as set forth therein does not exceed Rs.50.	One rupee.

Description of Instrument				Proper Stamp Duty
where it exceeds	Rs.50	but does not exceed Rs.100		Two rupees.
Ditto	100	ditto	200	Four rupees.
Ditto	200	ditto	300	Six rupees.
Ditto	300	ditto	400	Eight rupees.
Ditto	400	ditto	500	Ten rupees.
Ditto	500	ditto	600	Twelve rupees.
Ditto	600	ditto	700	Fifteen rupees.
Ditto	700	ditto	800	Eighteen rupees.
Ditto	800	ditto	900	Twenty-one rupees.
Ditto	900	ditto	1,000	Twenty-four rupees.
and for every Rs.500 or part thereof in excess of Rs.1,000				Twelve rupees.

Exemption

Assignment of copyright by entry made under the Indian Copyright Act, 1914, section 5.

CO-PARTNERSHIP-DEED—*See* Partnership (No. 46).

24. COPY OR EXTRACT certified to be a true copy or extract by or by order of any public officer and not chargeable under the law for the time being in force relating to court-fees—

(i) if the original was not chargeable with duty or if the duty with which it was chargeable does not exceed one rupee eight annas. — One rupees when the copy or extract is of an agricultural lease or of a mortgage deed or sale deed of agricultural land ; in any other case, one rupee eight annas.

(ii) in any other case not falling within the provisions of section 6-A. — One rupee, eight annas when the copy or extract is of an agricultural lease or of a mortgage deed or sale deed of agricultural land and the value of the subject matter of the original does not exceed one thousand rupees ; in any other case, two rupees, eight annas.

Exemptions

(*a*) Copy of any paper which a public officer is expressly required by law to make or furnish for record in any public office or for any public purpose.

(*b*) Copy of or extract from, any register relating to births, baptisms, namings, dedications, marriages, divorces, deaths or burials.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
25. COUNTERPART OR DUPLICATE OF any instrument chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid—	
(*a*) if the duty with which the original instrument is chargeable does not exceed three rupees ;	The same duty as is payable on the original.
(*b*) in any other case not falling within the provisions of section 6-A.	Three rupees.
Exemptions	
Counterpart of any lease granted to a cultivator when such lease is exempted from duty.	
25-A. INSTRUMENT correcting a purely clerical error in an instrument chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid—	
(*a*) if the duty with which the original instrument is chargeable does not exceed five rupees.	One-half of the duty payable on the original.
(*b*) in any other case	Two rupees, eight annas.
26. CUSTOMS BOND—	
(*a*) where the amount does not exceed Rs.2,000 ..	The same duty as a Bond (No. 15) for such amount.
(*b*) in any other case	Twenty-four rupees.
28. DELIVERY-ORDER in respect of goods, that is to say, any instrument entitling any person therein named, or his assigns or holder thereof, to the delivery of any goods lying in any dock or part, or in any warehouse in which goods are stored or deposited on rent or hire, or upon any wharf, such instrument being signed by or on behalf of the owner of such goods upon the sale or transfer of the property therein, when such goods exceed in value twenty rupees.	Four annas.
DEPOSIT OF TITLE DEEDS.—(*See* AGREEMENT relating to Deposit of Title-Deeds, pawn or Pledge (No. 6).	
DISSOLUTION OF PARTNERSHIP.—*See* Partnership (No. 46).	
29. DIVORCE—Instrument of, that is to say, any instrument by which any person effects the dissolution of his marriage.	Eight rupees.
Dower.—Instrument of—*See* Settlement (No. 58).	
Duplicate.—*See* Counterpart (No. 25).	
30. ENTRY AS AN ADVOCATE, VAKIL OR ATTORNEY ON THE ROLL OF ANY HIGH COURT.	
Under the Indian Bar Councils Act, 1926, or in exercise of powers conferred on such Court by Letters Patent or by the Legal Practitioners Act, 1879—	

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
(*a*) in case of an Advocate or Vakil	Seven hundred fifty rupees.
(*b*) in the case of an Attorney	Seven hundred fifty rupees.
Exemption	
Entry of an Advocate, Vakil or Attorney on the roll of any High Court, when he has previously been enrolled in a High Court.	
31. EXCHANGE OF PROPERTY—Instrument of ..	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to the value of the property of greatest value as set forth in such instrument.
Extract—See copy (No. 24).	
32. FURTHER CHARGE.—Instrument of, that is to say, any instrument imposing a further charge on mortgaged property.	
(*a*) when the original mortgage is one of the description referred to in clause (*a*) of Article No. 40 (that is, with possession);	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to the amount of the further charge secured by such instrument.
(*b*) when such mortgage is one of the description referred to in clause (*b*) of Article No. 40 (that is, without possession)—	
(i) if at the time of execution of the instrument of further charge possession of the property is given ; or agreed to be given under such instrument ;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to the total amount of the charge (including the original mortgage and any further charge already made) less the duty already paid on such original mortgage and further charge.
(ii) if possession is not so given	The same duty as a Bond (No. 15) for the amount of the further charge secured by such instrument.
33. GIFT—Instrument of , not being a Settlement (No. 58) or Will or Transfer (No. 62)	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to the value of the property.
Hiring Agreement or agreement for service.	
See Agreement (No. 5).	
34. INDEMNITY BOND	The same duty as a Security Bond (No. 57) for the same amount.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
Inspectorship-Deed.—See Composition Deed (No. 22).	
Insurance.—See Policy of Insurance (No. 47).	
35. LEASE, including an under-lease or sub-lease and any agreement to let or sub-let—	
(*a*) where by such lease the rent is fixed and no premium is paid or delivered—	
(i) where the lease purports to be for a term not exceeding one year ;	The same duty as a Bond (No. 15) for the whole amount payable or deliverable under such lease.
(ii) where the lease purports to be for a term exceeding one year but not exceeding five years;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to the amount or value of the average annual rent reserved.
(iii) where the lease purports to be for a term exceeding five years but not exceeding ten years ;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to one and a half times the amount or value of the average annual rent reserved.
(iv) where the lease purports to be for a term exceeding ten years but not exceeding twenty years ;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to twice the amount or value of the average annual rent reserved.
(v) where the lease purports to be for a term exceeding twenty years, but not exceeding thirty years ;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to three times the amount or value of the average annual rent reserved.
(vi) where the lease purports to be for a term exceeding thirty years, but not exceeding one hundred years ;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to four times the amount or value of the average annual rent reserved.
(vii) where the lease purports to be for a term exceeding one hundred years or in perpetuity ;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to one-fifth of the whole amount of rent which would be paid or delivered in respect of the first fifty years of the lease.
(viii) where the lease does not purport to be for any definite term ;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to three times the amount or value of the average annual rent which would be paid or delivered for the first ten years if the lease continued so long.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
(*b*) where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced and where no rent is reserved ;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as set forth in the lease.
(*c*) where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced in addition to rent reserved.	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as set forth in the lease, in addition to the duty which would have been payable on such lease, if no fine or premium or advance had been paid or delivered ; Provided that in any case when an agreement to lease is stamped with the *ad valorem* stamp required for lease, and a lease in pursuance of such agreement is subsequently executed the duty on such lease shall not exceed two rupees.
Exemption Lease, executed in the case of a cultivator and for the purposes of cultivation (including a lease of trees for the production of food or drink) without the payment or delivery of any fine or premium, when a definite term is expressed and such term does not exceed one year, or when the average annual rent reserved does not exceed one hundred rupees. In this exemption a lease for the purposes of cultivation shall include a lease of land for cultivation together with a homestead or tanks.	
Explanations (1) When a lessee undertakes to pay any recurring charge, such as Government revenue, the landlord's share of cesses or the owners' share of municipal rates or taxes which is by law recoverable from the lessor, the amount so agreed to be paid by the lessee shall be deemed to be part of the rents. (2) A lease from month to month or year to year without any fixed period or one for a fixed period with a provision allowing the lessee to hold over thereafter for an indefinite term, shall be deemed for the purposes of this article to be a lease not purporting to be for any definite term. (3) Rent paid in advance shall be deemed to be money advanced within the meaning of this article unless it is specifically provided in the lease that rent paid in advance will be set off towards the last instalment or instalments of rent.	

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
36. LETTER OF ALLOTMENT OF SHARES in any company or proposed company, or in respect of any loan to be raised by any company or proposed company.	Four annas.
See also Certificate or other Document (No. 19).	
38. LETTER OF LICENCE, that is to say, any agreement between a debtor and his creditors, that the latter shall, for a specified time, suspend their claims and allow the debtor to carry on business at his own discretion.	Twenty rupees.
39. MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY—	
(*a*) if accompanied by Articles of Association under section 17 of the Indian Companies Act, 1913.	Fifty rupees.
(*b*) if not so accompanied	One hundred, fifty rupees.
Exemption	
Memorandum of any association not formed for profit and registered under section 26 of the Indian Companies Act, 1913.	
40. MORTGAGE DEED, not being an Agreement relating to deposit of Title-Deeds, Pawn or Pledge (No. 6), Bottomry Bond (No. 16), Mortgage of a Crop (No. 41), Responsdentia Bond (No. 56) or Security Bond (No. 57).—	
(*a*) when possession of the property of any part of the property comprised in such deed is given by the mortgagor or agreed to be given ;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to the amount secured by such deed.
(*b*) when possession is not given or agreed to be given as aforesaid.	The same duty as a Bond (No. 15) for the amount secured by such deed.
Explanation	
A mortgagor who gives to the mortgagee a power of attorney to collect rents or a lease of the property mortgaged or part thereof, is deemed to give possession within the meaning of this article.	
(*c*) when a collateral or auxiliary or additional or substituted security, or by way of further assurance for the above mentioned purpose where the principal or primary security is duly stamped for every sum secured not exceeding Rs.1,000 ..	One rupee four annas.
and for every Rs.1,000 or part thereof secured in excess of Rs.1,000.	One rupee four annas.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
Exemptions	
(1) Instruments executed by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883, or the Agriculturists Loans Act, 1884, or by their sureties as security for the repayment of such advance.	
(2) Letter of hypothecation accompanying a bill of exchange.	
41. MORTGAGE OF A CROP, including any instrument evidencing an agreement to secure the repayment of a loan made upon any mortgage of a crop, whether the crop is or is not in existence at the time of the mortgage—	
(*a*) when the loan is repayable not more than three months from the date of the instrument—	
for every sum secured not exceeding Rs.200 ..	Four annas.
and for every Rs.200 or part thereof secured in excess of Rs.200.	Four annas.
(*b*) when the loan is repayable more than three months, but not more than eighteen months, from the date of the instrument—	
for every sum secured not exceeding Rs.100 ..	Eight annas.
and for every Rs.100 or part thereof secured in excess of Rs.100.	Eight annas.
42. NOTARIAL ACT, that is to say, any instrument, endorsement, note, attestation, certificate or entry not being a Protest (No. 50) made or signed by a Notary Public in the execution of the duties of his office, or by any other person lawfully acting as a Notary Public.	Three rupees.
See also Protest of Bill or Note (No. 50).	
43. NOTE OR MEMORANDUM sent by a Broker or Agent to his principal intimating the purchase or sale on account of such principal—	
(*a*) of any goods exceeding in value twenty rupees ..	Eight annas.
(*b*) of any stock of marketable security exceeding in value of twenty rupees.	Subject to a maximum of twenty three rupees, eight annas; four annas for every Rs10,000 of or part thereof of the value the stock or security.
44. NOTE OF PROTEST by the Master of a ship. ..	One rupee, eight annas.
See also Protest by the Master of a ship (No. 51).	
ORDER FOR THE PAYMENT OF MONEY.—	
See Bill of Exchange (No. 13).	

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
45. PARTITION.—Instrument of (as defined by section 2(15).)	The same duty as a Bond (No. 15) for the amount of the value of the separated share or shares of the property. *N.B.*—The largest share remaining after the property is partitioned (or if there are two more shares of equal value and not smaller than any of the other shares), then one of such equal shares shall be deemed to be that from which the other shares are separated : Provided always that— (*a*) when an instrument of partition containing an agreement to divide property in severalty is executed and a partition is effected in pursuance of such agreement, the duty chargeable upon the instrument effecting such partition shall be reduced by the amount of duty paid in respect of the first instrument but shall not be less than two rupees ; (*b*) where land is held on Revenue settlement, the value for the purposes of this article shall be deemed to be— (i) twenty times the annual revenue ; and (ii) ten times the net profits that have arisen from the land during the year next before the date of partition, where the land is wholly or partly exempt from payment of revenue ; (*c*) where a final order for effecting a partition passed by any Revenue authority or any Civil Court, or an award by an arbitrator directing a partition, is stamped, with the stamp required for an instrument of partition, and an instrument of partition in pursuance of such order or award is subsequently executed, the duty on such instrument shall not exceed two rupees.

अनुपूरक विधान सभा प्रदेश

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
46. PARTNERSHIP—	
A—Instrument of—	
(*a*) where the capital of the partnership does not exceed Rs.3,000.	The same duty as a Bond (No. 15).
(*b*) in any other case	Subject to a maximum of Rs.100, one rupee for every one thousand or part thereof.
B—Dissolution of	Fifteen rupees.
Pawn or Pledge.—See Agreement relating to Deposit of Title-deeds, Pawn or Pledge (No. 6).	
48. POWER-OF-ATTORNEY (as defined by section 2(21)) not being a Proxy (No. 52),	
(*a*) when executed for the sole purpose of procuring the registration of one or more documents in relation to a single transaction or for admitting execution of one or more such documents ;	One rupee, eight annas.
(*b*) when required in suits or proceedings under the Presidency Small Cause Courts Act, 1882 ;	One rupee, eight annas.
(*c*) when authorising one person or more to act in a single transaction other than the case mentioned in clause (*a*) ;	Two rupees, eight annas.
(*d*) when authorising not more than five persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally ;	Twelve rupees.
(*e*) when authorising more than five but not more than ten persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally ;	Twenty-four rupees.
(*f*) when giving for consideration and authorising the attorney to sell any immoveable property ;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for the amount of the consideration.
(*g*) in any other case	Two rupees, eight annas or each person authorised.
N.B.—The term "registration" includes every operation incidental to registration under the Indian Registration Act (Act XVI of 1908).	
Explanation	
For the purposes of this Article more persons than one when belonging to the same firm shall be deemed to be one person.	
50. PROTEST OF BILL OR NOTE, that is to say, any declaration in writing made by a Notary Public or other person lawfully acting as such, attesting the dishonour of a Bill of Exchange or promissory note.	Three rupees.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
51. PROTEST BY THE MASTER OF A SHIP, that is to say, any declaration of the particulars of her voyage drawn up by him with a view to the adjustment of losses or the calculation of averages, and every declaration in writing made by him against the characters or the consignees for not loading or unloading the ship, when such declaration is attested or certified by a Notary Public or other person lawfully acting as such.	Three rupees.
See also Note of Protest by the Master of a Ship (No. 44).	
54. RE-CONVEYANCE OF MORTGAGED PROPERTY—	
(*a*) if the consideration for which the property was mortgaged does not exceed Rs.1,000 ;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for the amount of such consideration as set forth in the re-conveyance.
(*b*) in any other case	Twenty-four rupees.
55. RELEASE, that is to say, any instrument (not being such a release as is provided for by section 23(A) whereby a person renounces a claim upon another person or against any specified property—	
(*a*) if the amount or value of the claim does not exceed Rs.1,000 ;	The same duty as a Bond (No. 15) for such amount or value as set forth in the Release.
(*b*) in any other case	Fifteen rupees.
56. RESPONDENTIA BOND, that is to say, any instrument securing a loan on the cargo laden or to be laden on board a ship and making repayment contingent on the arrival of the cargo at the port of destination.	The same duty as a Bond (No. 15) for the amount of the loan secured.
REVOCATION OF ANY TRUST OR SETTLEMENT.	
See Settlement (No. 58) ; Trust (No. 64).	
57. SECURITY BOND OR MORTGAGE-DEED executed by way of security for the due execution of an office, or to account for money or other property received by virtue thereof, or executed by a surety to secure the due performance of a contract or the due discharge of a liability,—	
(*a*) when the amount secured does not exceed Rs.1,000 ;	The same duty as a Bond (No. 15) for the amount secured.
(*b*) in any other case	Twelve rupees.
Exemptions	
Bond or other instrument, when executed—	
(*a*) by headmen nominated under rules framed in accordance with the Bengal Irrigation Act, 1876, section 99, for the due performance of their duties under that Act ;	

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
(*b*) by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or other object of public utility, shall be not less than a specified sum per mensem ;	
(*c*) under No. 3-A of the rules made by the Provincial Government under section 70 of the Bombay Irrigation Act, 1879 ;	
(*d*) executed by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883, or the Agriculturists' Loans Act, 1884, or by their sureties, as security for the repayment of such advances ;	
(*e*) executed by officers of Government or their sureties to secure the due execution of an office, or the due accounting for money or other property received by virtue thereof.	
58. SETTLEMENT—	
A—Instrument of (including a deed of dower) ..	The same duty as a Bond (No. 15) for a sum equal to the amount or value of the property settled, provided that where an agreement to settle is stamped with the stamp required for an instrument of settlement and an instrument of settlement in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such instrument shall not exceed two rupees.
Exemptions	
Deed of dower executed on the occasion of a marriage between Muhammadans	
B—Revocation of	The same duty as a Bond (No. 15) for a sum equal to the amount or value of the property concerned, but not exceeding twenty-four rupees.
See also Trust (No. 64).	
59. SHARE WARRANTS to bearer issued under the Indian Companies Act, 1913.	The same duty as a Debenture transferable by delivery No. 27 (*b*) for a face amount equal to the nominal amount of the shares specified in the warrant.
Exemptions	
Share warrant when issued by a Company in pursuance of the Indian Companies Act, 1913, section 43, to have effect only upon payment, as composition for that duty, to the Collector of Stamp-revenue, of—	

सत्यमेव जयते विधायिका सभा

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
(*a*) one and a half per centum of the whole subscribed capital of the company, or	
(*b*) if any company which has paid the said duty or composition in full, subsequently issues an addition to its subscribed capital—one and a half per centum of the additional capital so issued.	
Scrip.—See Certificate (No. 19).	
60. SHIPPING ORDER for or relating to the conveyance of goods on board of any vessel.	Four annas.
61. SURRENDER OF LEASE—	
(*a*) when the duty with which the lease is chargeable does not exceed twleve rupees,	The duty with which such lease is chargeable.
(*b*) in any other case	Twelve rupees.
Exemption	
Surrender of lease, when such lease is exempted from duty.	
62. TRANSFER (whether with or without consideration)—	
(*a*) *See* Schedule IA.	
(*b*) of debentures, being marketable securities whether the debenture is liable to duty or not, except debentures provided for by section 8 ;	
When the value of the share of the face amount of the debenture does not exceed Rs.100.	One rupee.
where it exceeds Rs. 100 but does not exceed Rs.200	Two rupees.
Ditto 200 ditto 300	Three rupees.
Ditto 300 ditto 400	Four rupees.
Ditto 400 ditto 500	Five rupees.
Ditto 500 ditto 600	Six rupees.
Ditto 600 ditto 700	Seven rupees, eight annas.
Ditto 700 ditto 800	Nine rupees.
Ditto 800 ditto 900	Ten rupees, eight annas.
Ditto 900 ditto 1,000	Twelve rupees.
and for every Rs.500 or part thereof in excess of Rs.1,000.	Six rupees.
(*c*) of any interest secured by a bond, mortgage-deed or policy of insurance—	
(i) if the duty on such Bond, mortgage-deed or Policy does not exceed twelve rupees ;	The duty with which such bond, mortgage deed or policy of insurance is chargeable.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
(ii) in any other case	Twelve rupees. Provided that, if by any one instrument the interest secured by several bonds, mortgage deeds, or policies of insurance is transferred, the duty payable in respect of such instrument shall be the aggregate of the duties which would have been payable if separate instruments of transfer were executed in respect of each such bond, mortgage deed or policy of insurance.
(*d*) of any property under the Administrator-General's Act, 1913, section 25 ;	Twenty-four rupees.
(*e*) of any trust property without consideration from one trustee to another trustee or from a trustee to a beneficiary.	Twelve rupees or such smaller amount as may be chargeable under clauses (*b*) and (*c*) of this article.
Exemptions	
Transfers by endorsement—	
(*a*) of a bill of exchange, cheque or promissory note ;	
(*b*) of a bill of a lading, deliveryor der, warrant for goods or other merchantile document of title to goods ;	
(*c*) of policy of insurance ;	
(*d*) of securities of the Central Government or the Provincial Government.	
See also section 8.	
63. TRANSFER OF LEASE by way of assignment, and not by way of under-lease.	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to the amount of the consideration for the transfer.
Exemption	
Transfer of any lease exempt from duty.	
64. TRUST—	
A—DECLARATION OF—of, or concerning, any property when made by any writing not being a Will.	
(*a*) where the amount or value does not exceed Rs.3,000 ;	The same duty as a Bond (No. 15)
(*b*) if it exceeds Rs.3,000, for every additional Rs.1,000 or part thereof—	One rupee.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
B—REVOCATION OF—or concerning, any property when made by any instrument other than a Will.	The same duty as a Bond (No. 15) for a sum equal to the amount or value of the property concerned but not exceeding twenty-four rupees.

See also Settlement (No. 58).

VALUATION.—*See* Appraisement (No. 8).

VAKIL.—*See* Entry as a Vakil (No. 30).

65. WARRANT FOR GOODS, that is to say, any instrument evidencing the title of any person therein named, or his assigns, or the holder thereof, to the property in any goods lying in or upon any dock, warehouse, or wharf, such instrument being signed or certified by or on behalf of the person in whose custody such goods may be.	One rupee.

उद्देश्य तथा कारण

उत्तर प्रदेश में प्रयुक्ति के संबंध में समय समय पर संशोधित इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९, के अधीन देय स्टाम्प शुल्क, संघ के अन्य राज्यों जैसे मद्रास तथा बम्बई में आदेश शुल्क की अपेक्षा सामान्यतः कम है। अतएव शुल्क की उचित मात्रा में बृद्धि कर दी गई है और वह रुपये के अगले चौथाई भाग या पूरे रुपये के रूप में पूर्ण कर दिया गया है जिससे गणना करने और हिसाब लगाने में विषम भिन्नों की बाधा न रहे।

इस अवसर से ऐक्ट के अन्य मामूली दोष दूर करने का भी लाभ उठाया जा रहा है।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

सैयद अली जहीर,
मंत्री, रजिस्ट्रेशन विभाग।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ट ५६ पर)

उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक, १९५२

सरकारी भू-गृहादि में रहने वाले व्यक्तियों से किराये की वसूली और उक्त भू-गृहादि में बिना अधिकार रहते हुये व्यक्तियों की उनमें से बेदखली (eviction) की व्यवस्था के लिये

विधेयक

सरकारी भू-गृहादि (premises) में रहने वाले व्यक्तियों से किराये की वसूली और उक्त भू-गृहादि में बिना अधिकार रहते हुये व्यक्तियों की उनमें से बेदखली (eviction) की व्यवस्था करना आवश्यक है ;

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रवलित हो जायगा।

परिभाषा।

२—इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के विपरीत न होने पर:—

(क) "प्रदेशन" (allotment) का तात्पर्य किसी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से किसी सरकारी भू-गृहादि के उपयोग (use) और अधिवास (occupation) के अधिकार के अनुदान से है, किन्तु इसके अन्तर्गत पट्टे द्वारा दिया गया अनुदान नहीं है;

(ख) "समर्थ अधिकारी" (competent authority) का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में इस अधिनियम के अधीन समर्थ अधिकारी के कार्यों का सम्पादन करने के लिये अधिकृत कर दिया हो ;

(ग) "सरकारी भू-गृहादि" (Government premises) का तात्पर्य ऐसे भू-गृहादि से है जो राज्य सरकार का हो या जिसे राज्य सरकार ने पट्टे पर लिया हो अथवा अधिगृहीत (requisition) किया हो;

(घ) "भू-गृहादि" (premises) का तात्पर्य किसी इमारत या इमारत के भाग से है और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित है :

(१) ऐसे उद्यान, भूमि या बाह्य गृह (out houses) जिनका अधिसंबंध (appertaining) उक्त इमारत या इमारत के भाग से हो ;

(२) ऐसे उपस्कर (furniture) जिसको भूस्वामी (landlord) ने उक्त इमारत या इमारत के भाग में उपयोग के लिये दिया हो, और

(३) ऐसा सामान (fitting) जो उक्त इमारत या उसके भाग में इस प्रयोजन से स्थिर रूप से लगा दिया गया हो कि उक्त इमारत या उसके भाग का अधिक सुखप्रद उपभोग (more beneficial enjoyment) हो सके ;

(ङ) "नियत" (prescribed) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(च) "किराया" का वही अर्थ होगा जो उसका ट्रांसफर आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ में किया गया है, और उसके अन्तर्गत ऐसी धनराशि भी होगी जो भू-गृहादि के उपभोग और अधिवास के लिये उस व्यक्ति द्वारा देय हो जिसके लिये प्रदेशन किया गया है;

(छ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ; और

(ज) ऐसे शब्द और पदों का अर्थ, जिनका इस अधिनियम में उपयोग किया गया है किन्तु जिनकी परिभाषा नहीं की गई है, वही होगा जो उनका ट्रांसफर आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ में किया गया है।

प्रदेशन का निरसन।

३—(१) समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुये भी, समर्थ अधिकारी किसी ऐसे प्रदेशन को निरस्त (Cancel) कर सकता है जिसके अधीन कोई सरकारी भू-गृहादि किसी व्यक्ति के अधिकार या अधिवास में हो।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन की गई किसी कार्यवाही से किसी व्यक्ति को किसी सरकारी भू-गृहादि में रहने का अधिकार समाप्त हो गया हो तो उसके विषय में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा कि उक्त सरकारी भू-गृहादि में उसका अधिवास अनाधिकृत (unauthorised) है।

न दिये गये किराये की मांग की सूचना।

४—(१) यदि सरकारी भू-गृहादि में अधिवास के लिये किसी व्यक्ति द्वारा देय किराया बाकी रह जाय तो समर्थ अधिकारी उस दिनांक से, जिस पर किराया देय हुआ हो, तीस दिन के बाद, किसी समय उक्त व्यक्ति पर मांग का नोटिस तामील करेगा या करायेगा जिसमें उक्त व्यक्ति का नाम, उसके द्वारा देय धनराशि तथा सरकारी भू-गृहादि जिसके संबंध में किराया देय हो, उल्लिखित होंगे।

(२) मांग के नोटिस पर समर्थ अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

(३) मांग के प्रत्येक ऐसे नोटिस के लिये जिसे समर्थ अधिकारी उपधारा (१) के अधीन किसी व्यक्ति पर तामील करे या कराये उक्त व्यक्ति द्वारा, ऐसा शुल्क जो एक रुपये से अधिक न होगा और जिसकी मात्रा समर्थ अधिकारी प्रत्येक प्रकरण में निश्चित करेगा, देय होगा और यह शुल्क वसूली के व्यय का भाग होगा।

किराया देने के दायित्व के विरोध में वाद।

५—(१) यदि इसके ठीक पहले वाली धारा के अधीन किसी व्यक्ति पर मांग के नोटिस की तामील हो गयी हो, और उक्त व्यक्ति उक्त धनराशि या उसके किसी भाग के देने का दायित्व अस्वीकृत करे तो लिखित विरोध (protest) के अधीन ऐसी धनराशि देकर इस प्रकार दी हुई धनराशि या उसके भाग की वसूली के लिये वाद (suit) प्रस्तुत कर सकता है।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित वाद, धनराशि के देने के दिनांक से छः महीने के भीतर अधिकार प्राप्त न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, किन्तु उक्त वाद के परिणाम के अधीन मांग का नोटिस उक्त नोटिस में लिखित किराये के बकाये का निश्चायक प्रमाण होगा।

किराये की वसूली।

६—यदि तामील के दिनांक से, पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसे बढ़ायी गई अवधि के भीतर जिसको समर्थ अधिकारी स्वीकृत करे, की बकाया, जिसके संबंध में मांग का नोटिस तामील किया गया हो समर्थ अधिकारी को न दी जाय, तो उक्त बकाया वसूली के समस्त व्यय के साथ इस प्रकार वसूल की जा सकेगी जिस प्रकार राजस्व की बकाया (arrears of revenue) वसूल की जाती है और उक्त धनराशि को देने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति के संबंध में धारा ७ के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा कि वह तत्संबंधी सरकारी भू-गृहादि में बिना अधिकार रहता है।

किरायेदारों के अनुबंधों के उल्लंघन अथवा बिना अधिकार रहने के कारण सरकारी भू-गृहादि से बेदखली का अधिकार।

७—(१) यदि समर्थ अधिकारी को यह संतोष हो :

(क) कि किसी सरकारी भू-गृहादि में रहने के लिये ऐसे व्यक्ति के रूप में, जिसको प्रदेशन किया गया हो या पट्टा दिया गया हो, अधिकृत व्यक्ति ने इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले या बाद :

१—राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त अधिकारी की आज्ञा बिना, समस्त उक्त भू-गृहादि या उसके किसी भाग को फिर से किराये पर दे दिया है, या

२—किसी ऐसे व्यक्त या अव्यक्त (express or implied) अनुबन्ध के, जिसके अधीन उसे उक्त भू-गृहादि में रहने का अधिकार है, कोई विपरीत कार्य किया है,

(ख) कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी भू-गृहादि में बिना अधिकार रहता है, तो समर्थ अधिकारी नियत रीति से नोटिस तामील करके उक्त व्यक्ति को और ऐसे व्यक्ति को भी जो उक्त भू-गृहादि में या उसके किसी भाग में अधिवास करता हो, यह आदेश दे सकता है कि उक्त सूचना की तामील के दिनांक से पंद्रह दिन के भीतर उसे खाली करदे।

(२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन दिये गये किसी आदेश का अनुपालन न करे या करना अस्वीकृत करे तो समर्थ अधिकारी उस स्थिति को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था धारा १० में की गयी है, और उक्त व्यक्ति द्वारा की गयी आपत्तियों पर, यदि कोई की गयी हों, विचार करने के बाद, उक्त भू-गृहादि से, निश्चित किये जाने वाले समय के भीतर, उसके बेदखल किये जाने (eviction) की आज्ञा दे सकता है। उस व्यक्ति को, जिसकी बेदखली करनी है, उक्त आज्ञा का नोटिस दिया जायगा।

(३) यदि निश्चित समय के भीतर उपधारा ३ के अधीन दी गयी आज्ञा का अनुपालन नहीं किया जाये तो समर्थ अधिकारी उक्त व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को भी जो उक्त गृहादि में रहता हो, बेदखल (evict) कर सकता है।

अपील।

८—कोई व्यक्ति धारा ७ की उपधारा २ के अधीन दी गई आज्ञा से असंतुष्ट हो, उस संबंध में सूचना की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर डिस्ट्रिक्ट जज के पास लिखित अपील कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट जज समर्थ अधिकारी से आख्या (report) मांगने के बाद एवं आवश्यकता के अनुसार और अधिक जांच करने के बाद ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे। इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट जज की आज्ञा अंतिम होगी।

आज्ञा का निरोध।

९—यदि धारा ८ के अधीन अपील प्रस्तुत कर दी गयी हो तो डिस्ट्रिक्ट जज धारा ७ के अधीन दी गयी बेदखली की आज्ञा का कार्यान्वित करना, ऐसे समय के लिये और ऐसे प्रतिबन्धों के साथ जिन्हें वह उपयुक्त समझे, रोक सकता है।

गृहादि के प्रकार के संबंध में आपत्ति।

१०—(१) यदि इस आधार पर आपत्ति की गयी हो कि तत्संबंधी भू-गृहादि सरकारी भू-गृहादि नहीं है तो समर्थ अधिकारी डिस्ट्रिक्ट जज के पास अभिदेश (reference) भेज देगा। उक्त अभिदेश में सभी तथ्य (facts) लिखे जायेंगे और उक्त तथ्यों के अन्तर्गत ऐसे भी तथ्य होंगे जिससे यह प्रकट हो सके कि तत्संबंधी भू-गृहादि सरकारी भू-गृहादि हैं।

(२) अभिदेश की प्राप्ति पर डिस्ट्रिक्ट जज आपत्ति की जांच प्रारम्भ करेगा और आपत्ति करने वालों को यह आदेश देगा कि वह इस बात का प्रमाण दें कि तत्सम्बन्धी भू-गृहादि सरकारी भू-गृहादि नहीं हैं।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि डिस्ट्रिक्ट जज के विचार में उक्त आपत्ति सारहीन या प्रत्यक्षतः निराधार है तो उक्त प्रकार की कोई जांच नहीं की जायगी।

(३) यदि उक्त जांच के बाद डिस्ट्रिक्ट जज को यह संतोष हो जाय कि वह भू-गृहादि आपत्ति करने वाले के रहने के प्रारम्भ के दिनांक पर सरकारी भू-गृहादि था, तो वह आपत्ति को खारिज (dismiss) कर देगा और यदि उन्हें उक्त प्रकार से संतोष न हो तो वह आपत्ति को स्वीकृत करेगा और धारा ७ की उपधारा २ के अधीन दी गयी समर्थ अधिकारी की आज्ञा को निरस्त (set aside) कर देगा।

(४) उपधारा ५ के अधीन यदि कोई वाद प्रस्तुत किया गया हो तो उसके परिणाम को बाधित न करते हुये, उपधारा ३ के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज की आज्ञा अन्तिम और निश्चायक होगी और इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

(५) वह पक्ष जिसके विरुद्ध उपधारा ३ के अधीन कोई आज्ञा दी गयी हो, उक्त आज्ञा के दिनांक से छः महीने के भीतर अधिकार प्राप्त न्यायालय में उक्त भू-गृहादि पर अपने अन्वर्थित अधिकार को स्थापित करने के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है।

धारा ७ के अधीन दी गई आज्ञाओं के अनुपालन के लिये अधिकार।

११—(१) समर्थ अधिकारी धारा ७ के अधीन अपने द्वारा दी गयी आज्ञाओं के अनुपालन के लिये ऐसे कार्य (steps) कर या करा सकता है और ऐसा बल प्रयोग करा सकता है जो उक्त अधिकारी (authority) पदाधिकारी या व्यक्ति के मत में उपयुक्त और आवश्यक हों।

(२) संदेह दूर करने के विचार से एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (१) के अधीन किये जाने वाले उपक्रम के अधिकार के अन्तर्गत किसी भूमि या भू-गृहादि पर प्रवेश का अधिकार भी है।

क्षति पूर्ति का अधिकार।

१२—(१) यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी भू-गृहादि में बिना अधिकार अधिवास करता है तो समर्थ अधिकारी उक्त भू-गृहादि में अधिवास या उसके उपयोग के कारण ऐसा प्रतिकर (damages) नियत रीति से अवधारित कर सकता है जो उसके विचार में उचित और युक्त हों और डाक से या किसी अन्य प्रकार सूचना तामील करा कर उक्त व्यक्ति को यह आज्ञा दे सकता है कि वह ऐसे समय के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट हो, प्रतिकर दे देवे।

(२) यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रतिकर सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर देना अस्वीकृत करता है या नहीं देता है, तो प्रतिकर राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।

आज्ञाओं का अपवाद।

१३—उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम या किसी अन्य विधि में की गयी हो, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राप्त अधिकारों के प्रयोग में दी गयी आज्ञा के विरुद्ध न्यायालय में कोई आक्षेप नहीं किया जा सकेगा।

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्य का बचाव।

१४—(१) इस अधिनियम या उसके अधीन दी गयी किसी आज्ञा के अनुसार सद्भावना से किये गये किसी कार्य के या किसी ऐसे कार्य के लिये जिसे उक्त प्रकार से करने के उद्देश्य हों, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही (suit, prosecution or other legal proceedings) नहीं की जा सकती।

(२) उस परिस्थिति को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था अधिनियम में स्पष्ट रूप से की गयी हो, इस अधिनियम के या उसके अधीन दी गयी आज्ञा के अनुसार किसी ऐसे कार्य के कारण जो सद्भावना से किया गया हो, या जिसे उक्त प्रकार से करने का उद्देश्य हो, पहुंची हुई क्षति के लिये राज्य सरकार या समर्थ अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती।

अन्य विधियों का प्रयोग।

१५—किसी अन्य विधि में या किसी विधि के आधार पर सप्रभाव किसी कारण (instrument) में, किसी विपरीत बात के रहते हुये भी, इस अधिनियम के निदेश प्रभावशाली होंगे।

नियम बनाने का अधिकार।

१६—(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिये, नियम बना सकती है।

(२) विशेषतया और उक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुये उक्त नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों के या उनमें से किसी के सम्बन्ध में व्यवस्था की जा सकती है—

(क) सूचना का आकार (form) और उसे तामील करने की रीति (manner);

(ख) सरकारी भू-गृहादि पर दखल (possession) लेने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया (procedure);

(ग) धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन कार्यवाही में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(घ) अनाधिकार अधिवास के कारण देय प्रतिकर निर्धारित करने की रीति;

(ङ) वह रीति जिसके अनुसार अपील प्रस्तुत की जाय और अपील में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; और

(च) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाना हो या नियत किया जाय।

उद्देश्य और कारण

वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार न्यायालयों में वाद प्रस्तुत करने पर अधिक समय लग जाता है। इस विधेयक को प्रस्तुत करने का एक यह उद्देश्य है कि संक्षिप्त कार्यवाही से ऐसे व्यक्तियों से जो ऐसी इमारतों में रहते हों, जो राज्य सरकार की हों या जिन्हें राज्य सरकार ने किराये पर लिया हो या अधिगृहीत (Requisition) किया हो, किराये का बकाया राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सके। इस विधेयक का दूसरा उद्देश्य यह है कि उक्त प्रकार के निवास स्थान से ऐसे व्यक्तियों को जो अनधिकार रहते हों या जो किराया देना स्वीकार न करते हों या उसे न देते हों, निकाल दिया जाय।

हाफिज़ मुहम्मद इब्राहिम
वित्त मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ८१ एल० ए०—१९५३ ८५०